खण्ड-175, अंक-1
सोमवार, 8 श्रावण, शक संवत् 1878
(30 जुलाई, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 175 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ३० जुलाई, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२४९)

अंसमानसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इसराऊल हक, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम रावत, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री

दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनासिंह, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम शर्मा, श्री

22 SEP 1956

रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफतहुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भुनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाबख्शसिंह, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुरुज़राम, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री

हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

—:o:—

सोमवार, ३० जुलाई, १९५६

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

एटा जिले से ग्राम सेवक ट्रेनिंग में हरिजन उम्मीदवारों का न लिया जाना

१—श्री चिरंजीलाल जाटव** (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा के नियोजन विभाग से जून तथा जुलाई सन् १९५६ में कितने उम्मीदवार ग्राम सेवक की ट्रेनिंग को भेजे गये और उनमें कितने हरिजन तथा कितने पिछड़ी जाति के हैं ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)—कमिश्नरी स्तर पर किये गये चुनाव से २ तथा जिलास्तर पर किये गये चुनाव से १५ ग्राम सेवक पद के उम्मीदवार नियोजन विभाग द्वारा माह जून तथा जुलाई, १९५६ में ट्रेनिंग के लिये भेजे गये हैं। इनमें २ व्यक्ति पिछड़ी जाति के हैं और हरिजन कोई नहीं है।

२—श्री चिरंजीलाल जाटव**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त ट्रेनिंग के लिये कितने उम्मीदवारों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे और उनमें कितने प्रार्थना-पत्र परिगणित तथा पिछड़ी जाति के थे ?

श्री फूलसिंह—कमिश्नरी स्तर पर ग्राम सेवक पद की ट्रेनिंग के लिये ९ उम्मीदवारों ने प्रार्थना-पत्र दिये जिनमें ६ पिछड़ी जाति के तथा ३ हरिजन थे। जिलास्तर पर किये गये चुनाव संबंधी प्रार्थना-पत्रों का ब्योरा अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री चिरंजीलाल जाटव—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इन ग्राम सेवकों में जिनकी संख्या १५ है, उनमें हरिजनों को स्थान क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री फूलसिंह—हरिजनों को रिक्रूट करने के लिये एक बार तमाम प्रांत भर से केवल हरिजनों और पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को बुलाया गया था परन्तु उनमें भी पूरी संख्या में हरिजन उम्मीदवार नहीं आये।

श्री चिरंजीलाल जाटव—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ९ प्रार्थना-पत्र जो हरिजनों और पिछड़ी जाति के ग्राम सेवकों के लिये प्राप्त हुये उनमें से अनुपात के आधार पर हरिजनों को क्यों नहीं लिया गया ?

श्री फूलसिंह—९ में ३ हरिजन हैं और ६ पिछड़ी जाति के हैं।

श्री चिरंजीलाल जाटव—हरिजन तो कोई लिया ही नहीं गया है, क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी आदेश के आधार पर हरिजनों को क्यों नहीं लिया गया है ?

श्री फूलसिंह—प्रश्न २ के जवाब में मैं कह चुका हूं कि ९ आदमी आये जिनमें ६ पिछड़ी जाति के हैं और ३ हरिजन हैं।

श्री चिरंजीलाल जाटव---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य द्वारा १८ प्रतिशत हरिजनों को लिये जाने का आदेश नियोजन विभाग को क्या नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष---(श्री चिरंजीलाल जाटव से) आप प्रश्न लिखित न रख कर वैसे ही पूछ लिया करें ।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---जहां तक १८ प्रतिशत हरिजन साथियों को सरकारी नौकरी में रखने का विषय है, यह सत्य है कि इस विषय में आदेश दिये गये हैं और इस बात की चेष्टा भी की जाती है कि जहां तक उस नम्बर तक सरकारी नियुक्ति की जा सके की जाय । सरकार की यह बराबर चेष्टा है लेकिन यह कि किसी खास पद के लिये यदि कोई व्यक्ति वह योग्यता नहीं रखता तो अवश्य अधिकारियों को यह अधिकार रहता है कि वे दूसरे व्यक्ति को उस जगह पर रखें, क्योंकि अगर उस जगह के लिये उपयुक्त व्यक्ति प्राप्त न हों तो थोड़े समय तक हमें ऐसे व्यक्तियों से संतोष करना पड़ेगा जो उस ओहदे के लिये या उस जगह के लिये योग्यता रखते हों और कदाचित थोड़े समय तक ऐसे व्यक्तियों की संख्या कम भी रह सकती है लेकिन जहां तक सरकार का संबंध है, मैं यह कह देना चाहता हूं कि सरकार अवश्य चाहती है कि जल्दी से जल्दी उस संख्या तक लोग विभिन्न पदों पर नियुक्त किये जा सकें ।

न्याय पंचायतों के पंचों तथा सरपंचों के चुनाव के सम्बन्ध में पूछताछ

****३---श्री शारदाबख्शसिंह** (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्याय पंचायत के पंचों तथा सरपंचों की नियुक्ति के लिये सरकार द्वारा कोई अंतिम तिथि निश्चित की गई या नहीं ?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)---जी नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोई अवधि निश्चित न करने का क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश---सरकार ने कोई अंतिम तिथि नहीं तय की बल्कि नियम यह है कि पंचों का चुनाव हो जाने के पश्चात् एक महीने के अन्दर सरपंचों का चुनाव हो जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि राज्य में अब तक कितने जिलों में पंचों की नियुक्ति हो चुकी है ?

श्री कैलाशप्रकाश---रोजाना ही पंचों के चुनाव हो रहे हैं और इसलिये इसकी कोई सूचना नहीं है, किन्तु यह आदेश दिये गये हैं कि शीघ्र ही पंचों के चुनाव समाप्त करने चाहिये ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आखिर यह सारे चुनाव कब तक पूरे हो जायेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश---अभी मैंने निवेदन किया कि यह आदेश दिये गये हैं कि शीघ्र यह चुनाव समाप्त हो जाने चाहिये । यह भी संकेत कर दिया गया था कि जुलाई के अन्त तक हो जायं तो अच्छा है, किन्तु कोई अंतिम तिथि नहीं निर्धारित की गई है क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि जो एक परामर्शदात्री समिति बनाई गई है उसकी मीटिंग भी कभी कभी स्थगित करनी पड़ जाती है ।

नोट---अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ३ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछा ।

श्री तुलाराम रावत (जिला लखनऊ)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ऐसे अधिकार हैं कि बिना एम० एल० एज० के परामर्श के वह पंचों की नियुक्ति कर दे ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी, प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। उसकी सलाह के लिये एक समिति बनी है। समिति की बैठक तो वह अवश्य बुलायेगा उसमें यदि कोई न जाय तो बात दूसरी है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--न्याय पंचायतों का कार्य कब से नहीं चल रहा है और इस बीच उनके मुकदमें कहां दायर हो रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--न्याय पंचायतों का कार्य जब से नया चुनाव हुआ पंचों का, दिसम्बर से, नहीं चल रहा है, किन्तु सरपंच मौजूद थे और जो मुकदमें सरपंचों के पास जा सकते थे वह उनके पास रहते हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो मामले अदालती पंचायतों के सरपंचों के विचाराधीन अब तक हैं क्या उनका फैसला करने का सरपंचों को अधिकार है ?

श्री कैलाशप्रकाश--यह तो जो नियम बने हुये हैं उन्हीं के अनुसार सरपंच कार्य कर सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि जिन क्षेत्रों में विधान सभा के सदस्य, मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं उन क्षेत्रों की सलाहकार समिति में एम० एल० ए० के स्थान पर कौन बैठेगा ?

श्री कैलाशप्रकाश--जिन क्षेत्रों के प्रतिनिधि मिनिस्टर्स या डिप्टी मिनिस्टर्स हैं उन क्षेत्रों में वह चाहें तो अपने कोई नामजद व्यक्ति को भेज सकते हैं और यदि वह न जायं और न किसी को नामजद करें तो जिला मैजिस्ट्रेट स्वयं वहां से चुनाव करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जिन क्षेत्रों के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी विधान सभा के सदस्य हैं वहां पर क्या नीति निर्धारित हुई है ?

श्री कैलाशप्रकाश--जहां से पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं वहां तो जो साधारण नियम हैंवही लागू हैं।

किच्छा व बाजपुर में चीनी मिलें स्थापित करने का प्रयत्न

४--श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किच्छा व बाजपुर में चीनी मिलें स्थापित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री फूलसिंह--किच्छा में ज्वाइन्ट स्टाक चीनी मिल खोले जाने के लिये भारत सरकार ने सर्वश्री दानसिंह विष्ट एन्ड संस को लाइसेंस दे दिया है, बाजपुर में सहकारी चीनी मिल खोले जाने के लिये लाइसेंस का प्रार्थना-पत्र भारत सरकार को राज्य सरकार की सिफारिश के साथ भेज दिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह किच्छा और बाजपुर चीनी मिल की जो वर्तमान प्रगति हो रही है उसके अनुसार कब तक उनके खुलने की संभावना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––इस बात की चेष्टा है कि ५८–५९ का जो सीजन हो उसमें वह फैक्ट्री चलने लगे। आज ही इस फैक्ट्री के सिलसिले में जो हाई पावर कमेटी नियुक्त हुई है उसकी बैठक है और वह जो बाई लाज आदि बने हैं उन पर गौर कर रही है और जो खास तौर पर बाजपुर फैक्ट्री के लिये बनाई गई है। श्री दानसिंह बिष्ट भी आये हुये हैं, उन्हें सरकार ने लिख दिया है कि वह फैक्ट्री को शीघ्रता से चलाने की कार्यवाही करें नहीं तो यह सरकार केंद्रीय सरकार से सिफारिश करेगी कि उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाय और सरकार उस स्थान पर और फैक्ट्री का प्रबन्ध करे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दानसिंह बिष्ट एन्ड संस को सरकार की ओर से भी इस फैक्ट्री के खोलने के लिये कोई रियायत या रुपया दिया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––रियायत का सवाल तो कोई नहीं है, उनको लोन देने का सवाल जरूर है, उसमें करीब १ करोड़ ८० लाख रुपया लगने वाला है वह २००० टन की फैक्ट्री होगी और सरकार उसमें से ३०–४० करोड़ के बीच में लोन देगी और बाकी फाइनेंस कार्पोरेशन से भी दिलाने की चेष्टा की जायगी।

श्री गेंदासिंह––नियोजन मंत्री कितना रुपया फाइनेन्स कारपोरेशन से दिलाने का इरादा रखते हैं और कितने में सारी फैक्ट्री बनेगी ?

श्री अध्यक्ष––कितने में बनेगी यह तो बता दिया गया, अब लोन के बारे में बता दें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त––मेरे पास उसके तो आंकड़े नहीं हैं लेकिन जो अन्दाजा मैंने २००० टन की फैक्ट्री का बताया है मय वहां के रहने वालों के लिये जो इमारत आदि बनेगी उसमें १ करोड़ ८० लाख के करीब लगने की संभावना है और जो बाजपुर फैक्ट्री है जिसकी कैपेसिटी १००० टन है उसका अन्दाजा है कि उसमें भी ८५ से ९० लाख रुपया तक लगेगा, २००० टन की फैक्ट्री में धन अधिक लगेगा और वहां के रहने वालों के लिये जो मकान आदि की सुविधायें होंगी उसमें भी काफी धनराशि लगेगी। जहां तक फाइनेंस कार्पोरेशन का संबंध है वह तो जो इस संबंध में केंद्रीय सरकार के नियम हैं कि कुल रुपया उसमें कितना लगेगा, उसी के अनुपात से नियमों के अनुसार धन वह देगा।

श्री गेंदासिंह––क्या सरकार ने दानसिंह बिष्ट के अलावा और लोगों को भी निमंत्रित किया था कि वे किच्छा में फैक्ट्री लगावें ? यदि हां, तो और लोग जो लगाना चाहते थे उनको वहां फैक्ट्री लगाने की इजाजत क्यों नहीं दी गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––मेरे इस विभाग का कार्यभार सम्भालने से पूर्व भी कई उद्योग-पतियों से इस विषय में निवेदन किया गया था कि वे इस क्षेत्र में नई फैक्ट्री लगावें या पूर्वी क्षेत्र में जो अनएकोनामिक फैक्ट्रीज हैं वह लोग आकर यहां लगावें, श्री जयपुरिया से भी कहा गया था और मैंने जब यह कार्यभार सम्भाला तो मैंने भी कई उद्योगपतियों से कहा कि यह क्षेत्र गन्ने से भरा है और वे उस क्षेत्र में जाकर फैक्ट्री लगावें लेकिन उनमें से अधिकांश ऐसा समझते रहे कि वहां फैक्ट्री अनएकनामिक रहेगी और इसलिये उन्होंने इस क्षेत्र में फैक्ट्री लगाने का प्रयत्न नहीं किया। बाद को श्री दानसिंह बिष्ट सरकार के पास आये और वह क्योंकि उसी क्षेत्र के रहने वाले थे और उन्हें वहां की बहुत सी बातों का भली-भांति ज्ञान था और वह वहां १ करोड़ रुपया लगाने को स्वयं भी उत्सुक हुये और इसीलिये यह मुनासिब समझा गया कि सरकार उन को इस फैक्ट्री के लगाने में प्रोत्साहन प्रदान करे।

श्री गेंदासिंह––क्या सरकार ने यह अन्दाजा किया है कि ५७-५८ में फैक्ट्री न खुलने से वहां का गन्ना नहीं खपेगा और वहां का गन्ना इस वर्ष भी पेरने से बाकी न रह गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह तो दिक्कत है और जैसा कि गन्ना इस साल हुआ और कुछ और उसकी पैदावार बढ़ गई तो सरकार के सामने दिक्कत होगी। इसलिये इस प्रश्न पर विचार करने के लिये सरकार जो इस उद्योग में लगे हुए हैं उनको आमन्त्रित करना चाहती है और केन्द्रीय सरकार के समक्ष भी अपनी योजना प्रस्तुत करना चाहती है। ऐसी योजना जिसे कि उसने पिछले वर्ष में भी केन्द्रीय सरकार के सामने प्रस्तुत किया था, यानी जो फैक्टरियां नवम्बर और नवम्बर के आधे हिस्से के बाद चलती हैं वे फैक्टरियां अक्तूबर की २० तारीख से या १८ तारीख से चलने लगें और उनके चलाने में जो समझौता उद्योगपतियों से हम कर सकें उस समझौते को करें। इस समझौते का संबंध कुछ एक्साइज ड्यूटी में रेमीशन और कुछ सेस में रेमीशन से है। तो अभी इसी बात पर हम विचार कर रहे हैं। मैंने स्वयं केन्द्रीय सरकार के खाद्य मंत्री जी को यह बताया था जिस तरह से इस वर्ष हमें परेशानी उठानी पड़ी अगले वर्ष भी कदाचित परेशानी उठानी पड़ेगी। साथ ही में सरकार यह भी चाह रही है कि जो फैक्टरियां वहां पर अभी हैं उनकी कुछ कैपेसिटी बढ़ायी जाय और उनके चलाने वालों से यह आग्रह किया है कि वे फैक्ट्रो की केपैसिटी को बढ़ायें हमारे इस काम में सहयोग और हमें सुभीता प्रदान करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि बाजपुर कोआपरेटिव फैक्ट्री सरकार स्वयं लगवा रही है उसके लिये लाइसेंस लिये जाने में और फैक्ट्री के लिये आर्डर दिये जाने में इतनी देर क्यों हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—देर अब तो नहीं होनी चाहिये। अब तक देर हुई। देर तो इसलिये होती है कि सरकार के पास स्वयं तो विशेषज्ञ फैक्टरियों के चलाने के हैं नहीं। अब कुछ विशेषज्ञ हमने प्राप्त किये हैं जिनको हम रखना चाहते हैं और उनके द्वारा इन फैक्टरियों को चलाना चाहते हैं। माननीय सदस्यों को यह भली-भांति विदित है कि सरकार ने स्वयं दो एक फैक्टरियां अभी चलायी हैं। सरकार के पास सरकार के विशेषज्ञ हैं। अब चूंकि विशेषज्ञ मिलने में केन्द्रीय सरकार भी हमारी सहायता कर रही है तो अब हम आर्डर इत्यादि देने में देरी न करेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि दानसिंह विष्ट ने सरकार से यह भी आग्रह किया है कि उस इलाके के गन्ने की रिकवरी क्योंकि कम है इसलिये वहां के किसानों को इस बात के लिये मजबूर किया जाय कि वे गन्ने को कम कीमत पर इन मिलों को दें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी ऐसा कोई निर्णय तो नहीं हुआ है। लेकिन यदि थोड़ा कम दे कर यदि किसानों की आपत्ति आगे आने वाले वर्षों में दूर की जा सके तो मैं इसे किसानों के अहित की बात न समझूंगा परन्तु किसानों के फायदे ही की बात समझूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह बात सही है कि दानसिंह विष्ट ऐंड कम्पनी ने सरकार को यह भी सूचित किया है कि जो लोन सरकार उन्हें देने जा रही है इसका जो ब्याज सरकार लेगी वह रिजर्व बैंक के द्वारा दिये जाने वाले ऋण से ज्यादा है और इसलिये उनको सरकार से लोन प्राप्त करने में असुविधा हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बहरहाल मेरे पास या सरकार के किसी अधिकारी के पास कोई ऐसी बात लिख कर नहीं भेजी गई है। मैंने अभी बताया कि वह आज यहां आये हुए हैं और आज शायद २ बजे उनसे बात करूंगा। साढ़े तीन बजे बोर्ड की मीटिंग है जिसमें बाजपुर और दूसरी फैक्टरीज के बारे में कुछ निर्णय लिये जायेंगे।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अभीतक उन्होंने सदन में जो नीति घोषित की या जो सरकारी नीति है कि कोआपरेटिव बेसिस पर शुगर मिलें खोली जायं। यदि हां, तो फिर क्यों एक व्यक्ति को लाइसेंस दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—क्योंकि जो योजना बनी है उसमें केन्द्रीय सरकारने हमें केवल एक करोड़ की धनराशि दी है और उस १ करोड़ की धनराशि में ४ फैक्टरियां हमको लगानी हैं। तो अगर हम अपनी ही तरफ से सब फैक्टरियां लगायें तो ४ फैक्टरियों के लिये तो हमें बहुत पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। वह हमारे पास है नहीं। इसलिये सरकार ऐसा समझती है कि यदि किसी दूसरे व्यक्ति के सहयोग और उसके धन से किसानों के फायदे के लिय फैक्ट्री लग सके तो किसानों का फायदा ही होगा और उनकी समस्या सुलझेगी बनिस्बत इसके कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें क्योंकि धन नहीं। तो सरकार इस नीति में विश्वास करती है कि मौजूदा समय में अपने प्रदेश की समस्या सुलझाने में यदि प्राइवेट सेक्टर से मदद मिल सकती है फैक्ट्री लगाने में तो उसको हमें लेना चाहिये और इस तरह से अपने प्रदेश की औद्योगीकरण की समस्या को हल करना चाहिये।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि यदि राज्य सरकार कोआपरेटिव फैक्टियां ज्यादा खोलना चाहे तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट उसके लिये अधिक धन देने के लिये तत्पर है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं आयी है लेकिन ऐसा मुझे बताया गया है कि मेरे अधिकारियों द्वारा कि जो मसूरी में कांफ्रेंस हुई थी जिसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया के खाद्य मन्त्री जी गए हुये थे और हमारे प्रदेश के हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब गए हुये थे वहां हमारी तरफ से यह आग्रह किया गया था कि चार फैक्टरियां हमारे उत्तर प्रदेश के लिये भावी पांच वर्षों में नाकाफी हैं, हमें और फैक्ट्रियां मिलनी चाहिये। मुझसे स्वयं भी केन्द्रीय सरकार के खाद्य मन्त्री जी से इस सम्बन्ध में बातें हुई थीं और उन्होंने मुझे यह वचन दिया था कि वे हमारी इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि जैसा कि वह बता गए हैं हमें कि वह सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे तो यदि उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार किया तो कदाचित चार के बजाय शायद दुगुनी या दस फैक्ट्रियां हमें मिल जायं किन्तु अभी कोई केन्द्रीय सरकार का निर्णय हमारे पास नहीं आया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी अपने इस उत्तर को स्पष्ट करेंगे कि तराई भावर क्षेत्र में जो गन्ने की पैदावार इस साल और भी ज्यादा हो गई है उसके लिए किन किन फैक्ट्रियों की कैपेसिटी बढ़ाने का उनका प्रस्ताव है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो हमने इस विषय में एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया था श्री रामसिंह, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में हमें यह बताया है कि बहेडी की फैक्ट्री की कैपेसिटी बढ़ायी जाय। उन्होंने हमें यह बताया है कि काशीपुर की फैक्ट्री की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए और उन्होंने रामपुर की फैक्ट्री की कैपेसिटी को बढ़ाने के सम्बन्ध में सिफारिश की है। काशीपुर की फैक्ट्री की कैपेसिटी को बढ़ाने के विषय में काशीपुर की फैक्ट्री के चलाने वाले व्यक्तियों ने सरकार को एक अर्जी दे रखी है और उसमें उन्होंने सरकार से कुछ ऋण के रूप में सहायता मांगी है। बहेड़ी की फैक्ट्री वालों ने भी इस सम्बन्ध में कुछ लिखा-पढ़ी कर रखी है। वह भी कुछ सहायता ऋण के रूप में चाहते हैं। रामपुर की फैक्ट्री के सम्बन्ध में जहां तक मुझे इत्तिला है केन्द्रीय सरकार को भी उसकी कैपेसिटी बढ़ाने को लिख रखा है। केन्द्रीय सरकार के कुछ अधिकारी वहां गए थे और इस बात की जांच करने गए थे कि आया रामपुर की फैक्ट्री की कैपेसिटी बढ़ायी जाय या उसे वहां से बढ़ौत ले जाया जाय। उन्होंने भी यह सिफारिश की है कि रामपुर की फैक्ट्री की कैपेसिटी बढ़ाई जाय और उसे बढ़ौत ले जाने के प्रश्न को न छेड़ा जाय।

राज्य के विभिन्न स्थानों में चीनी मिलें खोलने के लिए श्री फूलसिंह की अध्यक्षता में समिति का निर्माण

**५—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार ने आने वाले केन (गन्ना) सीजन में राज्य में इस वर्ष लगाये गये गन्ने को समय से पिरवाने तथा चीनी मिलों को शीघ्र खुलवाने हेतु कोई योजना बनाई है ? अगर हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त योजना को सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री फूलसिंह—चीनी मिलों से सम्बन्धित कुछ प्रश्नों पर, जिनमें यह प्रश्न भी एक है, अपने विचार प्रकट करने के लिए शासन ने एक कमेटी श्री फूलसिंह, उपमंत्री, नियोजन की अध्यक्षता में बनाई है और इस कमेटी की सिफारिशों के आ जाने पर शासन आगे क्या करना है, इस सम्बन्ध में निर्णय करेगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह शासन ने जो कमेटी इस सम्बन्ध में बनायी है फूलसिंह कमेटी इसके विचार करने हेतु कौन-कौन से प्रश्न दिए गए हैं और इसकी कमेटी के कौन-कौन से सदस्य हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसके सिवाय यह मसला है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की पैदावार को देखते हुए किन-किन स्थानों पर फैक्ट्रियां लगायी जा सकती हैं और किन सिद्धान्तों के आधार पर वह फैक्ट्रियां लगायी जायं । प्रश्न सरकार के सामने यह है कि क्या फैक्ट्रियां उन्हीं क्षेत्रों में लगायी जायं या उन्हीं जिलों में लगायी जायं जिनमें फैक्ट्रियां लगी हुई हैं या उन जिलों में भी फैक्ट्रियों के लगाने के ऊपर विचार किया जाय जहां गन्ना काफी मात्रा में पैदा भी होता है किन्तु वहां कोई भी एक फैक्ट्री लगी हुई नहीं है । तो इन तमाम प्रश्नों के ऊपर विचार करके यह कमेटी सरकार के सामने अपने विचार प्रस्तुत करेगी और अपनी सिफारिश देगी कि इन तमाम बातों के ऊपर विचार करके किन-किन स्थानों पर फैक्ट्रियां लगनी चाहिए और उन की क्या-क्या प्रायर्टीज भी होनी चाहिए क्योंकि जैसा अभी मैंने बताया है कि चार ही फैक्ट्रियां मंजूर हुई हैं द्वितीय पंच वर्षीय योजना में, लेकिन यदि और बढ़ गईं तो जो यह प्रायटी रखेगी सरकार और कैबिनेट उस पर विचार करेगा और फिर निर्णय लेगा कि कहां कहां हम इन फैक्ट्रियों को लगायें ।

श्री गेंदासिंह—इस कमेटी का काम किस स्टेज पर इस वक्त है और कब तक यह कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी ?

श्री फूलसिंह—इस कमेटी की एक बैठक हो चुकी है और प्रिलिमिनरी सर्वे प्रान्त भर का कर लिया और कुछ जगह भी निश्चित कर ली है कि कहां-कहां नयी फैक्ट्रियां लगानी हैं । अब उसमें से कुछ फैक्टरियां शिफ्ट होनी हैं, तो प्रश्न यह है कि कहां पुरानी फैक्टरियां शिफ्ट होंगी और कोआपरेटिव सोसायटी की कहां-कहां लगेंगी और दूसरा प्रश्न यह है कि गन्ने के फैलने का क्राप्स का प्रापर रोटेशन क्या हो सकता है जिससे यह लिमिट किया जा सके कि कितना गन्ना बोया जा सकता है किसानों द्वारा ।

श्री गेंदासिंह—इस कमेटी के सामने कितनी फैक्ट्री खोलने का विचार है और कितनी फैक्टरियों के शिफ्ट करने का विचार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने अभी आपके समक्ष यह निवेदन किया था कि एक विशेषाधिकारी हमने नियुक्त किया था और उसने इस विषय में एक रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत की है । वह रिपोर्ट भी इस कमेटी के समक्ष जायगी और उस अधिकारी ने कोई १३-१४ फैक्टरियां लगाने के विषय में सिफारिश की हैं नयी फैक्टरियों की । सब बाकी जो फैक्टरियां हैं उनकी कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के विषय में भी १३-१४ की सिफारिश पेश है और उसमें

कुछ पूर्वी जिले भी शामिल हैं और कुछ पश्चिमी जिले हैं जहां कोई भी फैक्ट्री नहीं है और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां फैक्टरियां हैं और वहां काफी अधिक मात्रा में गन्ना पैदा होता है और वहां उस गन्ने की समस्या को सुलझाने के लिए नयी फैक्टरियां और लगनी चाहिये।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह कमेटी इस प्रश्न पर भी विचार कर रही है प्रान्त में जहां पर जो फैक्टरियां अच्छे प्रकार नहीं चल रही हैं उन्हें नैशनलाइज किया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जहां तक नैशनलाइजेशन का प्रश्न है इसका सम्बन्ध एक बड़ी नीति से है और जैसा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निश्चित कर दिया गया है कि कुछ इंडस्ट्रीज को अभी हम प्राइवेट सेक्टर में रखेंगे जो कि कन्ज्यूमर गुड्स को तैयार करती हैं और शक्कर की फैक्ट्री अभी उन्हीं श्रेणी में है जिसको नैशनलाइज करने का सवाल उठता नहीं। चूंकि धन नहीं है और हम अधिकमात्रा में उद्योगीकरण करना चाहते हैं तो उन चीजों में धन लगाना चाहते हैं जो प्रदेश में पैदा नहीं होती, जो बनती नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या प्रदेशीय सरकार ने भारतीय सरकार को इस आने वाले केन सीजन में गन्ने की फैक्टरियां, गन्ने की बहुत अधिक मात्रा देखते हुए, जल्दी खुलने के हेतु कोई पत्र लिखा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं इस विषय में जो नीति है, अभी बता चुका हूं।

श्री केशव पांड़ेय (जिला गोरखपुर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त की किसी गन्ना फैक्ट्री ने सहकारिता के आधार पर अपनी मिल चलाने का सुझाव दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मेरे सामने तो नहीं आया अभी।

श्री गेंदासिंह--१३ फैक्टरियों को खोलने का जो विचार सरकार के सामने है उनमें से कै फैक्टरियां प्राइवेट लोग और कितनी कोआपरेटिव की खोली जायंगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी तो मैंने बतला दिया कि ४ की तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में घोषणा हुई है, बाकियों के विषय में जब मिलेंगे तब निर्णय होगा कि प्राइवेट खुलेंगी या प्राइवेट सेक्टर में। अभी केन्द्रीय सरकार ने बतलाया ही नहीं कि कितनी देंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस फूलसिंह कमेटी के सदस्य कौन-कौन हैं ?

श्री फूलसिंह--इस कमेटी में केन कमिश्नर है, कमिश्नर लखनऊ डिवीजन है, कमिश्नर बरेली डिवीजन, सेक्रेटरी एग्रिकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी और शायद एक आध कोई और है।

तारांकित प्रश्न

गोरखपुर जिले के महाराजगंज उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों से तकाबी की वसूली

*१--श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)--क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के महाराजगंज उत्तरी क्षेत्र में सन् १९५५ की तकावी वसूल की जा रही है और सरकारी आदेश है कि वहां के बाढ़पीड़ित क्षेत्रों से ३० जून तक सब रकम वसूल कर ली जाय ?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—गोरखपुर जिले के महाराजगंज के उत्तरी क्षेत्र में १३६३ फसली की फसल को हानि पहुंचने के कारण रबी का बीज खरीदने के हेतु सन् १९५५ में जो तकावी बांटी गई थी वह रबी की फसल के बाद बाढ़ क्षेत्रों में वसूल की जा रही है। परन्तु १३६३ फसली में मकान बनाने के लिये दी गई तकावी ३०-९-५६ तक नहीं वसूल की जावेगी। जहां तक वसूली के सम्बन्ध में सरकारी आदेश का प्रश्न है, प्रयत्न यही किया जाता है कि रबी की फसल में अदा होने वाली किस्तें जून के अन्त तक वसूल कर ली जायं। यह आदेश हर जिले के लिये लागू है।

*२—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्या सरकार को यह सूचना है कि उपर्युक्त क्षेत्र में गत मई महीने से ही बाढ़ आ गई है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उपर्युक्त क्षेत्र में गत मई महीने से बाढ़ नहीं आई है।

*३—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्या इन गांवों से बाढ़ से बचने के लिये कुछ गांव ऊंचे किये गये हैं? यदि हां, तो कितने ग्राम?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। ग्यारह गांव ऊंचे किये गये हैं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्या सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा है जिससे मालूम हो सके कि मकान बनाने के लिये कितना रुपया दिया गया और बीज बांटने के लिये तकावी में से कितना रुपया दिया गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की जरूरत पड़ेगी। वैसे आंकड़े तो हैं यदि माननीय सदस्य पूछेंगे तो बतला दिये जायंगे।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्या तकावी के विषय में सरकार की कोई ऐसी नीति है कि जुलाई का महीना आने से पहले पिछली तकावी की सब रकम वसूल कर ली जाया करे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो मैंने अर्ज किया कि कोशिश यह की जाती है कि तकावी की रकम जहां तक हो सके जून तक वसूल हो जाय।

श्री परिपूर्णा नन्द वर्मा—क्या यह सही है कि इसी क्षेत्र में जून के पहले हफ्ते में बाढ़ आई जिससे अर्ली पैड़ी की सब फसलें नष्ट हो गईं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बाढ़ आने की इत्तिला तो नहीं है, केवल नारायणी और कुछ तालों में पानी आ गया था और वह निकल गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में मालगुजारी वसूल करने के लिये ३० जून को आदेश दिये गये थे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कारण तो सब जगह के लिये एक ही है कि जितना रुपया दिया गया है वह सब वसूल हो जाय। यही आदेश बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लिये भी लागू है।

श्री गेंदासिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री परिपूर्णानन्द जी ने कोई पत्र लिखा है कि तकावी किस समय दी जाय और किस समय वसूल की जाय?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य परिपूर्णानन्द जी से ही सवाल पूछ लें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्या मंत्री जी को सूचना है कि एस० ई० ने यह सूचित किया है कि जिन ११ गांवों को ऊंचा करने का जिक्र है उनको एक बांध की प्रतीक्षा में रोक दिया गया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इन ११ गांवों की लिस्ट मौजूद है जिनके लिये कहा गया है कि ऊंचे कर दिये गये हैं। शायद दूसरे गांव माननीय सदस्य की नजर में हैं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्या मंत्री जी इत्तिला प्राप्त करेंगे कि यही ११ ग्राम हैं जिनको ऊंचा नहीं किया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अगर माननीय सदस्य का आग्रह है तो मालूम किया जायगा वरना इत्तिला के मुताबिक तो यह ऊंचे किये गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या महाराजगंज के उत्तरी क्षेत्र से आने वाले विधान सभा के सदस्य ने तकावी वसूल करने के लिये कोई सुझाव दिये हैं ? यदि हां, तो क्या कार्य-वाही की गई है ?

मालमंत्री (श्री चरणसिंह)—मुझे याद नहीं पड़ता है कि किसी ने ऐसा व्यापक पत्र लिखा हो।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जहां एक बार फस्ल के नुकसान से तकावी का बांटना जरूरी होता है तो यदि फिर आगे लगातार फस्ल नुकसान होती चली जाय तो तकावी न वसूल करने की योजना कोई सरकार की है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। माफी की कोई योजना नहीं बनायी जाती है।

श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पानी आकर चले जाने से क्या मतलब है ? क्या उसको बाढ़ नहीं कहते हैं ?

श्री चरणसिंह—पानी की एक ऊंचाई होती है जिसको फ्लड लेविल कहते हैं कि इतनी ऊंचाई तक अगर पानी आ जाय या उससे ऊपर हो जाय तो कहते हैं कि बाढ़ आ गयी। उससे नीचे जब पानी रहता है तो वह बाढ़ नहीं कहलाती है। वह तो बरसात का पानी होता है। बरसात में पानी बढ़ना ही चाहिये नदियों में।

*४—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—[३ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

पशुपालन विभाग के अन्तर्गत स्टाकमैनों का स्थायीकरण

*५—**श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में पशु-पालन विभाग में अप्रैल सन् १९५४ ई० से कितने स्टाकमैन अपनी सर्विस में स्थायी किये गये हैं ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—५४३ स्टाकमैन पहली अप्रैल, १९५४ ई० से स्थायी किये गये और बाकी ९४ जगहों पर स्टाकमैनों के स्थायी करने का प्रश्न संचालक पशु-पालन के विचाराधीन है।

*६—**श्री रामवचन यादव**—क्या यह सत्य है कि गोरखपुर डिवीजन छोड़ कर अन्य सभी डिवीजनों में ये लोग स्थायी किये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह—जी नहीं, गोरखपुर सर्किल में १२४ स्टाकमैनों की स्थायी जगह हैं जिनमें से ११६ स्टाकमैनों को स्थायी कर दिया गया है और बाकी ८ स्टाकमैनों को स्थायी करने का प्रश्न उप-संचालक, पशुपालन, गोरखपुर के विचाराधीन है।

श्री रामवचन यादव—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ९४ जगहों पर स्थायी न करने के क्या कारण हैं ?

श्री हुकुमसिंह—अभी विचाराधीन है । यह कहां कहा गया कि न किये जायंगे ।

श्री रामवचन यादव—यह विचाराधीन तो गोरखपुर डिवीजन का है लेकिन सारे सूबे का तो विचाराधीन नहीं है । तो मैं ऊपर वाला पूछ रहा हूं कि ये ९४ जगहें क्यों नहीं स्थायी की गयीं ?

श्री अध्यक्ष—विचाराधीन है ऐसा उत्तर में दिया हुआ है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन स्टाकमैनों को स्थायी करने का प्रश्न विचाराधीन है उनको सरकारी नौकरी करते हुये कितने वर्ष व्यतीत हो चुके हैं ?

श्री हुकुमसिंह—ये सब चीजें देखी जा रही हैं । देख कर जब निश्चय होगा तब पता चलेगा ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन स्टाकमैनों को स्थायी किया गया है उनका आधार क्या है, श्रेष्ठता या वरिष्ठता ?

श्री हुकुमसिंह—जिनका काम अच्छा होता है वही स्थायी किये जाते हैं ।

*७—श्री उमाशंकर—[७ अगस्त, १९५६ के लिये प्रश्न ३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

लाइव स्टाक सुपरवाइजरों की ट्रेनिंग के लिए चुनाव

*८—श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले साल कितने लाइव स्टाक सुपरवाइजर का चुनाव हुआ और उनमें कितने हरिजन व पिछड़ी जाति के लोग लिये गये ?

श्री हुकुमसिंह—पिछले वर्ष लाइव स्टाक सुपरवाइजर की ट्रेनिंग के लिये १०० अभ्यर्थी चुने गये जिसमें ८० बाहर से और २० विभाग के स्टाकमैनों में से लिये गये । बाहरी अभ्यर्थियों में २ हरिजन तथा २ पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी लिये गये ।

*९—श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)—[३ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

बाढ़ पीड़ित दुवारी क्षेत्र, जिला आजमगढ़ में मालगुजारी कम करने के लिए प्रार्थना-पत्र

*१०—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे की उनके तथा मुख्य मंत्री के पास दुवारी, जिला आजमगढ़ के आस-पास के गांव टमका, देवारा, दुवारी, धर्मपुर, मोलनापुर, भूसाडोही, गाजियापुर के निवासियों का इस आशय का प्रार्थना-पत्र अक्टूबर और नवम्बर सन् ५५ में आया है कि हम लोगों की खेती की जमीन प्रति वर्ष बाढ़ से डूब जाया करती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां ।

*११—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बाढ़-पीड़ित क्षेत्र के गांवों की मालगुजारी पैदावार के मुताबिक फिर से निश्चित करने की सरकार की कोई योजना है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सरकार को इस विषय में कोई योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा २५१

तथा जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था नियमावली के नियम २०५ (ख) व २९२ (क) के अन्तर्गत ऐसी परिस्थितियों में उपयुक्त कार्यवाही की जा सकती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय माल मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अधिनियम और नियमों के अधीन होते हुये भी इन गांवों की मालगुजारी के मुताबिक अब तक क्यों नहीं निश्चित की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---कैलेमिटीज दो तरह की होती हैं, एक तो वह जिससे जमींन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाय तो जब तक उस तरह की कमी रहती है तब तक उसके लिये रेमिशन दिया जाता है और दूसरी जो साधारण कैलेमिटीज होती हैं जैसे फसल ओले या बाढ़ वगैरह की वजह से नुकसान हो गई तो उसमें उसी साल के लिये रेमिशन दिया जाता है। इस तरह के रेमिशंस इसमें दिये जाते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल के खिलाफ उत्तर दिया गया है। मैं जानना चाहता था कि कछार बाढ़पीड़ित क्षेत्रों की जो जमीन है उसकी पैदावार और जमींनों के मुकाबिले में कम है तो उसके मुताबिक मालगुजारी क्यों नहीं निश्चित की जाती ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---नियम बने हुये हैं उनके अनुसार जहां मालगुजारी जितनी लगनी चाहिये उतनी लगती है।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि जिस जमींन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है उसकी हालत जल्दी जल्दी बदलती रहती है और इसीलिये पंचसाला बंदोबस्त की व्यवस्था की गई थी और अब चूंकि वह पंचसाला बंदोबस्त नहीं होता है इसलिये जो मालगुजारी एक बार लगी है वही लगी रहती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसी बात नहीं है। यह जमींन तो घाघरा नदी के किनारे कछार है, उपजाऊ जमींन बतलाई जाती है। जल्दी जल्दी सूरत बदलती है ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि पिछली बाढ़ों में बालू के आ जाने के कारण उन जमीनों की हालत बिगड़ गई है और इसकी खबर सरकार को नहीं है ?

श्री अध्यक्ष---यदि सरकार को खबर नहीं है तो फिर आप उससे पूछते क्या हैं ?

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि जिस जमीन की हालत इस वक्त बिगड़ गई है उसकी खबर लगायी जाय और उसकी मालगुजारी कम करने की कार्यवाही की जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---हर फसल की खराबी का जब पटवारी जाते हैं, कानूनगो जाते हैं तो उनको रिपोर्ट करना पड़ता है कि कहीं कोई ऐसी चीज किसी जमींन में आ जाय जैसा माननीय सदस्य बतलाते हैं तो रिपोर्ट करना उनका फर्ज होता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इसके बारे में जिलाधिकारियों ने क्या कार्यवाही की और क्या उस सम्बन्ध में माल मंत्री जी को कोई सूचना आयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जितना जरूरी समझा गया वह रेमिशन दिया गया।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार को वहां से कोई खबर मिली है कि जिस जमींन के लिये प्रश्नकर्ता ने सवाल किया है उस जमींन की हालत नहीं बिगड़ी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--मैंने अर्ज किया कि यह तो सरकारी अधिकारी भी करते हैं और स्वयं वह आदमी भी जिनकी जमींन में कमी आयी है किसी तरह से वह भी दरख्वास्त दे करके लगान में रेमिशन या कमी करा सकते हैं।

आजमगढ़ जिले में अधिवासियों के अधिकार में भूमि

*१२--**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि ऐक्ट ३१ सन् ५२ के अनुसार आजमगढ़ जिले की किस तहसील में कितने एकड़ जमींन पर किसानों को अधिवासी का अधिकार प्राप्त हुआ है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--तहसील सदर में २३ एकड़ भूमि पर, तहसील मुहम्मदाबाद में ४७ एकड़ भूमि पर, तहसील सगड़ी में ५२३ एकड़ भूमि पर, तहसील घोसी में ७२० एकड़ भूमि पर, तहसील फूलपुर में ४१ एकड़ भूमि पर और तहसील लालगंज में १,९३५ एकड़ भूमि पर।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस अधिनियम के अनुसार जो इन्दराज किये गये हैं उनके खिलाफ दीवानी में अधिकतर मुकदमे फैसल हो रहे हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--मुमकिन है ऐसे चल रहे हों।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार इस प्रकार का कोई संशोधन करने जा रही है कि इस अधिनियम के अनुकूल जो इन्दराज हुये हैं उनको अन्तिम माना जाय?

श्री चरणसिंह--वह अन्तिम मानने चाहिये और माने जा रहे हैं अगर किसी साहब को कोई शिकायत हो तो वह अपील कर रहे हैं लेकिन संशोधन करने का कोई विचार नहीं है।

आजमगढ़ जिले में बकाया मालगुजारी

*१३--**श्री उमाशंकर** (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि फसली सन् १३६२ तथा १३६३ में कितनी मालगुजारी आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील की थी और उसमें से कितनी कितनी बकाया रह गई है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८२ पर)

हरिद्वार नगरपालिका को देहरादून जिले में शामिल करने के लिए देहरादून बार एसोसियेशन का कथित प्रस्ताव

*१४--**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को देहरादून के बार एसोसियेशन का कोई प्रस्ताव इस आशय का मिला है कि हरद्वार नगरपालिका को देहरादून जिले में शामिल कर दिया जाय? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या निर्णय करने जा रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं आया है। इस कारण दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

नोट--तारांकित प्रश्न १२-१३ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछे।

तारांकित प्रश्न १४ श्री जोरावर वर्मा ने पूछा।

अतारांकित प्रश्न

परगनाधीश फूलपुर, जिला आजमगढ़ की अदालत में सनद मन्सूखी के मुकदमे

१--श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि फूलपुर, जिला आजमगढ़ की अदालत में कितने मुकदमों का ऐक्ट १० सन् ४९ की धारा १२ परगनाधीश (सनदमंसूखी) के अनुसार सन् ५५ में फैसला किया गया है ?

श्री चरणसिंह--१६ मुकदमों का।

२--श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त ऐक्ट की धारा १२ के अनुसार फूलपुर, जिला आजमगढ़ के न्यायालय में १९५५ में कितने मुकदमे दाखिल हुये ?

श्री चरणसिंह--२७ मुकदमे।

एक संवाददाता की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--श्री रामनारायण त्रिपाठी ने मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव भेजा है जो एक संवाददाता जो की गिरफ्तारी और उनको हवालात में रखने के बारे में है। इससे केवल स्थानीय शासन का सम्बन्ध है। इससे कोई सरकार का सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता। यह वैध नहीं है इसलिये मैं इसको इजाजत नहीं देता हूं।

पाठ्य पुस्तकों के अभाव के सम्बन्ध में कार्य-स्थमन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक दूसरा काम रोको प्रस्ताव श्री नारायणदत्त तिवारी का है जो पाठ्य पुस्तकों के बारे में है। उनका कहना है कि जनता को पाठ्य पुस्तकों के बारे में पहले बताया नहीं गया है और पहले से उनका प्रकाशन भी नहीं हुआ है इसलिये लोगों को और विद्यार्थियों को पुस्तकें नहीं मिल रही हैं। इस कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है उसके ऊपर विचार करने के लिये वह सदन का कार्य स्थगित करना चाहते हैं। इसके लिये मैं यह समझता हूं कि प्रश्न पूछ कर भी इस विषय पर जानकारी हासिल की जा सकती थी। मुझे यह इतना महत्व का दिखायी नहीं देता है और इसमें अरजेन्सी भी नहीं है क्योंकि बहुत दिनों से यह प्रश्न जनता के सामने है। बहुत पहले से इस प्रश्न को उठा लेना चाहिये था यदि माननीय सदस्य इतनी इसकी अरजेन्सी समझते थे। इसलिये मैं इसको उपस्थित करने की अनुमति नहीं देता।

लेकिन इतना मैं जरूर चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री पाठ्य पुस्तकों के न मिलने के बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहें तो उसकी सूचना सदन को दे सकते हैं क्योंकि पुस्तकों की कमी के बारे में तो उनको अवश्य मालूम हो ही गया होगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी को मैंने एक पत्र आज से ३ दिन पहले लिखा था और मैंने यह निवेदन किया था कि सारे सूबे में जो किताबों के सम्बन्ध में बेचैनी है उसके सम्बन्ध में कोई वक्तव्य दें। मैं निवेदन करूंगा कि उन पत्रों में मैंने जिन बातों का जिक्र किया है उन बातों का जवाब भी इसके सिलसिले में सदन में दे दें तो बड़ी कृपा होगी।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—अध्यक्ष महोदय, श्री गेंदासिंह जी का पत्र परसों शाम को असेम्बली के बाद मुझे मिला था। उसी वक्त मैंने अपने शिक्षा संचालक को फोन द्वारा यह बताया कि जो सामग्री उस सम्बन्ध में हो वह मेरे पास भेज दें। उस पत्र में भी और आज जो कामरोको प्रस्ताव है दोनों में यह चीज़ स्पष्ट नहीं है कि वह कौन सी किताबें हैं। एक तो प्राइमरी स्कूल की किताबें होती हैं, जूनियर हाई स्कूल की होती हैं और इंटर मीडियेट बोर्ड की होती हैं, यह चीज उनसे स्पष्ट नहीं है कि किन किताबों के सम्बन्ध में यह कामरोको प्रस्ताव और माननीय गेंदा सिंह जी का पत्र है। इस सम्बन्ध में हाईकोर्ट में एक रिट भी है, उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल्स के सम्बन्ध में मैंने सूचना मांगी है। चूंकि यह प्रान्त भर का सवाल है इसलिये यह मालूम करने में कि किताबों की कमी है या नहीं है, उसके मालूम करने में देर लगेगी। मैं समझता हूं कि कल या परसों मेरे लिये यह संभव हो सकेगा कि मैं इस सम्बन्ध में जो स्थिति है वह सदन के सामने रख सकूं।

कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक को शीघ्र पारित करने के सम्बन्ध में प्रार्थना

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं माननीय माल मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो आइटम कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक एजेन्डे के नम्बर १२ पर हैं, यह पहले २४ तारीख को आने वाला था लेकिन बाद को २-३ बिल और आ गये, इस प्रकार उसके पीछे हट जाने से बाहर के लोगों में कुछ ग़लत फहमी पैदा हो रही है कि शायद डिलेइंग टैक्टिक्स चल रहे हैं गो कि असेम्बली के सदस्यों ने इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। अखबारों में चर्चा है कि शायद लोग उसके खिलाफ हैं। हम लोग चाहते हैं कि माननीय माल मंत्री जी उसको जल्दी से पास कर दें। इस समय कौंसिल भी बैठने वाली है वहां पर भी यह पास हो जायगा तो जो सारी कंट्रोवर्सी चल रही है वह खत्म हो जायगी। कल परसों कांस्टीटचूशन बिल चलने वाला है अतः उसके बाद इसको ले लिया जाय तो बहुत अच्छा होगा। असेम्बली के कोई भी सदस्य मेरे ख्याल से इसके विरोध में नहीं हैं, हम सब लोग तो इसको जल्द पास करना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना है कि माल मंत्री जी इसको पहले ले लें।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, उसको पहले लेने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन कांस्टीटचूशन बिल के बाद मंदिर प्रवेश वाला बिल भी महत्वपूर्ण है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मंदिर प्रवेश विधेयक के पश्चात् ही इसको ले लिया जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोई खास आपत्ति तो नहीं है लेकिन यह श्रम कल्याण निधि विधेयक बहुत दिनों से चला आ रहा है। माननीय सदस्य देखेंगे कि उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा और उसके बजाय मजदूरों का बहुत नुकसान हो रहा है। उसके लिये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—कुमायूं जमींदारी विनाश बिल सेलेक्ट कमेटी को जायगा, इसलिये वह उसको सुपुर्द किया जा सकता है। श्रम कल्याण विधेयक में कुछ देर भी लग सकती है। २-३ रोज में जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा उसको विचार के लिये ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आर्डर बदलने के बारे में माननीय मुख्य मंत्री के कमरे में विचार कर लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

तिलक दिवस मनाने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं एक जानकारी हासिल करना चाहता हूं कि पहली अगस्त को जो तिलक डे मनाया जाता रहा है, इस साल तिलक डे को यह सदन बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—वह तिलक डे अंग्रेजी हिसाब से पहली अगस्त को मनाया जाता रहा है लेकिन भारतीय पंचांग के हिसाब से तिलक का जन्म-दिन इस साल २३ जुलाई को मनाया गया है। इसलिये पहली अगस्त को उसके मनाने का कोई सवाल नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसमें थोड़ी सी गलतफहमी है। वे जन्म दिन के बारे में नहीं जानना चाहते हैं बल्कि मृत्यु दिन के बारे में जानना चाहते हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उसका कारण यह है कि हमारी भारतीय पद्धति के अनुसार जन्म दिन ही मनाने की प्रथा है, मृत्यु दिन नहीं मनाया जाता है। इसलिये मृत्यु दिन मनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

मऊनाथ भंजन जिला आजमगढ़ में हिन्दू मुस्लिम दंगे के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं मेरे यहां आजमगढ़ जिले के मऊनाथ भंजन में शायद हिन्दू मुस्लिम दंगा हो गया है। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी उसके बारे में कोई जानकारी दे सकें तो दे दें।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपको या तो इस सम्बन्ध में प्रश्न करना था या आप मुझसे कहते तो मैं उनसे जानकारी देने के लिये पहले ही कह देता।

*वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५

†खंड १० (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, १९५६ पर, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी रहेगा। इस सम्बन्ध में एक आपत्ति खंड १० और ११ के सम्बन्ध में उठायी गयी थी स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट ऐंड रीजंस में यह दिया है कि "विधेयक में यह व्यवस्था की गयी है कि इसके चांसलर और वाइस चांसलर संस्कृत तथा आधुनिक ज्ञान के अच्छे ज्ञाता हों"। उद्देश्य और कारण में ये शब्द आये हैं। खंड १० और ११ में जो संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिश आयी है उसके अनुसार चांसलर श्री राज्यपाल होंगे। ऐसी अवस्था में चूंकि उद्देश्य और कारण के विरुद्ध यह चीज इसमें दी गयी है प्रवर समिति की तरफ से, तो इससे वे समझते हैं कि यह संशोधन अवैध है। यह आपत्ति उठायी गयी थी। उसका फैसला

---

* संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २२ मई, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

† २६ जुलाई, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री अध्यक्ष]

पिछले रोज माननीय उपाध्यक्ष ने नहीं दिया और किसी दूसरे रोज देने के लिये कहा था। इस सम्बन्ध में यह सिद्धान्त सर्वमान्य है कि इसी विधेयक की जो परिधि है उसको केवल संशोधन द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन परिधि केवल उद्देश्य और कारणों से नहीं मालूम होती बल्कि विधेयक में जो प्रीएम्बिल है उससे स्पष्ट होती है। इस विधेयक की प्रस्तावना में यह कहा गया है कि वाराणसी में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करना और उसमें ऐसे कृत्यों को निहित करना आवश्यक है, जिनका निर्वहन सम्प्रति गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, सरस्वती भवन पुस्तकालय तथा संस्कृत शिक्षा के राजकीय बोर्ड द्वारा किया जाता है।

इस प्रकार विधेयक की परिधि होगी, यह उद्देश्य प्रस्तावना स्पष्ट करती है। उद्देश्य और कारण जो आखीर में दिया जाता है वह कोई विधेयक का भाग नहीं होता बल्कि उसका एक तरह का स्पष्टीकरण है। तो स्पष्टीकरण जिस तरह का विधेयक सामने है उसी का हुआ करता है, जो खंड है उसी के अनुसार वह स्पष्टीकरण उपस्थित किया जाता है। अगर खंड में परिवर्तन होता है तो स्पष्टीकरण में भी परिवर्तन किया जा सकता है और कान्सी क्वेंशियल संशोधन उद्देश्य और कारणों में अपने आप हो जायगा। उद्देश्य और कारण इस सदन के सामने विचारार्थ उपस्थित नहीं होते। वह सिर्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं और उनके ऊपर मत नहीं लिया जा सकता है। इसलिये उद्देश्य और कारणों के किसी अंश में जो बातें दी हुई हैं उसके विरुद्ध यदि किसी खंड में कोई परिवर्तन सदन करना चाहता है तो वह परिधि, सीमा के बाहर भी नहीं जाता, बल्कि सीमा के अन्दर ही रह सकता है, यदि वह संशोधन प्रियेम्बल या प्रस्तावना की परिधि के अन्दर है। ऐसी अवस्था में क्योंकि प्रस्तावना में एक विश्वविद्यालय कायम करना दिया है और यही उद्देश्य सदन के सामने विचारार्थ है कि विश्वविद्यालय में वहां गवर्नमेंठ संस्कृत कालेज, सरस्वती भवन पुस्तकालय तथा संस्कृत शिक्षा के राजकीय बोर्ड के द्वारा यह कार्य किया जाय—तो केवल राज्यपाल को चान्सलर बनाने का संशोधन परिधि के बाहर नहीं जाता। अगर चांसलर संस्कृतज्ञ के बजाय राज्यपाल को रख दिया जाय या और कोई अन्य परिवर्तन करना इस सम्बन्ध में सदन करना चाहे तो इस कारण से वह अवैध नहीं होता।

दूसरी बात यह भी है कि जो संशोधन बिल या विधेयक होता है उसकी परिधि के बारे में और जो नया विधेयक आता है उनमें अन्तर होता है। नए विधेयक में परिधि बहुत व्यापक रहती है उसमें कोई इस प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती और यहां तक कि यह प्रस्तावना भी बदली जा सकती है और व्यापक की जा सकती है क्योंकि इस पर भी वोट लेना होता है और उसको भी कोई बदलना या व्यापक करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन संशोधन विधेयक में मूल अधिनियम मौजूद होने के कारण उसकी सीमा रहती है और कुछ कारणों से वह सीमा और परिधि सीमित रहती है। हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि नए विधेयक में परिधि को व्यापक करने का सदन को अधिकार है। इसलिये विवादास्पद संशोधन अवैध नहीं है और जो परिवर्तन प्रवर समिति ने उपस्थित किए हैं सदन उन पर विचार कर सकता है।

(कुछ ठहर कर)

अब यह दसवां खंड जो है उसी को पहले ले लिया जाय क्योंकि आगे चल कर मुमकिन है उसके कुछ परिणाम होते हों। उस पर श्री रामसुन्दर पांडेय भाषण दे चुके थे अब श्री नारायणदत्त तिवारी उत्तर देंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष—वह अगर नहीं बोलना चाहते तो आखिर में वह उत्तर दे सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—चांसलर बनाये जाने के सम्बन्ध में मैंने इसके विरोध स्वरूप पहले भी आपत्ति उठाई थी और अब भी उठाई लेकिन कोई भी संयत तर्क उसके विरोध में अभी तक मुझे नहीं मालूम हुआ और जिन माननीय सदस्यों ने....

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मुझे एक वैधानिक आपत्ति है कि माननीय नारायणदत्त तिवारी उस वक्त बोल चुके और वाइंडिंग अप करते वक्त ही यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या वह विधान के अनुसार उसका जवाब दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—वैधानिक आपत्ति जो सदन में होती है वह कोई उत्तर नहीं होता, जो डिबेट हुआ है वह उसका उत्तर देंगे। उन्होंने जवाब नहीं दिया था।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैं भी श्रीमन्, खड़ा हुआ था श्री रामसुन्दर पांडेय के बाद और उसी समय यह वैधानिक आपत्ति उठाई गई तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझे भी थोड़ा सा समय देंगे ?

श्री अध्यक्ष—मैंने कहा रामसुन्दर जी बोल चुके थे....

श्री राजनारायण—त्यों ही मैं खड़ा हुआ।

श्री अध्यक्ष—आप नहीं खड़े हुए वह खड़े हुए। (श्री राजनारायण के खड़े होने पर) आप कृपा करके बैठें। मैंने कहा था कि राम सुन्दर जी बोल चुके थे और तत्काल मैंने चारों तरफ देखा कि इस कथन के बाद कोई बोलने को खड़ा होता है या नहीं लेकिन मैंने देखा कोई खड़ा नहीं हुआ और आप भी नहीं खड़े हुये। इसलिये मैंने कहा कि नारायणदत्त जी उत्तर देवें।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं इस समय तो अधिक नहीं कहना चाहता। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार वास्तव में यह चाहती है कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय किसी ऐसे कुलपति के अधीन और नेतृत्व में फले फूले जिन्हें वास्तव में संस्कृत भाषा, संस्कृत परम्परा, संस्कृत वाङ्मय का ज्ञान है तो यह उचित होगा कि चांसलर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो संस्कृत वाङ्मय का विद्वान् हो। राज्यपाल कभी कभी इस प्रकार के भी हो सकते हैं जिन्हें संस्कृत के प्रति प्रेम हो, उनकी निष्ठा हो अवश्य लेकिन संस्कृत के लिये निष्ठा होते हुये भी उन्हें संस्कृत का उतना ज्ञान न हो। तो इस लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति एक ऐसे व्यक्ति हों जो संस्कृत भाषा के पंडित हों।

माननीय परिपूर्णानन्द जी ने मेरे संशोधन के विरोध में अनेक तर्क उपस्थित किये। उसमें एक तर्क उन्होंने यह भी उपस्थित कर दिया कि इंडोलौजी का क्या अर्थ है। इंडोलौजी तो एक बहुत बड़ा टर्म है, इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। श्रीमन्, मैं क्या निवेदन करूं जो कुछ भी है भारतीय शास्त्र, भारतीयता की जानकारी कराने वाला शास्त्र इंडोलौजी है। वह कोई ऐसा विषय नहीं है जिस विषय में जानकारी रखने वाले इस देश में न हों। अगर उनका यह ख्याल है कि इस देश में संस्कृत का पर्याप्त ज्ञान रखने वाले विद्वानों की कमी हो गई या अप्राप्य हैं और इंडोलौजी का ज्ञान रखने वाले विद्वान् भी अप्राप्य हैं तो मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मुझे विश्वास है कि अब भी देश में ऐसे विद्वान्, ऐसे साहित्यकार, ऐसे मनीषी विद्यमान हैं जिन्हें संस्कृत वाङ्मय ही नहीं बल्कि भारतीयता और भारतीय शास्त्र का भी काफी और यथोचित ज्ञान है। मैं तो स्वयं परिपूर्णानन्द जी को कुछ अंशों में इंडोलौजी का ज्ञान रखने वाला एक विद्वान् मानता हूं और मुझे यह भी विश्वास है कि बनारस में ही स्वयं ऐसे कई व्यक्ति होंगे, कई विद्वान् होंगे अगर सरकार चाहेगी तो वे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इस विश्वविद्यालय के कुलपति का भार ग्रहण कर सकेंगे । डाक्टर भगवान दास का नाम राजनारायण जी ने स्वयं लिया था । कौन यह कह सकता है कि डाक्टर भगवान दास इंडोलाजी के विद्वान नहीं हैं, संस्कृत के विद्वान नहीं हैं । अगर ऐसे व्यक्तियों को हम कुलपति के पद पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं तो हमें विधानतः कोई रुकावट नहीं प्रस्तुत करनी चाहिये । मुझे आशा है कि मंत्री जी मेरे विचार को स्वीकार करेंगे और मेरा संशोधन मन्जूर करेंगे ।

श्री हरगोविन्दसिंह—मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"१०—(१) राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को कुलपति नियुक्त करेगी जो शिक्षा-विद (educationist) अथवा संस्कृत या इन्डोलाजी (Indology) के विद्वान के रूप में ख्यात प्राप्त हो । उसे कोई वेतन नहीं दिया जायगा ।

(२) कुलपति का कार्यकाल ५ वर्ष होगा,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर भी वह तब तक पदासीन रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी ने अपने पद का कार्यभार न संभाल लिया हो ।

(३) कुलपति के पद के आकस्मिक रिक्ति में उसके पद के कर्त्तव्यों का सम्पादन, उस पद की पूर्ति किये जाने तक, ऐसे शिक्षाविद (educationist) अथवा संस्कृत या इन्डोलाजी (Indology) के विद्वान् व्यक्ति द्वारा किया जायगा जिसे राज्य सरकार नाम-निर्देशित करे ।

(४) कुलपति, अपने पद के कारण, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष (Head) तथा संसद् का सभापति (President) होगा और वह, उपस्थित रहने पर संसद् के अधिवेशनों तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह (Convocation) का सभापतित्व करेगा ।

(५) कुलपति को ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे दिये जायं ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १०—क

प्रतिकुलपति

१०—क—(१) बनारस के महाराजा विभूति नारायण सिंह विश्वविद्यालय के प्रथम आजीवन प्रतिकुलपति होंगे । कुलपति राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् द्वितीय तथा उसके बाद के प्रतिकुलपति नियुक्त करेंगे तथा वे ऐसे कार्यकाल के लिये पदासीन होंगे जिसे कुलपति प्रत्येक दशा में अवधारित करें ।

(२) कुलपति की अनुपस्थिति में प्रतिकुलपति शिष्ट परिषद् की बैठक में तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे ।

(३) उनके अन्य ऐसे अधिकार होंगे जो उन्हें इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान किये जायं ।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि---खंड १०-क के उप खंड (१) की पंक्ति २ का शब्द "आजीवन" निकाल दिया जाय ।

मेरा संशोधन श्रीमन्, बड़ा सूक्ष्म और उचित है । मैं यह चाहता हूं जैसा कि मैंने पहले भी अपना विचार माननीय नारायणदत्त जी के संशोधन के समर्थन में इस सदन के सम्मुख आपके द्वारा प्रस्तुत कर चुका हूं कि महाराजा बनारस यदि प्रति उपकुलपति बनाये जायं तो बनाये जायं, उन्हें सरकार सम्मान या मुआवजा देना चाहती है तो दे । लेकिन अब वे आजीवन सदस्य बने रहें, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए । अब इसके पक्ष में श्रीमन्, बहुत से तर्क पेश करने की आवश्यकता मैं नहीं महसूस करता । मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी बहुत गौर करके इस बात पर विचार करेंगे कि और यह समझेंगे जैसा कि उनका विचार है वह समझते हैं कि महाराजा का आदर संस्कृत के विद्वान् और भारतीय संस्कृति के प्रति पुरातन से आज तक रहा है और आज भी है तो मैं समझता हूं कि पंडित समाज या संस्कृत के विद्वान् जो उनके परम्परागत इतिहास को जानते हैं वह कभी भी उनको जो सम्मान सरकार देना चाहती है उसका विरोध नहीं करेंगे और मैं यह नहीं समझता हूं कि इस तरह अगर पांच वर्ष या दस वर्ष कर दिया जाय और उसके बाद फिर वह प्रतिकुलपति नियुक्त होते हों तो कोई बाधा होती है । इसलिए मैं समझता हूं कि आजीवन शब्द निकाल दिया जाय तो बेहतर होगा । मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसे अवश्य स्वीकार करेंगे ।

***श्री अवधेशप्रतापसिंह** (जिला फैजाबाद)---मान्यवर, मैं प्रस्तुत संशोधन के विरोध में खड़ा हुआ हूं । मैं माननीय रामेश्वर लाल जी को सुनता रहा । उन्होंने यह उचित समझा इस समय कि कोई तर्क न दें कि वह क्यों यह चाहते हैं कि महाराजा बनारस उस संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आजीवन न रहें ।

श्री राजनारयण---श्रीमन्, कोरम नहीं है शायद ।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गई ।)

[**श्री राजनारायण**---श्रीमन्, आरम्भ में ही यह हालत है कि कोरम नहीं पूरा हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष---इस बात के लिये मैं जरूर कहूंगा कि सरकारी पक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी है । कुछ तो आपकी भी है लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है ।]

(कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अवधेशप्रतापसिंह---मान्यवर, जैसा कि मैंने अभी कहा कि कोई तर्क देना उन्होंने उचित नहीं समझा और केवल एक मनोभावना है, एक मनोवृत्ति है, जिसके आधार पर वह यह चाहते हैं कि महाराजा बनारस प्रो-चांसलर न रहें आजीवन। वह जल्दी न करें, जो मैंने सुना है वह ठीक सुना है और यदि उन्होंने ठीक कहा तो उन्हें कोई भ्रम और आपत्ति नहीं होनी चाहिये, जो उन्होंने कहा है वही मैं कहूंगा । वह यह चाहते हैं कि वह आजीवन प्रो-चांसलर न रहें । मान्यवर, मंत्री महोदय एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार इस सदन में कह चुके हैं कि यह स्थान जो है वह डेकोरेटिव है, भले ही कोई माननीय सदस्य यह कहना शुरू करें कि यह डेरोगेटरी है, मैं तो यह कहता हूं कि यह डेकोरेटिव है, सम्मानार्थ यह पद रखा गया है यह देखते हुए कि महाराजा बनारस ने इस विद्या के प्रति क्या-क्या किया है, उनकी स्मृतियों के प्रति उनकी श्रद्धा क्या रही और उन्होंने कितनी सहायता इसके प्रोत्साहन में दी है और किस तरह से इसको सफलीभूत और पनपने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

के लिए जो कुछ महान् त्याग उन्होंने किये हैं उसको स्वीकार करते हुए सरकार ने आज उनको यह पद प्रदान किया है। मान्यवर, यदि यह कहा जाय कि केवल कुछ समय के लिए वह प्रो-चांसलर रखे जायं, जो कि शायद हमारे माननीय मित्र चाहते हों, तो जिस उद्देश्य से और जिस लक्ष्य से यह उनको प्रो-चांसलर बनाया जा रहा है वही समाप्त हो जाता है। एक सेवा जो उनकी थी, वह सरकार द्वारा स्वीकार की गयी है। इस सदन में माननीय सदस्यों ने यह बताया है, यदि माननीय परिपूर्णानन्द जी याद रखते हों तो वह यह समझ सकते हैं कि वह बनारस के एक कल्चुरल हैंड माने जाते हैं, सांस्कृतिक शिरोमणि माने जाते हैं और संस्कृति और संस्कृत भाषा के लिये जो कुछ उन्होंने किया है उसके विषय में जो कुछ हो रहा है वह कम है। मुझे तो श्रीमन्, यह शिकायत है कि किसी को कुलपति होना चाहिये था इस यूनिवर्सिटी का तो वह महाराजा बनारस को होना चाहिये था। प्रो-चांसलर करके, मैं समझता हूं कि उनकी सेवाओं के लिये उचित रूप से उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। दूसरी जगह पर मेरे लायक दोस्त का यह कहना कि वह आजीवन न रहें बल्कि कुछ नियत समय के लिये प्रो-चांसलर रखे जायं, तो उसका अभिप्राय केवल यह होगा कि जिस उद्देश्य से उनको प्रो-चांसलर बनाया जा रहा है वही समाप्त हो जाता है। इन शब्दों से मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि वह इसको वापस लें, क्योंकि यह केवल एक मनोभावना का परिचायक है। इसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं तो फिर वाद-विवाद करना सर्वथा अनुचित है।

श्री हरगोविन्दसिंह—विचार के लिए यह संशोधन ही अपूर्ण है। इस कारण कि अगर वह निकाल दिया जाय तो फिर क्या रह जायगा, वह स्वयं आप पढ़ कर देख सकते हैं। लेकिन, खैर सरकार को यह संशोधन मंजूर नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष—उस रोज एक प्रस्ताव इसको खत्म करने के लिए आ रहा था, जरा इसका खयाल रहे और शीघ्रता रहे।

श्री जोरावर वर्मा—माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह अपूर्ण क्यों है कि अगर इसे स्वीकार कर लें तो पूर्ण किया जा सकता है और जिन शब्दों में वह चाहें रख दें। सवाल है संशोधन के अर्थ का। श्री रामेश्वरलाल जी ने जो संशोधन रखा है, मैं समझता हूं अपने स्थान पर उपयुक्त है। जहां तक अवधेश प्रताप सिंह जी का ताल्लुक है उनके लिए प्रो-चांसलर आजीवन रहना उचित हो सकता है लेकिन जब कि हमारे राज्य ने और हमारी केन्द्रीय सरकार ने आजीवन की जितनी चीजें थीं वह सभी अबालिश कर दी हैं, लेकिन किसी आदमी ने कोई सेवा की है या कोई रुपया दे दिया है उसी आधार पर उसे आजीवन इस संस्था के ऊपर लाद दिया जाय तो मैं समझता हूं यह उस संस्था के लिए न्यायोचित नहीं होगा। जब गोरखपुर विश्वविद्यालय ऐक्ट हमारे सामने था और जब बिल पेश किया गया था तो जो फाउंडेशन सोसायटी थी उस में आजीवन सदस्यता का सवाल था उसको प्रवर समिति ने अलग कर दिया और राज्य सरकार ने भी उसको खत्म कर दिया तो प्रजातंत्र की रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि कोई भी पद आजीवन के लिये न हो। अगर उनकी संस्था के लिये आवश्यकता है तो मैं समझता हूं कि यह सरकार या कोर्ट इतनी अनुदार न होगी कि उनको उसमें स्थान न दे। इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री रामेश्वरलाल—श्रीमन्, मैं उन सदस्यों को जिन्होंने हमारे संशोधन के प्रति अपने विचार प्रकट किये हैं, धन्यवाद देता हूं और आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि यदि "आजीवन" शब्द को निकाल दिया जाय तो इस खंड का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। मैं समझता हूं कि यदि मंत्री जी प्रजातंत्र के हिमायती

हैं और समाजवाद की बात करने जा रहे हैं और करते हैं तो फिर किसी भी व्यक्ति को जीवनोपरान्त अधिकार देने की बात करना, समाजवाद में और प्रजातंत्र में कितना घातक है, यह तो माननीय शिक्षा मंत्री जी स्वयं समझते हैं। अवधेश प्रताप सिंह जी महाराजा बनारस के पक्षपाती हों तो यह कोई नई बात नहीं है वह तो उनकी पीढ़ी की परम्परा है किन्तु मंत्री जी विरोध करें तो मुझे आश्चर्य होता है। यह तो मैं पहले कह चुका हूं कि महाराजा बनारस को आजीवन रखे बिना संस्था का काम न चल सकता हो तो मैं यह चाहता हूं और जानता हूं कि यदि उनकी श्रद्धा संस्कृत के प्रति काफी है तो वहां के कुलपति या राज्य सरकार द्वारा यह सम्मान प्राप्त करते रहेंगे और इसको किसी प्रकार की चोट पहुंचने वाली नहीं है। यदि उन्होंने ऐसा काम किया जिससे इस विश्वविद्यालय को क्षति पहुंचने वाली हो तो मंत्री जी बतला दें कि कौन सा अंग इस विधेयक में है जिससे वह पदच्युत किये जा सकेंगे। मैं समझता हूं कि आजीवन रखने के बाद उनको अधिकार नहीं होगा कि विश्वविद्यालय के लिये बुरा काम करने पर भी निकाल सकें। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा था और मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस पर गहराई से विचार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १०–क के उपखंड (१) की पंक्ति २ का शब्द "आजीवन" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन रखना चाहता हूं कि खंड १०–क का उपखंड (१) निकाल दिया जाय।

श्रीमन् यह खंड १०–क का उपखंड (१) है यह प्रतिकुलपति के लिये धारा है। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि इस धारा के उपखंड १,२ तथा ३ के द्वारा जो प्रतिकुलपति का अधिकार महाराजा बनारस को दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि यह धारा निकाल दी जाय जिससे किसी व्यक्ति विशेष के सम्मान में कोई अधिनियम बनाया जाय सरकार द्वारा और इस सदन द्वारा ऐसा कलंक सरकार न ले। मैं श्रीमन्, उस कानून को लोकतंत्र की दृष्टि से बहुत खराब समझता हूं कि जिस देश में लोकतंत्र की पद्धति चालू हो और जहां पर यह डींग हांकी जाती हो कि हम व्यक्ति की पूजा नहीं चाहते हैं बल्कि समाज की पूजा चाहते हैं, ऐसे रास्ते पर चलने वाली सरकार किसी व्यक्ति विशेष के लिये इस अधिनियम में उपधारा जोड़े और सदन को मजबूर करे कि एक व्यक्ति विशेष को आजीवन प्रतिकुलपति माने।

श्री जोरावर वर्मा—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, कहा जाता है माननीय शिक्षा मंत्री जी की ओर से कि किसी व्यक्ति विशेष के सम्मान के लिये यह धारा जोड़ी गयी है। व्यक्ति विशेष का सम्मान अधिनियम द्वारा हो, धाराओं में संशोधन करके हो, यह अच्छी बात नहीं है। यों तो इस अधिनियम के जरिये सरकार को पूरा अधिकार मिला हुआ है। अगर व्यक्ति विशेष को यह स्थान न दे कर के केवल प्रतिकुलपति का पद स्थापित कर दिया जाता सरकार के परिनियमों, अध्यादेशों द्वारा तो दूसरी बात थी। हो सकता है कि सरकार की नजरों में बनारस के महाराजा साहब ही सर्वोत्तम हों, उन्हीं को नामजद कर दे या सरकार का प्राधिकारियों में पूरा बहुमत से उन्हीं का नाम हर साल होता। लेकिन अधिनियमों में श्रीमन् यह सब से पहला अधिनियम है इस प्रदेश के विश्वविद्यालयों के संबंध में यहां इस प्रकार की धारा जोड़ी गयी है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री और उपमंत्री से जानना चाहूंगा हूं कि वे बतायें कि इस प्रदेश के किसी दूसरे विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में ऐसा प्राविजन है? श्रीमन्, अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुआ है। उसके बनाने के लिये तथा रुपया इकट्ठा करने के लिये एक कमेटी बनायी गयी और उस कमेटी के जो संचालक हैं, क्या गोरखपुर विश्वविद्यालय में

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

उनके लिये कोई प्रतिकुलपति बनाने का प्राविजन रखा गया है ? बहुत से लोगों ने रुपया दिया है। और रुपये की बात छोड़िये, बनारस संस्कृत कालेज के बनाने में केवल महाराजा, बनारस का ही हाथ नहीं रहा। हो सकता है कि उनके वंशजों ने बहुत ज्यादा रुपया दिया हो। लेकिन केवल रुपये से ही कोई संस्था नहीं चला करती। रुपये से भी चलती है और साथ साथ चलाने वाले शिक्षाविदों की भी जरूरत होती है। मैं जानना चाहता हूं कि महाराजा बनारस के वंशजों ने जिस वक्त रुपया दिया था क्या उस वक्त बनारस में संस्कृत के पढ़ाने वाले जिन्होंने बिना पैसे के, बिना कोई पारिश्रमिक लिये संस्कृत के लिये अपना जीवन दान दिया, पर सरकार उनके लिये क्या करने जा रही है? उन्होंने बहुत रुपया दान दिया था, हम उनके लड़के हैं, नालायक हैं और उतनी योग्यता नहीं रहते हैं हमसे अधिक योग्यता श्रीमन् आपकी है, और फिर भी हमको कर दिया जाय तो कितना अनुचित है। उस जमाने में बहुतेरों ने रुपये दिये हैं ? मैं जानना चाहूंगा श्रीमन् उनके वंशजों को प्रतिकुलपति बनाने के लिये आपने कुछ क्यों नहीं किया। उसमें आपका क्या नुक्सान है ? क्या उनके लिये इस विधेयक में कोई प्राविजन है ? इस प्रकार से जिन्होंने अपना योगदान दिया क्या वे संसद् में रखे जायेंगे, कार्यकारिणी में रखे जायेंगे, शिक्षा परिषद् में रखे जायेंगे, किन्तु कोई प्राविजन नहीं है।

दूसरी बात, आज प्रदेश में बहुत से राजे महाराजे हैं, बहुत से पूंजीपति हैं जो रुपया दिया करते हैं और सरकार की जो परम्परा है मेरा ख्याल है उसी के मुताबिक वह चलती है। इस सरकार को आगे बढ़ाने के लिये जो अधिक रुपया दे देंगे ...

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप थोड़ा सा असंगत जा रहे हैं। आप चुनाव को बीच में मत लाइये।

श्री रामसुन्दर पांडेय--श्रीमन्, इसमें जो सम्मानित पद देने की बात कही गयी है।

श्री अध्यक्ष--यह ठीक है लेकिन आप अब चुनाव के बारे में फिर भाषण में जिक्र कर रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--मैं एक उदाहरण देना चाहता था, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--तो मैं यह कह रहा था कि सरकार की ओर से ऐसे लोग ही प्रतिष्ठित किये जाते हैं। मैं चाहता हूं कि प्रतिकुलपति जो कुलपति के बाद स्थान है और कुलपति सरकार की नजरों में बहुत बड़ा शिक्षाविद् है और उसका पद इसीलिये आज इस विधेयक के जरिये से ऐसा किया जा रहा है। अब कहा गया है कुलपति के स्थान पर प्रतिकुलपति सब कुछ करेगा :--

> "कुलपति की अनुपस्थिति में प्रतिकुलपति शिष्ट परिषद् की बैठक में तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे। उनके अन्य ऐसे अधिकार होंगे जो उन्हें इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान किये जायं।"

मैं जानना चाहूंगा कि किसी भी सभा का सभापति कैसे चुना जाता है। अब तक जो रिवाज है श्रीमन्, हमारे सदन में मुख्य मंत्री जी विराजमान हैं वह कैसे चुने गये हैं, आप अध्यक्ष के आसन पर विराजमान हैं, आप कैसे चुने गये हैं। श्रीमन्, किसी भी परिषद् में, किसी भी सभा में ऐसे व्यक्ति को सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से चुनते हैं जो उनकी नजरों में सर्वश्रेष्ठ होता है, ऐसा मालूम होता है कि यह व्यक्ति निष्पक्ष है, योग्य है और इस संस्था की उस कार्यवाही को अच्छी प्रकार से चला सकेगा। शिष्ट परिषद् में, चुनाव में या उनके अधिवेशनों में ऐसे ही लोग दाखिल होंगे जो वर्तमान प्रतिकुलपति का स्थान जिन्हें प्रदान किया जा रहा है। श्रीमन्, कभी कभी ऐसे अवसर आ जाते हैं अभी सरकार अगर यह कह उठे कि आपको उस कुरसी से हटाकर

इस सदन के किसी ऐसे सम्मानित सदस्य को विराजमान कर दें जिनको पूर्व पश्चिम का ज्ञान न हो तो मैं क्या समझूंगा, मैं उसे इस सदन का, इस कुरसी का अपमान समझूंगा उसी प्रकार से मैं समझता हूं कि ऐसे विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति ऐसे व्यक्ति आजीवन बनाया जा रहा है जो मैं समझता हूं कि जो शिष्ट परिषद् की रचना होगी जो कि अधिकार दिये जा रहे हैं कुलपति की अनुपस्थिति में वह उसे पूर्ण करने में बिल्कुल असमर्थ होंगे। मैं अधिक न कह कर यही निवेदन करूंगा कि यह धारा जो है इस विधेयक के लिये कलंक है। मैं इसको पूंजीवादी विचारधारा का समझता हूं और मैं समझता हूं कि इस धारा का विचार करके प्रवर समिति में और इसका समर्थन इस हाउस में करके हम समाज की पूजा नहीं करते। समाज की पूजा और लोकतंत्र की पूजा अगर हो सकती है तो जो पहले की धारा से जो पहले का विधेयक था, जिसमें प्रतिकुलपति का कोई स्थान नहीं था, वही हमारी नजरों में, सदन की नज़रों में और बाहर के लोगों की नजरों में अच्छा था और बाहर के लोग उसी से कुछ आशा लगाये बैठे थे। इस धारा को जोड़ कर मैं समझता हूं कि प्रवर समिति ने एक व्यक्ति विशेष की पूजा के लिये, एक तानाशाही मनोवृत्ति कायम करने के लिये अवसर प्रदान किया है और मैं चाहता हूं कि सदन इसको जरूर ठुकराये।

श्री राजनारायण—मालूम होता है कि सदन में कोरम फिर नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गयी।)

[श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सचेतक जी को जरा सदस्यों को सचेत करना होगा। क्योंकि वे कुछ देर सदन में बैठते हैं और चले जाते हैं, यह उचित नहीं है।

श्री राजनारायण—३७ मिनट के अन्दर तीन बार कोरम के लिये घंटी बजाई जाय, मैं समझता हूं कि पार्लियामेंटरी पद्धति के लिये यह अद्वितीय चीज है।]

(कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं इस उपखंड का विरोध माननीय रामसुन्दर जी द्वारा बताये गये कारणों से भिन्न कुछ दूसरे कारणों से भी करना चाहता हूं। मैं समय बचाने के लिये उन सभी तर्कों को दोहराना नहीं चाहता जिनको माननीय पांडेय जी ने प्रस्तुत किया है। मैं केवल आपका ध्यान इस उपखंड की भाषा की ओर ले जाना चाहता हूं; इसमें लिखा है:—

"१०—क—(१) बनारस के महाराजा विभूति नारायण सिंह विश्वविद्यालय के प्रथम आजीवन प्रतिकुलपति होंगे। कुलपति राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् द्वितीय तथा उसके बाद के प्रतिकुलपति नियुक्त करेंगे तथा वे ऐसे कार्यकाल के लिये पदासीन होंगे जिसे कुलपति प्रत्येक दशा में अवधारित करें।"

अब इस प्रकार का आश्चर्यजनक कानून पहले किसी विधेयक में प्रस्तावित नहीं किया गया कि एक प्रतिकुलपति के चुने जाने के लिये दो तरीके रखे गये हों। पहले प्रतिकुलपति का चुनाव तो इस सदन ने किया इस विधेयक के द्वारा और यह कह दिया कि पहले प्रतिकुलपति महाराजा विभूति नारायण सिंह होंगे, आजीवन होंगे। लेकिन उनके बाद एक दूसरी व्यवस्था रखी। या तो इस उपखंड में यह हो जाय कि महाराजा बनारस और उनके वंशज ही प्रतिकुलपति होंगे, पहले वह होंगे, फिर उनके सुपुत्र होंगे, फिर उनके प्रपौत्र होंगे, फिर महा प्रपौत्र होंगे। इस तरह से उनके वंशजों के नाम प्रतिकुलपतित्व स्थायी कर दिया जाता। एक तो यह तरीका होता, या यह तरीका होता कि कुलपति राज्य सरकार की इच्छा से जिस को चाहे प्रतिकुलपति के पद पर नियुक्त कर दे। लेकिन एक ही उपखंड में भिन्न-भिन्न तरीके, जो परस्पर विरोधी भी हैं, अतर्कसंगत हैं, रखना कहां तक न्याय संगत है। फिर माननीय परिपूर्णानन्द जी ने एक तर्क दिया कि महाराजा बनारस का वंश ही विद्वान है। हर साल उन पर फूलों की मालायें

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

बरसती हैं, लाखों आदमी उन पर फूल बरसाते हैं, लेकिन इस उपखंड से भी उनका विरोध प्रकट होता है, उनका तर्क इससे कट जाता है, क्योंकि यदि उनका वंश ही विद्वान हो तो क्यों न उनके बाद उनके वंशज ही इस पद पर नियुक्त किये जाते। इस से उनके वंशजों की योग्यता का खंडन हो जाता है क्योंकि पुत्र को तो आपने योग्य माना ही नहीं, नहीं तो आप उन के उत्तराधिकारी को ही रखते। तो उनका तर्क भी असफल हो गया और दूसरी बात कि प्रतिकुलपति को कुलपति के ही अधिकार प्राप्त हैं।

जहां पर प्रेसीडेंट न हो वहां पर प्रेसीडेंट का कार्य वाइस-प्रेसीडेंट करते हैं। जब रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसीडेंट की मृत्यु हो गयी तो जो वहां के वाइस प्रेसीडेंट थे ट्रूमेन उनको प्रेसीडेंट बना दिया गया और सहसा उनको प्रेसीडेंट का काम करना पड़ा। इसलिये यदि हमें उपकुलपति का भी चुनाव करना हो तो प्रतिकुलपति के चुनाव की पद्धति को ध्यान में रखते हुये यह करना चाहिये क्योंकि उपकुलपति भी वही विचार सम्पादित करता है जो कि कुलपति करता है। मान लीजिये कि दीक्षान्त भाषण होना है और उस भाषण के लिये कुलपति उपस्थित नहीं है तो उसके स्थान पर प्रतिकुलपति को सभापतित्व करना पड़े तो प्रतिकुलपति के अधिकार से शिष्ट परिषद् की सभा में वही रूलिंग दे सकता है। जिस प्रकार से विश्वविद्यालय की किसी सभा में कुलपति दे सकता है। इसलिये प्रतिकुलपति की नियुक्ति में हमको विशेष सावधानी रखनी चाहिये। तो यहां पर आगे लिखा हुआ है कि प्रतिकुलपति राज्य सरकार की सलाह से कुलपति नियुक्त करेगा। इसको कोई कमेटी सेलेक्ट नहीं करेगी जिस प्रकार के वाइस चांसलर का चुनाव होता है। दूसरे कौन करेगा। जो कुलपति हेड आफ दि स्टेट है, जो चांसलर है वह राज्य सरकार की सलाह से करेंगे तो इस प्रकार से इसमें रखना कि राज्य सरकार की सलाह से उसकी नियुक्ति करे यह एक प्रकार से कुलपति के कर्त्तव्य, अधिकारों को अपहृत करना है। मैं इसको किसी प्रकार भी उचित नहीं समझता कि प्रतिकुलपति की नियुक्ति के लिये राज्य सरकार कुलपति से कहे कि फलां प्रतिकुलपति नियुक्त किया जाय। फिर यह कि उसी अवधि के लिये प्रतिकुलपति रहेगा जिस अवधि के लिये राज्यपाल की अवधि रहेगी। जैसे राज्यपाल बदलते जायेंगे उसी प्रकार से प्रतिकुलपति बदलते जायेंगे। अगर एक साल के लिये कोई गवर्नर रखा गया है तो उतने समय तक ही वह भी रहेगा। दूसरा और तीसरा कुलपति आयेगा तो उसके लिये भी वही निर्धारित करेगा। प्रतिकुलपति कितने साल के लिये रहेगा इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर नियमों में कुछ गुंजाइश होती तो तब भी कुछ समझने की बात थी। इसलिये मैं यह समझता हूं कि जिस प्रकार से यह खंड बनाया गया है कि राज्य सरकार की स्वीकृति से वह नियुक्त होगा और भिन्न-भिन्न विचारों को जो इस उपखंड में रखा गया है यह इस हालत में मैं उपयुक्त नहीं समझता हूं। इसलिये मैं इस खंड का विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह जो खंड है मैं उसका विरोध करता हूं। यदि यह उपखंड देखा जाय तो जो १० (क) का (१) है और जिसके विषय में रामसुन्दर पांडेय जी का संशोधन है, मैं उसका समर्थन करता हूं; इस उपखंड में यह स्पष्ट लिखा हुआ है "बनारस के महाराजा विभूति नारायण सिंह विश्वविद्यालय के प्रथम आजीवन प्रतिकुलपति होंगे।"

"१०—क—(१) बनारस के महाराजा विभूति नारायण सिंह विश्वविद्यालय के प्रथम आजीवन प्रतिकुलपति होंगे। कुलपति राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् द्वितीय तथा उसके बाद के प्रतिकुलपति नियुक्त करेंगे तथा वे ऐसे कार्यकाल के लिये पदासीन होंगे जिसे कुलपति प्रत्येक दशा में अवधारित करें।"

माननीय रामसुन्दर जी और माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने इस संबंध में बहुत से तर्क प्रस्तुत किये। नारायणदत्त जी के तर्क मैं समझता हूं, सरकार के पक्ष में जाते

हैं और यदि जैसा वह चाहते हैं वही सरकार कर दे तो इस समय जो वर्तमान विधेयक की धारा है उससे भी प्रतिक्रियावादी वह हो जायगा लेकिन मैं समझता हूं सरकारी विधेयक में जितनी भी असंगत बाते हैं उनको असंगत कहना ही माननीय नारायण दत्त जी ने अपना कर्तव्य समझ लिया था और उन्होंने उनको गिना दिया। मगर जिस रूप में धारायें रखी जा रही हैं, नारायण दत्त जी ने उसका विरोध ही किया। इस समय बनारस के महाराजा विभूति नारायण सिंह इसके आजीवन प्रतिकुलपति बनाये जा रहेहैं तब तो इतना उसका विरोध हो रहा है लेकिन अगर वंश भर के लोगों के लिये यह किया गया होता तो शायद कांग्रेस पक्ष के लोग भी उसका विरोध करते। (श्री नारायण दत्त तिवारी तथा दूसरे माननीय सदस्यों द्वारा कुछ कहने पर) माननीय नारायण दत्त जी ने जो असंगत बातों को बताया उसका अर्थ बाद को माननीय सदस्य उल्टा न लगा लें, इसलिये पहले से ही मैंने उसको साफ कर दिया। माननीय मंत्री जी संभवतः यह उचित ही समझते हैं कि इस विधेयक को जल्द पास कर दिया जाय इसलिये कि इस सदन में इसपर बोलने के लिये अधिक समय न रहे और जो गलतियां इस विधेयक में हैं उन पर अधिक प्रकाश न पड़ पाये। यह भी संभव है कि महाराजा विभूति नारायण सिंह के बाद शायद महाराजा का पद भी न रहे, वह पदवी हटा दी जाय और उन्हीं के आजीवन काल तक यह पदवी रहे। माननीय परिपूर्णानन्द जी के बारे में किसी को भ्रम न रहे वे विशेष तरीकों से प्रभावित होते हैं और तर्क प्रस्तुत करते हैं। वे विभूति नारायण सिंह जी को प्रतिकुलपति बना रहे हैं और उसके लिये उनको पूरी ताकत लगा देनी चाहिये। इस प्रकार वे अपने कर्त्तव्य का ही पालन कर रहे हैं। हम इस सदन में केवल इतना ही जानना चाहते थे कि सरकार ने और माननीय मंत्री जी ने समय-समय पर तर्क दिये कि काशी नरेश को सामने रख कर भारतीय परम्परा और संस्कृति को ध्यान में रख कर सदन में कहा गया कि काशी नरेश का भारतीय संस्कृति से संबंध है, हमारी प्राचीन सभ्यता से उनका संबंध है, यह एक डेकोरेटिव स्थान है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह भी जानना चाहा कि समाजवाद में क्या कोई डेकोरेटिव स्थान होगा या नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवाद में पद और डेकोरेशन विभिन्न दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार से दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष—यह तो पास हो चुका है।

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, तब हमको रोक दिया था और कहा था कि जब वह खंड आये तब हम यह बात कहें।

श्री अध्यक्ष—लेकिन आपने कोई कसर तो नहीं रखी थी।

श्री राजनारायण—मैं इतना ही कह रहा हूं कि एक साम्राज्यवादी हुकूमत में और एक प्रजातांत्रिक हुकूमत में डेकोरेशन के तरीके भिन्न होते हैं। हर एक के डेकोरेशन का तरीका भिन्न होता है। अगर कोई पहलवान है तो वह कुश्ती का सामान रखेगा और यदि कोई युद्ध करने वाला है तो वह धनुष-बाण रखेगा लेकिन अगर कोई संगीतज्ञ है तो वह तबला सारंगी आदि से अपने कमरे का डेकोरेशन करेगा।

श्री अध्यक्ष—यह तो उस रोज पास हो चुका है।

श्री राजनारायण—मैं बनारस के राजा विभूति नारायण सिंह को हटाने की बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—आप जो डिकोरेशन की बात कह रहे हैं तो उसके ऊपर तो बहस खतम हो चुकी है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा अर्ज कर रहा हूं कि इसको क्यों रखा जा रहा है?

एक सदस्य—आप अपनी दाढ़ी क्यों रखे हैं?

श्री राजनारायण—ठीक है, दाढ़ी भी एक डिकोरेशन ही है। यह दाढ़ी भी एक परम्परा की संस्कृति की द्योतक है। तो मैं उस सिद्धान्त में विश्वास करता हूं इसीलिये अपनी दाढ़ी रखता हूं। और बहुत से लोग तो अपनी मूंछों को बनवा करके किसी परम्परा का ही निर्वाह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अब इस पर टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं उधर नहीं जा रहा हूं। मैं इस पर आ रहा हूं कि महाराजा बनारस श्री विभूति नारायण सिंह को आजीवन इस प्रति कुलपति के पद पर नहीं रखना चाहिये, स्पष्ट तरीके से मेरा यह कहना है। और यदि इस सदन के किसी सम्मानित सदस्य के ध्यान में यह बात हो कि महाराजा विभूति नारायण सिंह का रहना इसलिये आवश्यक है कि संस्कृत के प्रति, प्राचीन संस्कृति के प्रति उनका अगाध प्रेम है इसलिये संस्कृत विश्वविद्यालय के खुलने पर वे उसके प्रति कुलपति हों, मैं इस बात को भी सही नहीं मानता हूं। यदि श्रीमन् इतिहास देखा जाय, क्योंकि इन काशी नरेश के कुल के बारे में बहुत सी बातें कही गयी हैं, मैं उस पुराने इतिहास को नहीं दुहराना चाहता हूं। आप देखेंगे कि महराजा चेतसिंह का इतिहास पलायनवादी मनोवृत्ति का ही रहा है। तो इसलिये मैं चाहता हूं कि इस सदन में अनर्गल तर्क न प्रस्तुत किये जायं और इस सम्बन्ध में मैं फिर कह देना चाहता हूं कि भले ही माननीय परिपूर्णानन्द जी अपने विशेष सम्बन्ध के कारण महाराजा बनारस के बारे में विशेष बात कहें लेकिन मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि मैं उनसे कम जानकारी उनके बारे में नहीं रखता हूं। उनका उनसे दूसरा कोई सम्बन्ध रहा होगा लेकिन हमारा सम्बन्ध उनसे सीधा है। उनका सम्बन्ध मालिक और नौकर का हो सकता है, अगर वे राजा होंगे, तो वे दीवान होंगे, लेकिन हमारा और उनका इतना सीधा सम्बन्ध है कि हम और वे एक ही कुल के हैं, एक ही खानदान के हैं। इसलिये श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि इस बात को अच्छी तरह से देखा जाय और इसकी विवेचना की जाय कि काशी नरेश जो हैं, आखिर बनारस राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें कितने राजा हुए, कैसे कैसे हुए और किनके कैसे कर्म रहे। इस बात में हमें जाने की जरूरत नहीं है कि अनावश्यक ढंग से व्यर्थ में महाराजा विभूति नारायण सिंह पर छींटाकसी कराने के लिये ही इस सरकार ने उनको इस प्रति कुलपति के पद पर लाकर रख दिया है। इसीलिये मैंने पहले ही कह दिया है और मैं यह भी श्रीमन्, आपको बतला देना चाहता हूं कि न मालूम कितने हमारे अनन्य मित्रों ने माननीय सदन के बाहर इस बात को कह डाला कि तुम आखिर क्यों महाराजा विभूति नारायणसिंह के पीछे पड़े हुए हो। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। जहां तक हमारे सिद्धान्त और लक्ष्य का प्रश्न हमारे सामने आयेगा उसके लिये हम अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का भी विछोह बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन अपने सिद्धान्त और लक्ष्य से कभी च्युत नहीं होंगे। जो पुराने राजा हैं उनको किसी विशेष स्थान पर नियुक्त करके सरकार यह कहे.. (माननीय शिक्षा मंत्री की तरफ इशारा करके) यदि आप कुछ कहना चाहते हों तो मैं बैठ जाऊं। यदि न बैठूं तो क्या करूं? शायद वे मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—आप मेरी तरफ मुखातिब हो जायं तो ठीक होगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं तो उनकी तरफ कभी-कभी इसलिये ताकने लगता हूं कि देखूं जो तर्क मैं दे रहा हूं वह उनके भीतर घुसता है या नहीं। इसलिये मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी हर दृष्टिकोण से देखें कि जो हमारी जनतांत्रिक परम्परा है, किसी राजा को किसी स्थान पर रख कर उस जनतांत्रिक परम्परा का अपमान करना चाहिये? बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रति कुलपति के स्थान पर सफल हो सकते हैं, उनके लिये गुंजायश होनी चाहिये। राजा, पुराने नवाब किस परम्परा के द्योतक हैं?

यह फ्यूडलिज्म है कि जिसके अनुसार कार्य करना सरकार ने अपना ध्येय बनाया है और सरकार उसको अभी जीवित रखना चाहती है। जिस उद्देश्य से महाराजा विभूति नारायण सिंह जी को प्रति-कुलपति पद पर स्थान दिया जा रहा है उसका मैं विरोधी हूं, मैं तो महाराजा शब्द का ही घोर विरोधी हूं और मैं समझता हूं कि यह शब्द ही समाज की विषमता का द्योतक है और जो समाज में समानता को अग्रसर होने देने में बाधक रहा है। मैं समझता हूं ऐसे लोगों को रख कर शोभा नहीं बढ़ती, अगर आपको शोभा बढ़ाना है तो देश की गरीबी को मिटा कर शोभा बढ़ाइये, समाज में समानता लाइये, उससे शोभा बढ़ेगी, जिनको कोई नहीं पूछ रहा और जो छिपे हैं उनको आप बाहर लाइये और जैसा कि स्वयं श्री परिपूर्णानन्द जी ने कहा था कि ट्रेन में चलते समय कभी-कभी बहुत से छिपे हुए विद्वानों की विद्वता मालूम होती है जिनकी कोई ख्याति नहीं है, ऐसे लोगों को खोज कर लाने से शोभा बढ़ सकती है और उनकी सार्थकता हो सकती है। लेकिन महाराजा विभूति नारायण सिंह को इस पद पर लाकर तो सरकार की वही गैरजनतांत्रिक प्रवृत्ति का पता चलता है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अब वह परिस्थितियां आ रही हैं कि जो आशा दान आदि की उनसे वह करते हों वह नहीं दे पावेंगे और मंत्री जी को थोड़े से लाभ के लिए कायदा नहीं बिगाड़ना चाहिए। अगर वह इसमें थोड़ा सा लाभ समझते हैं तो इससे एक बहुत बड़ा कायदा बिगड़ रहा है, नष्ट हो रहा है। इसलिये मैं फिर मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वह काशी नरेश को प्रतिकुलपति न बनावें। और इस अवसर पर मैं महाराजा विभूति नारायण सिंह जी से भी निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि सरकार ने उनकी सम्मति प्राप्त कर ली है या नहीं, यह हमें नहीं बताया गया है कि उनकी नियुक्ति करने की बात उनसे सहमति लेकर की गई है या नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि काशी नरेश को भी अपने प्रेस्टीज और सम्मान के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वतः इस पद का त्याग करें और उस पर वह न आवें। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस धारा को वापस ले और कभी आवश्यकता होगी तो इसकी व्यवस्था इस बिल में कर दी जायगी कि सरकार कोई नियम प्रतिकुलपति के लिए बना सकती है, लेकिन इस समय मैं चाहूंगा कि सरकार इसको वापस ले ले।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और श्रीमन्, वह इसलिए करता हूं कि मैं महाराजा बनारस का इस विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति होना न केवल उसके लिए शोभा की बात ही समझता हूं बल्कि उसके लिए एक गर्व की बात भी समझता हूं। काशी नरेश के परिवार से मेरा भी बहुत बड़ा सम्बन्ध रहा है। आज के समाजवादी युग में तो नये ढंग के बहुत से लोग मिलेंगे और नए समाजवाद की व्याख्या अपने मत से चाहे जो भी आज के समाजवादी लोग करें, लेकिन हमने काशी नरेश की परम्परा को उस समय सम्भालने का प्रयत्न किया था कि जब वारेन हेस्टिंग्ज का युद्ध चल रहा था और वहां की सत्ता और स्वतन्त्रता खतरे में थी। उसके बाद एक समय आया कि काशी नरेश की शक्ति घटी और वह गुलाम हुए और आज जो अपने को उनके परिवार का कहते हैं, जो उनके सजातीय थे उन्होंने कैसे उस राज्य को बिगाड़ा उसका इतिहास है। फारसी में एक कहावत है कि 'खाना वरअन्दाज हमीं ख्वेशांअन्द' यानी घर के बिगाड़ने वाले आपस के लोग ही होते हैं। खैर यह तो वह लोग ही जानें लेकिन संस्कृत की सेवा जो काशी नरेश ने की है, उसकी जो रक्षा की है उस रक्षा के नाते और जब तक कि काशी में संस्कृत का अध्ययन रहेगा तब तक यह भाव उसी रक्षा के सहारे रक्षा करता रहेगा। उसके नाते मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनको प्रतिकुलपति ही बनाया जाय, न केवल शोभा के लिये बल्कि उस विद्या के गौरव के लिये, उसके अभ्युत्थान के लिये। श्रीमन्, आपने इस सम्बन्ध में बहुत ही अच्छा किया कि डेकोरेटिव की व्याख्या करने से रोक दिया, सौन्दर्य और शोभा की व्याख्या तो किसी सुन्दर व्यक्ति को करनी चाहिये। मैं तो समझता

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

हूं कि इस प्रकार की व्याख्या करने का मैं अधिकारी नहीं हूं, और वे भी अधिकारी नहीं हैं जिनको देख कर शोभा भी लज्जित हो सकती हो। किन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे कैसा भी विरोध हो उसमें शोभा का बहुत ऊंचा स्थान रहता है...

श्री अध्यक्ष--मैं आपको भी रोकूंगा, वह चीज ९ वें खंड के वक्त निकल गई।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--आपकी आज्ञानुसार मैं अशोभनीय बातों को निवेदन भी नहीं करना चाहता। किन्तु, मैं श्रीमन्, पुनः यह अनुरोध करूंगा कि एक बार इस विषय पर काफी तर्क वितर्क हो गया। हम लोगों ने भी इस बारे में काफी छानबीन कर ली। आपके अमूल्य समय को नष्ट करके अपने विचार प्रकट कर दिये। अब एक हठधर्मी के नाते और जब कि इस बिल को पास करने का समय आ गया हो तब जमाने भर के सिद्धान्त और उसूल ला कर रख देने के नाते मैं समझता हूं आपका समय नष्ट किया जा रहा है, और आप इसकी अनुमति न दें। काशी नरेश के प्रतिकुलपति होने की जो सूचना मिली उससे काशी में ही नहीं संस्कृत के समाज में कितनी सद्भावना फैल गई इसकी जानकारी उनको होगी जिनको संस्कृत से वास्तव में प्रेम होगा, इसकी जानकारी उन लोगों को होगी जो कि वास्तव में सौष्ठव और गौरव के हामी होंगे। मेरे पास भी पत्र आ चुके हैं और लोगों ने इस बात पर सन्तोष प्रकट किया है कि काशी नरेश का प्रति-कुलपति आजीवन होना इस बात का साक्षी है कि यह संस्कृत विश्वविद्यालय भारतीय परम्परा का पोषण करेगा। जिनको श्रीमन्, उससे स्नेह न हो उनकी बात जाने दीजिये। केवल आपसे अनुरोध करूंगा इस सम्बन्ध में विद्या के साथ-साथ विद्यार्थी इन दोनों की जो परम्परा है उससे जरा भी, लेशमात्र भी जिसको जानकारी होगी, काशी को भी जानकारी होगी वह कदापि न तो ऐसे संशोधन का समर्थन करेगा और न इसके पक्ष में किसी प्रकार भी कहने का अनुचित प्रयास करेगा।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्तुत संशोधन पर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और माननीय प्रस्तावक महोदय से विशेष तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि क्या अगर यह संशोधन मान लिया जाय थोड़ी देर के लिये तो इसका क्या अर्थ होगा? उनका कहना यह है कि खंड १०-क का उपखंड (१) निकाल दिया जाय, यह उनका संशोधन है। अगर यह उपखंड निकाल दिया जाता है तो उपखंड (२) और (३) के सम्बन्ध में वह क्या करते हैं और उसका क्या फल होगा? इस सम्बन्ध में एक भी शब्द उन्होंने नहीं कहा। मेरी धारणा तो यह है कि अगर माननीय सदस्य अच्छी तरह से इसका अध्ययन कर लेते, वे यह संशोधन पेश करते कि खंड दो और तीन को भी निकाल दिया जाय। बहुत सोच विचार करके और संशोधन उपस्थित करना चाहिये। मेरी वैधानिक आपत्ति है कि यह संशोधन उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, उन प्रश्नों पर मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। उस विवाद में इस प्रश्न पर तो हम लोग बहुत कुछ कह सकते हैं कि प्रति-कुलपति क्यों बनाया जाता है? काशी नरेश को ही क्यों प्रति कुलपति रखा जाता है, इस सम्बन्ध में हम लोगों ने साधारण विवाद के अवसर पर जो इस विधेयक पर हुई थी बहुत कुछ कहा था, माननीय परिपूर्णानन्द वर्मा ने उसका प्रतिपादन किया था और उस पक्ष के भी बहुत से लोगों ने विवाद में भाग लिया था। उन बातों को दुहराना मैं आवश्यक नहीं समझता। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री ब्रजविहारी मिश्र--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे इस संशोधन के समर्थन में माननीय राजनारायण सिंह जी और माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, इसलिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। माननीय परिपूर्णानन्द जी का विवाद तो मेरा ख्याल है कि माननीय राजनारायण सिंह जी के उत्तरों से सम्बन्धित था, कोई इस धारा से सम्बन्ध नहीं रखता था। माननीय व्रजविहारी मिश्र जी ने यह शंका उपस्थित की कि उपखंड (२) और (३) का क्या होगा, यदि (१) ही के बारे में संशोधन है। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि उनको स्वयं विवेक से काम लेना चाहिए कि असली धारा प्रति-कुलपति के लिये नहीं रहेगी तो उसके बाद वह उप-धारायें अपने आप खत्म हो जायेंगी, उनकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी भी उन्हीं की बातों का समर्थन कर रहे हैं। श्रीमन्, और बातों के सम्बन्ध में, जो साहित्य सेवी संस्कृत के हैं उनके सम्बन्ध में हम लोगों की जो शंकायें थीं उधर से उनमें से किसी का स्पष्टीकरण नहीं हुआ और न जवाब मिला। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी उत्तर नहीं दिया। मैं नहीं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री जी अगर जवाब दिए होते तो हो सकता है कि उनके प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता होती किन्तु जिन व्यक्तियों के उधर से भाषण हुए हैं उनके भाषण में हम लोगों की तरफ से जो शंकायें की गई हैं उनके उत्तर नहीं हैं। ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि हमारा यह संशोधन अपनी जगह पर सही है, और मैं उसको फिर जोर देता हूं कि वह संशोधन मेरा स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खं० १०—क का उपखंड (१) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—६,
विपक्ष में—४३।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १०—क इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक के पारित होने तक बैठक को जारी रखने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री व्रजविहारी मिश्र—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रस्ताव है कि यह सदन आज तब तक बैठे जब तक कि यह विधेयक पारित न कर दिया जाय, क्योंकि कई दिन बहस हो चुकी है और कई दिन हमारे इसमें व्यतीत हो चुके हैं।

*श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। आप देखते हैं कि अभी तो थोड़े से खंडों पर वाद-विवाद हुआ है और आप संशोधनों और खंडों के देखें तो बहुत हैं। तो ऐसी हालत में आज ही हम इसको समाप्त करने के लिए बैठें तो यह सम्भव नहीं हो सकेगा और अभी सिर्फ दूसरा-तीसरा दिन भी है, और ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर इस तरह से अगर प्रस्ताव आयेंगे कि गिलोटिन कर दिया जाय तो मुनासिब नहीं है।

श्री अध्यक्ष—गिलोटिन का सवाल नहीं है। सिर्फ समय बढ़ाने का प्रस्ताव है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में इतना कहना है कि पिछले दिन जब हम बैठे थे तब भी एक प्रस्ताव आपके सामने आया था, और उस दिन यह तय हुआ था कि अगले दिन सोमवार को तय करेंगे कि कितने दिन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नवल किशोर]

बैठें या न बैठें। अब यह उचित सी बात है कि ४–५ दिन हो चुके हैं इसलिए इस विधेयक के लिए जो यह प्रस्ताव है, इसको मैं ताईद करता हूं और चाहता हूं कि आज इसको लिया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय––अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं, सिर्फ इसलिए कि यह एक विश्वविद्यालय का विधेयक है और प्रवर समिति में जो विचार बदले हैं उस पर अच्छी तरह से विचार करने के लिए है। और दूसरी बात यह है कि मैं नहीं समझता हूं कि जब यह विश्वविद्यालय विधेयक पास हो जायगा तो इसकी ऐसी जल्दी पड़ने वाली है। अगली जुलाई में या मार्च या जनवरी में कहीं जाकर वह स्थापित होगा। इसलिए इसको इतनी जल्दी पास नहीं होना चाहिये। यह हो सकता है कि एक घंटा, दो घंटा समय बढ़ा दें, लेकिन आज ही पास कर दिया जाय यह उचित नहीं है। आप बोलने का समय निर्धारित कर दें या ऐसा कर दें कि उस पर एक ही सदस्य बोले, लेकिन सदन तब तक बैठे जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय, तो मैं समझता हूं अनुचित, है और इसको पास नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि इसके ऊपर ज्यादा भाषण नहीं होने चाहिए। सदन के सामने यह प्रस्ताव है कि आज सदन ५ बजे के बाद भी तब तक बैठे जब तक कि यह विधेयक पारित न हो जाय।

एक सदस्य––इसमें तो आपसे निवेदन किया गया है निर्णय करने का? आप इजाजत न दें।

श्री अध्यक्ष––जी नहीं, मैं इजाजत देता हूं, क्योंकि समय बढ़ाने के लिए कोई नोटिस की जरूरत नहीं है।

प्रश्न यह है कि यह सदन आज तब तक बैठे जब तक कि यह विधेयक समाप्त न कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––अब हम उठते हैं और सवा दो बजे फिर बैठेंगे।

श्री राजनारायण––मगर श्रीमन्, ऐसी परेशानी न हो कि बार-बार (कोरम के लिए) घंटी बजानी पड़े। बैठने को तो हम तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष––अगर ऐसी चीज होगी तो अध्यक्ष को तो अधिकार है कि किसी वक्त उसको पोस्टपोन कर दे।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५ (क्रमागत)

खण्ड ११

उपकुलपति

११––(१) उपकुलपति, कुलपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायगा जिनके नाम उपधारा (२) में उद्दिष्ट समिति द्वारा प्रस्तुत किये जायं :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कुलपति, यदि उचित समझे, तो इन नामों को अपनी आलोचनाओं (observations) के साथ समिति को वापस भेज सकते हैं तथा और नाम मंगवा सकते हैं और तब समिति उन नामों में ऐसे

परिवर्धन अथवा परिवर्तन कर सकेगी जो वह उचित समझे या उन्हीं नामों को फिर भेज सकेगी।

(२) तीन व्यक्तियों की एक समिति, जिसमें से एक-एक व्यक्ति कार्यकारिणी परिषद्, विद्वत परिषद् और कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा, ऐसे व्यक्तियों से परामर्श करने के पश्चात्, जिन्हें वह उचित समझे, कुलपति को, उपकुलपति की नियुक्ति के लिए तीन व्यक्तियों से अन्यून (not less than) नामों की संस्तुति करेगी जो संस्कृत तथा आधुनिक ज्ञान की अच्छी विद्वत्ता रखते हों।

(३) उपधारा (२) के अधीन संस्तुत नामों के साथ-साथ समिति कुलपति को एक ऐसा संक्षिप्त-विवरण प्रेषित करेगी जिसमें उसके द्वारा संस्तुत व्यक्तियों की शैक्षिक योग्यताएं तथा अन्य विशिष्टताएं (distinctions) दिखायी गयी हों।

(४) उपकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी (whole time officer) होगा। उसे २,००० रुपये मासिक या उससे अधिक वेतन, जो नियत किया जाय मिलेगा, और उसके लिये बिना किराया लिए सज्जित आवास (furnished residence) की भी व्यवस्था की जायेगी। उपकुलपति के सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो नियत की जायं और उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके हितों के प्रतिकूल उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा।

(५) उपकुलपति पांच वर्ष के लिये पदासीन रहेगा और उक्त पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर कार्य करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपने पद का कार्यभार न संभाल ले।

(६) उपकुलपति, किसी भी समय, कुलपति को संबोधित, लिखित त्याग-पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि त्यागपत्र, उस दिनांक से जब से कि वह कार्यभार से मुक्त होना चाहता हो, कम से कम साठ दिन पहले, भेजा जायगा।

(७) यदि छुट्टी लेने के कारण अथवा त्यागपत्र या कार्यकाल की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से उपकुलपति के पद का स्थान रिक्त हो जाय या उसके रिक्त होने की संभावना हो, तो प्रस्तोता इस बात की सूचना तुरन्त कुलपति को देगा। यदि उक्त रिक्ति एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये हो या उसके ऐसा होने की संभावना हो तो कुलपति उसे उस रीति से भरेंगे जिसकी उपधारा (१) में व्यवस्था की गयी है। अन्य दशाओं में कार्यकारिणी परिषद् कुलपति के यों तो उपकुलपति नियुक्त कर सकती है या उस पद का कार्य चलाने के लिए ऐसा अन्य प्रबन्ध कर सकती है जैसा वह उचित समझे।

(८) जब तक कि उपधारा (१) या (७) के अधीन प्रबन्ध न हो जाय तब तक प्रस्तोता उपकुलपति के पद के साम्प्रतिक (current) कर्तव्यों का पालन करेगा किन्तु वह विश्वविद्यालय प्राधिकारियों (authorities) की बैठकों का सभापतित्व नहीं करेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ के उपखंड (४) की पंक्ति २ में संख्या "२,०००" के स्थान पर "१,०००" रख दिया जाय।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

श्रीमन्, उपकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा, उसे दो हजार रुपये मासिक या उससे अधिक वेतन, जो नियत किया जाय, मिलेगा और उसके लिये बिना किराया लिये सज्जित आवास की भी व्यवस्था की जायगी। श्रीमन्, मेरा संशोधन यह है कि दो हजार की जगह एक हजार कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह दो हजार रुपये वेतन का प्रश्न आपकी घोषणा के विपरीत जाता है। एक बार नहीं बल्कि बीसियों बार इस सदन में मुख्य मंत्री जी ने, कांग्रेस के लोगों ने तथा महात्मा गांधी जी ने भी बतलाया था कि हमारे हाथ में जब हुकूमत आयेगी तो हम तनख्वाह की एक सीमा निर्धारित करेंगे जो ५०० से ज्यादा नहीं होगी। (माननीय परिपूर्णानन्द जी सिर हिला रहे हैं कि गांधी जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही), श्रीमन्, मैं जानना चाहूंगा कि इसको स्पष्ट किया जाय। जहां तक मेरी जानकारी है वह यह है कि उन्होंने मरने से पहले कहा था और जब सरकार बन चुकी थी उस समय भी कहा था लेकिन उसके विपरीत यह कांग्रेसी हुकूमत काम करती चली जा रही है।

श्रीमन्, वेतन के संबंध में उसकी कोई नीति नहीं है। एक ग्राम सेवक जो हाई स्कूल होता है उसको ट्रेनिंग के बाद १२० रुपये माहवार से शुरू करते हैं, और यदि कोई हाई स्कूल पास जे० टी० सी० कर ले तो ६० रुपये से शुरू करते हैं और यदि नार्मल कर ले तो और भी कम वेतन उसको मिलता है। इसी प्रकार वेतन के संबंध में उपकुलपति के लिये है कि उसका वेतन दो हजार रुपये ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, कम के लिये पाबन्दी है, अधिक के लिये रास्ता खुला हुआ है।

श्री जोरावर वर्मा—प्वाइंट आफ आर्डर सर, कोरम पूरा नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि जब माननीय अध्यक्ष मौजूद थे, एक प्रस्ताव आया था कि सदन का समय जब तक यह खत्म न हो बढ़ा दिया जाय। उस समय मैंने निवेदन किया था कि यह सरकार का कर्त्तव्य होगा कि अनावश्यक ढंग से समय नष्ट न हो और कोरम पूरा रहे। अध्यक्ष ने कहा था कि यदि कोरम पूरा न हुआ तो उस समय जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष गद्दी पर होंगे वह देखेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि अभी से घंटी बजनी शुरू हो गई और तीन बार सुबह बज चुकी है, तो कृपया आप इस सदन को स्थगित करें क्योंकि किसी को इस विधेयक में दिलचस्पी नहीं रह गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—इस वक्त तो पूरा है, काम होने दीजिये। ५ बजे के बाद इस पर विचार करेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि सरकार की कोई नीति नहीं है तनख्वाहों के सम्बन्ध में। सरकार कहा करती है कि जो बड़े-बड़े नौकरी पेशा लोग हैं, आई० सी० एस०, आई० ए० एस० वगैरह, उनकी तनख्वाह कम करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है, हमारे हाथ में नहीं है। जब नीचे के नौकरी पेशा वालों की तनख्वाह बढ़ाने की बात कही जाती है तो सरकार कहती है कहां रुपया है, और जब सरकार अपने तईं किसी आदमी को नौकर बनाना चाहती है तो उसकी भी तनख्वाह वही मुकर्रर करती है जो केन्द्रीय सरकार के लोग मुकर्रर करते हैं। तो फिर यह बहानेबाजी कि हमारे हाथ में अधिकार नहीं है, ठीक नहीं है। कहा जाता है कि उपकुलपति की तनख्वाह कम करके हम छोटी तनख्वाह वालों की तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते हैं। यह बात तो सही है कि इससे छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ सकती है, लेकिन यह बात तो सही हो

सकती है कि अगर एक बड़े व्यक्ति की तनख्वाह कम कर के एक पैसे की भी बचत होती है तो इस प्रदेश की जनता उसको आदर्श समझेगी, और यह सोचेगी कि जब इतना बड़ा विद्वान् इतनी कम तनख्वाह में अपना जीवन सादगी के साथ व्यतीत कर सकता है और ईमानदारी से रह सकता है तो हम जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं हमें भी उस तरह की जिन्दगी बितानी चाहिये। लेकिन सरकार इस तरह का आदर्श उपस्थित करने के लिये तैयार नहीं है। सरकार तो यह सोचा करती है कि लम्बी तनख्वाह नहीं देंगे तो उस व्यक्ति की इज्जत नहीं रहेगी। लम्बी तनख्वाह देना ही सरकार की नजरों में इज्जत है, बड़प्पन है, विद्वता है, छोटी तनख्वाह देना बेइज्जती है। मैं समझता हूं कि अपने प्रदेश में जहां पर लोगों की मजदूरी दो आने रोजाना तक है, जहां की सालाना आमदनी १९२ रुपये हैं, जहां अपने प्रदेश में पैसा इकट्ठा करने के लिये सरकार अल्प बचत योजना चालू करती है, और श्रीमन्, आपको याद होगा कि सन् ५४–५५ में चपरासियों का वेतन कुछ दिनों तक नहीं दिया गया था इस लिये कि रुपये इकट्ठा करके विकास कार्य को चलाना है,। जहां चपरासियों की वर्दियों में कटौती की जाय, अध्यापकों की तनख्वाहें काटी जायं विकास कार्य चलाने के लिये, वहां दूसरी तरफ उप-कुलपति की तनख्वाह दो हजार रुपये निश्चित की जाय, मैं समझता हूं कि यह सरकार के लिये और उस सरकार के लिये जो अपने को कहती है कि समाजवादी ढांचा हम बनाना चाहते हैं, जो अपने को यह कहती है कि हम रामराज्य स्थापित करना चाहते हैं, जो अपने को कहती हो कि हम गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले हैं, जो अपने को यह कहती हो कि हम एक ऐसा रामराज्य बनाना चाहते हैं जिसमें समता का व्यवहार होगा, सब को समान अवसर मिलेगा, तो श्रीमन्, कैसे समान अवसर मिलेगा जब कि सरकार अपने अधीन रहने वाले अधिकारियों की तनख्वाहें लम्बी-लम्बी कर दे और छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहें कम होती जायं, उनकी वर्दियां तक काटी जायं तो उसको मैं कुव्यवस्था समझता हूं।

हमारे प्रदेश की जो दशा है उसके अनुसार तो पांच सौ रुपये से अधिक तनख्वाह किसी की नहीं होनी चाहिये, और अगर ज्यादा करना ही चाहते हैं तो एक हजार से ज्यादा किसी की न हो। और श्रीमन्, एक हजार ही नहीं उनके लिये मुफ्त आवास मिलता है, मुफ्त में सारे सारे साधन उपलब्ध किये जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे संशोधन को स्वीकार करना चाहिये और इस तरह से एक रास्ता और प्रदेशों की सरकारों को अवश्य दिखाना चाहिये जिससे लोग यह समझें कि सही मानों में सरकार समाजवादी ढांचा बनाना चाहती है और सही मानों में बड़ी तनख्वाहों में कमी करके बराबरी का स्तर लाना चाहती है। मैं इन शब्दों के साथ शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे जरा दो आने पैसे वाले लोगों की तरफ भी ख्याल करें और उनके साथ-साथ कुलपति की तनख्वाह का ख्याल करें और उस वक्त अन्तिम फैसला उनकी रोशनी में करें। मैं समझता हूं कि एक हजार रुपया बहुत आदर्श वेतन उनके भी दृष्टिकोण से हो सकता है। मुझे आशा है कि सदन मेरे इस संशोधन का समर्थन करेगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, म माननीय रामसुन्दर जी के संशोधन में संशोधन करते हुये उनके संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि माननीय रामसुन्दर जी सम्भवतः उसको भूल गये हैं। उनके संशोधन में तो एक हजार के स्थान पर दो हजार रखा जाय इतनी बात कही गयी है लेकिन विधेयक में जो शब्द हैं वह हैं "दो हजार रुपये मासिक या उससे अधिक वेतन जो नियत किया जाय"। माननीय रामसुन्दर जी के संशोधन से तो वह हो जायगा कि एक हजार या एक हजार से अधिक मासिक वेतन जो नियत किया जाय। तो एक हजार से अधिक डेढ़ हजार २ हजार तक जा सकता है। तो उनका यह मंशा नहीं होगा। तो मेरा संशोधन उनके संशोधन में है कि "एक हजार रुपये मासिक" के बाद के जो शब्द हैं "या उससे अधिक वेतन जो नियत किया जाय" निकाल दिये जायं। माननीय रामेश्वर लाल जी का संशोधन भी इसी प्रकार है, लेकिन इसके हो जाने के बाद उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप न करें तो अपने आप हो जायगा।

श्री राजनारायण—बड़ा अनर्थ हो जायगा श्रीमन्, अगर न किया जाय। वह १ हजार से ऊपर १९ सौ तक लिये चले जावेंगे, कुछ भी ले जा सकते हैं, तो मेरा कहना यह है कि जो मंशा रामसुन्दर जी का है वह पूरा नहीं होता है यदि यह वाक्य निकाला नहीं जायगा, और मैं समझता हूं कि वे इस संशोधन को अपने संशोधन में मान लेंगे। उनको कतई इसमें इन्कार नहीं होगा और यह संशोधन इस समय क्यों रखा जा रहा है इस पर भी मुझे कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं मालूम होती है, क्योंकि आज तक भी यदि इस सदन के सम्मानित सदस्यों को यह समझाना पड़े कि हमारे गरीब मुल्क में एक हजार रुपये से ज्यादा तनख्वाह किसी को दी जाय तो मैं समझता हूं कि यह हमारे लिये और उनके लिये, दोनों के लिये अशोभनीय बात होगी। माननीय परिपूर्णानन्द जी के लिये शायद न हो क्योंकि एक हजार वह बहुत थाड़ी रकम अपने लिये समझते होंगे। जिस वातावरण में वह रह रहे हैं, जिस सुखमय समाज में उनकी जिन्दगी बीतती है उसको देखते हुए वह ऐसी बात कह सकते हैं, मगर हमारा कहना तो यह है कि हमारा प्रदेश बड़ा गरीब है और यदि आमदनी निकाली जाय भारतवर्ष की, अपने देहातों की शहरी आमदनी को छोड़कर, तो वह अब भी १९२ रुपये औसत आमदनी एक आदमी की पड़ती है। जरा अपने देश की आबादी और अपने देश के उत्पादन के साधनों पर हमें ध्यान देना चाहिये। जब भी हम किसी की तनख्वाह तय करते हैं या किसी दूसरे मुल्क में किसी अधिकारी की तनख्वाह तय होती है तो जहां उसके कर्त्तव्य देखे जाते हैं वहां अपने पास के साधन भी देखे जाते हैं। जिस देश में आमदनी पैदा करने के साधन कम हों और आमदनी कम हो उस देश में तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं हो सकती।

इसी सिद्धान्त को सामने रखते हुए महात्मा गांधी ने बार-बार कहा था कि हिन्दुस्तान का बड़े से बड़ा अफसर ५०० रुपये से ज्यादा तनख्वाह न लें। आप श्रीमन्, इस बात को देख सकते हैं और आप के द्वारा मैं चाहता हूं कि सदन के तमाम सम्मानित सदस्य इस बात को अच्छी तरह से समझें कि जब सरकार की ओर से बराबर तर्क दिया जाता है कि राष्ट्रीय विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये टैक्स लगाना नितान्त आवश्यक है तो आज क्या औचित्य है कि दो हजार रुपया या उससे भी अधिक गोल शब्द, किसी भी बड़े से बड़े पदाधिकारी, किसी भी विभाग के लिये हो, की तनख्वाह के लिये रखे जायं। यह तो अट्टहास हो रहा है अपनी गरीबी पर। सरकार अपनी गरीबी को, अपने देश की गरीबी को देख कर नहीं चल रही है और वह जिस तरह से यह विधेयक अपने ऊपर लाद रही है, यह सब हमारी गरीबी को और बढ़ायेगा, क्योंकि आखिर जो उनको रुपया दिया जायगा दो हजार या उस से अधिक जो सरकार की मंशा है, आखिर इतनी बड़ी रकम कहां से आयेगी? यह रकम चाहे टेढ़े हो या सीधे हो, डाइरेक्ट हो या इंडाइरेक्ट हो, जनता के ऊपर ही पड़ेगी। जनता के ऊपर ही इसका भार जायगा। यह किसी माननीय मंत्री के खजाने से नहीं निकलेगी और न उनकी किसी निजी रूह से ही आयगी। तो यदि आज देखा जाय तो यह सरकार, मालूम होगा कि कितनी कर्त्तव्य-च्युत हो गई है। बराबर इस सदन में इस बात को कहते हुए कि सरकारी खजाने में रुपये की कमी है इतना ज्यादा वेतन रखा जा रहा है और आप श्रीमन्, देखें कि अभी सरकार ने रोटी पर भी बिक्री कर बढ़ा दिया, कपड़े पर एक रुपये पर एक आना कर लगा दिया जो न बंबई में है और न मद्रास में है, गल्ले पर बिक्री कर बढ़ा दिया और यदि उनका हिसाब देखा जाय एक प्रकार से तो बीसों करोड़ के करीब होता है। एक तरफ जनता को गरीब बनाने की ओर सरकार सचेष्ट है, जनता के ऊपर टैक्स का भार बढ़ा कर उनकी हड्डी चकनाचूर करने के लिये यह सरकार तैयार है। राष्ट्रीय विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के नाम पर, और दूसरी तरफ जो नये-नये पद बनाये जायं या शिक्षा संस्थायें स्थापित की जायं उनके अधिकारियों के लिये इतनी ज्यादा तनख्वाहें रखी जायं, यह परस्पर विरोधी बातें हैं।

श्रीमन्, बहुत से माननीय सदस्यों के दिमाग में यह बात जल्दी समझ में नहीं आयेगी कि यहां पर आमदनी के सम्बन्ध में चर्चा कैसे हो सकती है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह जरा अच्छी तरह से इस बात को समझें कि जहां भी तनख्वाह दी जायगी और जहां भी पैसे का खर्च आयेगा वहीं आमदनी से ताल्लुक हो जायगा। २ हजार रुपया महीना या उससे अधिक तनख्वाह दिये जाने की जो बात है वह इस विधेयक में है और इसी पर यह संशोधन है। तिस पर भी इस सदन में ऐसे सदस्य हैं सम्भवतः वह डिप्टी मिनिस्टर हों या वह किसी विभाग के मंत्री हों वह अपने मन में इस बात को समझेंगे कि संस्कृत विधेयक से क्या ताल्लुक है। इसका रुपया कहां से आयेगा और कहां से यह रुपया दिया जायगा? जो साधन पैदा करने के हैं वहीं से तो यह रुपया दिया जायगा। इसलिये मैं आपके द्वारा उन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि दो हजार या उससे अधिक मासिक वेतन देने की जो व्यवस्था इस विधेयक में उपकुलपति के लिये हुई है वह मैं समझता हूं कि बहुत ही अन्यायपूर्ण है और यह धारा अन्यायोचित है।

मैं यह कहता हूं कि संस्कृत के जानने वाले कुछ पंडित यहां सदन में बैठे हुये हैं, मैं उनसे भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं वह इस बात को न समझ लें कि संस्कृत के उपकुलपति को दो हजार रुपये देने का मैं विरोधी हूं। मैं तो आज वह व्यवस्था रखना चाहता हूं चाहे वह संस्कृत विश्वविद्यालय के लिये हो, चाहे वह दूसरे विश्वविद्यालय हों, चाहे वह कलेक्टर हों, चाहे वह मिनिस्टर हों या डिप्टी मिनिस्टर हों हम तो तमाम लोगों के लिये इस बात को कहते आये हैं कि किसी की भी तनख्वाह एक हजार रुपये से ज्यादा न हो। इसलिये यदि हम संस्कृत विश्वविद्यालय के उपकुलपति के लिये एक हजार रुपये तनख्वाह की व्यवस्था रखना चाहते हैं तो उसमें अपमान की कोई बात नहीं है। हम तो उनको उसी स्थान पर देखना चाहते हैं जिस प्रकार से अन्य दूसरे विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं। उनका स्थान हमारी दृष्टि में हेय नहीं है, उनको कम हम आंकना नहीं चाहते हैं, मगर अपने यहां की आमदनी की जो हालतें हैं, देश की गरीबी की जो हालत है, देश किधर जा रहा है इसको भी हम सामने रखते हैं तब समझ कर इस बात को कहते हैं कि इतना वेतन ही होना चाहिये। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इसका क्या तरीका उचित समझा कि आज के इस युग में भी दो हजार रुपया या इससे भी अधिक मासिक वेतन दिया जाय और अगर इसमें कोई ईमानदारी थी तो उस तथ्य को सामने रखें। तभी हम गांधी जी के अनुयायी कहे जा सकते हैं, हम गांधी जी के स्वप्न को चरितार्थ करने वाले कहे जा सकते हैं या गांधी जी के चरणों पर चलने वाले कहे जा सकते हैं। आज जिस तरह से मन में आया, जैसे सुभीता हुआ और जिस तरह से चाहा उस तरह से सारी बातों को तोड़ रहे हैं। आज इस सरकार की यह हालत हो गयी है। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से और जो बराबर पूंजीवादी परम्परा के पोषक माननीय परिपूर्णानन्द जी वर्मा हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस संशोधन के समर्थन में अपनी राय दें। मुझे अफसोस है कि माननीय परिपूर्णानन्द जी शायद चले जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वह यहां पर रहें मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब वह सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह पर अपनी राय जाहिर करें तो यह न समझें कि यह सरकार मिलमालिक है, वह यह न समझें कि इसका भी पूंजीवादियों का उत्पादन का तरीका है। यह गरीब प्रदेश की गरीब जनता का धन है।

इसीलिये मैं बार-बार कहता हूं और जब मैं इन बातों को कहता हूं तो आपके सामने उदाहरण भी पेश करना चाहता हूं। जब महामना मालवीय जी जीवित थे और काशी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स की तनख्वाह की बात होती थी तो अच्छे-अच्छे प्रोफेसर्स जो दूसरी यूनिवर्सिटीज में दो हजार, डेढ़ हजार पाते थे, काशी विश्वविद्यालय में ५००–४००–२०० रुपया माहवार पर रहते थे। मालवीय जी का एक आदर्श मैंने प्रस्तुत किया। वे सदैव ही इस बात को चाहते थे कि सादा जीवन व्यतीत किया जाय और उच्च विचार रक्खे जायं। यह सिद्धान्त हमारे सामने महामना मालवीय जी ने रखा। पूज्य गांधी जी के

[श्री राजनारायण]

युग की, महामना मालवीय जी के युग की जब मैं बात कहता हूं तो श्रद्धेय आचार्य नरेन्द्र देव जी, जो हमारे बीच में इस समय नहीं हैं उनके बारे में भी कहना चाहता हूं। उन्होंने भी एक परम्परा कायम की। जब वे वाइस चांसलर थे उन्होंने अपनी तनख्वाह का एक तिहाई भाग बराबर गरीब विद्यार्थियों को दान दिया। जब वे लखनऊ विश्वविद्यालय में थे तब भी और जब वे काशी विश्वविद्यालय में थे तब भी। यह बात सर्वविदित है, फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि २ हजार रुपया से कम रखने में मान मर्यादा में कमी होगी ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस जनतंत्र युग में मान मर्यादा के अन्दर केवल रुपये को ही नहीं आना चाहिये। मान मर्यादा के अन्तर्गत कर्त्तव्य, कर्म, वचन, वाणी, कथनी और करनी आनी चाहिये। बड़ी-बड़ी तनख्वाह पाने वाले भी भ्रष्टाचारी हो सकते हैं और कम आमदनी वाले सदाचारी हो सकते हैं। इस लिये जब किसी आदमी के मान और सम्मान की बात सामने आती है और जब सरकार की ओर से यह तर्क पेश किया जाता कि उपकुलपति का सम्मान और मर्यादा २ हजार रुपये से कम रखने में कम हो जायगी, मैं इस तर्क को समझ सकने में असमर्थ हूं। मैं बारबार इस सदन के सम्मानित सदस्यों के सामने यह निवेदन करता रहा हूं और आज भी कर रहा हूं और वह भी तब जब कि वर्तमान सम्मानित सदस्यों के जीवन का अन्तिम समय है तो अब उनकी समझ में इतना परिवर्तन तो अवश्य ही आना चाहिये कि यद्यपि पहले वे ऐसे सरकारी विधेयकों का समर्थन करते भी रहे हों लेकिन अब वे अपने पहले की बातों को भूल जायं। इस अवसर पर मुझे माननीय परिपूर्णानन्द जी फिर याद आते हैं कि आज से पूर्व सर्वदा उन्होंने सरकारी पक्ष का समर्थन किया लेकिन आज उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसानों की हालत को बताते हुए कहा कि उनसे अब भी तकावी वसूल की जा रही है। मैं समझ रहा था कि यह रंग क्यों बदला जा रहा है। इसीलिये कि चुनाव नजदीक आ रहा है, इसी लिये उन्हें किसानों की याद आ रही थी। इसीलिये मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन कर रहा था कि आज युग की परिथिति की, न्याय और सम्मान की यह पुकार है कि १ हजार रुपये से ज्यादा तनख्वाह देना उपकुलपति के लिये, ऐसे गरीब देश में घातक होगा। इसीलिये मैंने पांडेय जी के संशोधन में एक संशोधन प्रस्तुत किया कि उपकुलपति की तनख्वाह १ हजार रुपया माहवार हो तथा उसके आगे जो वेग टर्म्स रक्खे हुए हैं, उसके आगे की तमाम बातें निकाल दी जायं। अब हमको ऐसे शब्द का प्रयोग करना चाहिये जिसका अर्थ निश्चित हो। कानून की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिये जिसमें लोग झूला झूलें और पौढ़ें। इस लिये निश्चित रूप में हमको कह देना चाहिये कि एक हजार रुपये से ज्यादा उपकुलपति को किसी प्रकार से नहीं दिया जा सकता है। एक हजार रुपया मासिक जो बड़ी से बड़ी तनख्वाह ऐसे गरीब मुल्क के लिये हम उप-कुलपति के लिये मुकर्रर करना चाहते हैं, इसमें हमारा कोई दोष भी नहीं है। इन शब्दों के साथ श्रीमन्, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे संशोधन के साथ माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार कर लें।

श्री नवलकिशोर—उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक उपकुलपति की तनख्वाह का प्रश्न है मैं भी समझता हूं कि इस विधेयक के अन्दर जो दिया गया है कि दो हजार या उससे अधिक हो सकती है, उचित नहीं है। यह मेरा मत आज कोई नया मत नहीं है बल्कि जब भी विश्वविद्यालय के विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत हुए चाहे वे आगरा यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में हों, चाहे लखनऊ, इलाहाबाद या गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में हों, मेरा यह मत है और रहा है कि वाइस-चांसलर की तनख्वाह एक हजार रुपये मासिक से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। जिस समय आगरा यूनिवर्सिटी का सवाल था तब भी इस बात के ऊपर विचार किया गया और यहां कहा गया कि चूंकि दूसरी जगह दो हजार है इसलिये यहां भी हमको दो हजार रखनी चाहिये। ऐसे ही आगरा, इलाहाबाद तथा

लखनऊ यूनिवर्सिटी में रखा गया पर यहां उससे भी एक कदम हम आगे बढ़ गये हैं। यहां हमने देखा कि दो हजार या उससे अधिक भी हो सकता है। उसकी कोई सीमा नहीं है, तीन हजार भी हो सकता है, चार हजार भी हो सकता है या जितना नियत किया जाय। सभी समझते हैं कि हमारा देश एक गरीब देश है और हमारी तनख्वाह का अनुपात हमारे देश की जो प्रति कैपिटा इनकम है उसके अनुसार कहीं न कहीं होनी चाहिये, और यह उचित नहीं है कि हम एक तरफ ऊंची से ऊंची तनख्वाह के व्यक्ति रखते जायं और दूसरी तरफ हम यह भी कहें कि हम एक समाजवादी ढांचे को बनाना चाहते हैं। कहा जा सकता है कि इस संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को एक हजार रुपये देने से कोई समाजवादी ढांचा नहीं बनता यह सही बात है, यह दलील अपनी जगह पर सही होगी। बहरहाल सोचना यह है कि हमको कहीं न कहीं तो जरूर शुरुआत करनी है। आगरे में नहीं किया तो कहीं न कहीं तो करना चाहिये लेकिन उसको कहां करना चाहिये? कहा जा सकता है कि अगर हमने यहां से शुरुआत की तो लोग कह सकते हैं कि आपने संस्कृत को ऊंचा स्थान नहीं दिया। आपने और विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर के लिये तो दो हजार रुपये तनख्वाह रखी और यहां के वाइस चांसलर को एक हजार रुपये तनख्वाह दी, इसके माने यह है कि आपकी निगाह में संस्कृत यूनिवर्सिटी के जो वाइस-चांसलर हैं उनकी हैसियत कुछ कम है। यह एक आरगुमेंट हो सकता है लेकिन मान्यवर, मैं इस दलील को स्वीकार नहीं करता। उसकी वजह यह है कि जब हमने संस्कृत शिक्षा के बारे में बहुत सी बातें इस भवन के सामने कहीं, हमने प्राचीन इतिहास की बातें कहीं, हमने प्राचीन परम्परा की बातें कहीं और अपनी प्राचीन संस्कृति की बातें कहीं तो मैं यह उचित नहीं समझता कि आपके सामने आज नालन्दा और तक्षशिला की बात कहूं। मुझे भी समझने के लिये इतनी बुद्धि है कि आज का युग वह युग नहीं है और लोग इस बात को जरूर समझते हैं कि अब तक संस्कृत के जितने अध्यापक रहे हैं और आज भी जो उसकी संस्थायें हैं, जो संस्कृत की पाठशालायें व कालेज हैं वहां पैसे की बात का ज्यादा महत्व नहीं है। तनख्वाहें कम हैं, तो यदि हम आज संस्कृत यूनिवर्सिटी से ही इस बात को शुरू करें कि यहां के वाइस चांसलर की तनख्वाह एक हजार रुपये रखें तो इस प्रकार से आगे चल कर हम आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद व गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के संबंध में भी एक संशोधन इस प्रकार का ला सकते है कि उनकी भी तनख्वाह एक हजार रुपये ही होनी चाहिये।

श्री राजनारायण जी ने बहुत सी बातें कहीं, उनका जवाब देना उचित नहीं है। उनका यहां कोई सम्बन्ध भी नहीं था, बहरहाल इतनी बात अपनी जगह पर जरूर है और सही है कि किसी पद की मर्यादा उसकी आय से नहीं होती। हो सकता है किआज के समाज में इस तरह की कुछ दुर्भावना फैली हो कि जिसका जितना ज्यादा वेतन है उसकी उतनी ही मान मर्यादा अधिक है, यहां किसी हद तक अभी ऐसा है लेकिन यदि समाज बदलना है तो उस भावना को बदलना है, मान-मर्यादा तो सेवा से तथा काम से होती है। इस संबंध में कुछ महानुभावों के नाम भी लिये गये, अच्छा होता यदि वह न लिये गये होते, मैं कोई नाम न लेकर केवल इतना ही कहूंगा कि इस तरह की दलील यहां देना इस कन्टेक्स्ट में ठीक नहीं बैठता, कोई भी श्रद्धेय व्यक्ति चाहे आचार्य नरेन्द्रदेव जी हों या कोई भी हों यदि वह यूनिवर्सिटी से पूरा वेतन लेता हो चाहे वह वेतन का एक तिहाई गरीबों को दे देता हो या सब दे देता हो उसका हवाला यहां देना कोई माने नहीं रखता। कोई संस्कृत का उपकुलपति २,००० रु० बांट सकता है, इसके यहां कोई अर्थ नहीं है। चाहे तुक लगे या न लगे राजनारायण जी को तो कुछ न कुछ माने लगाना। मुझे दुख है कि श्रद्धेय आचार्य जी का नाम इस तरह से घसीटा जाय, यह सर्वथा अनुचित है। वह २,००० लेकर, उसका एक तिहाई बांटें तो इस लिये उन का वेतन कम हो गया, यह मैं नहीं मानता लेकिन मैं उनके विचार से सहमत हूं कि उपकुलपति का वेतन १,००० होना चाहिये और मैं चाहता हूं कि वह कम किया जाय। उन्होंने टेक्सेशन की बात कह दी जिसका यहां कोई संबंध नहीं था लेकिन राजनारायण जी को तो कुछ न कुछ कहना चाहिये, कोई न कोई बहाना या आड़ मिलनी चाहिये। ५६ की बात उनको भी याद आई क्योंकि ६ मास बाद चुनाव होने वाले हैं, उन्होंने सेल्स टैक्स आदि की सभी बातें कह दीं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, अभी से

[श्री नवलकिशोर]

उन्हें कुछ कहना चाहिये, उनका जवाब तो माननीय शिक्षा मंत्री जी उचित रूप में देंगे। मैं यह चाहता हूं कि जब हम संस्कृत विश्वविद्यालय को आरम्भ कर रहे हैं और यह भी सही है कि इसका भी पैटर्न दूसरे विश्वविद्यालयों का सा है तो हम अगर इस गलत भावना को न मान कर कि कम वेतन मिलने से मान मर्यादा कम होती है, उचित समझकर कि हम वाइस चांसलर का वेतन कम रखें और १,००० रुपया प्रदेश की आय के हिसाब से कम नहीं है और यदि हम ने यहां १,००० मान लिया तो आगे चलकर हमें शक्ति मिलेगी और दूसरी जगह जो और वाइस-चान्सलर या और कर्मचारीगण हैं उनके बारे में भी हमको वेतन कम करने में सहायता मिलेगी।

*श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और श्री राजनारायण जी को भी जवाब देने के लिये खड़ा हुआ हूं। दानियों का उन्होंने जिक्र किया, दानी एक ही नहीं बहुत से सज्जन हैं और यह भी नहीं है कि दान की प्रथा अब यहां नहीं है। संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का कितना वेतन हो और उनका क्या स्थान हो यह समस्या है। यह सही है कि हमारे देश में बड़े-बड़े वेतन पाने वाले लोग हैं, अगर उनका वेतन कम किया जाय तो सब का किया जाय, यह तो नहीं हो सकता कि संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का वेतन कम कर दिया जाय और दूसरे लोगों का वही ऊंचा वेतन रहे और जब किसी का भी ऊंचा वेतन रहता है और कोई संकट उसके सामने उपस्थित होता है तो यह मान मर्यादा का सवाल भी उपस्थित होता है कि वह कैसे अपने को निभा सके। जो संस्कृत के ऊपर खर्च हो रहा है सही बात तो यह है कि हमारे मित्र राजनारायण और दूसरे साथियों का ख्याल है कि आजादी के बाद जितना संस्कृत का ह्रास हुआ है उतना उसका गुलामी के दिनों में भी न हुआ होगा और उसका खास कारण आर्थिक संकट है। आज संस्कृत के पंडितों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और यही कारण है कि संस्कृत पढ़ने वाले आदमी नहीं मिल रहे हैं। हर एक पंडित चाहता है कि अपने लड़के को पढ़ावे लेकिन उसका कोई फायदा नहीं इसलिये वह सोचते हैं कि अंग्रेजी ही पढ़ावें और पढ़ाते हैं ताकि हमारा लड़का भी अंग्रेजी पढ़ कर आई० ए० एस० और पी० सी० एस० में आ सके। तो मैं तो कहूंगा कि आप संस्कृत पर जितना व्यय करेंगे उतना ही देश का कल्याण होगा क्योंकि सारा इतिहास, साहित्य सारी संस्कृति संस्कृत ही में छिपी पड़ी है। आप विदेशी विद्वानों का उदाहरण असेम्बली में प्रकट करते हैं लेकिन आप ही के देश में राजनीति के संबंध में, अर्थ शास्त्र के संबंध में या और चीजों के संबंध में जो अमूल्य साहित्य पड़ा है उनके संबंध में खोज नहीं हो रही है कारण कि संस्कृत के पढ़ने वालों को पैसा नहीं मिलता है, इसलिये उनकी रुचि नहीं है।

आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे शिक्षा मंत्री धन्यवाद के पात्र हैं और खासकर इस देश के लिये धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया। इतने दिनों की आजादी के बाद कोई भी मंत्री होता तो पेश करता लेकिन आज तक किसी ने नहीं किया। देश में और भी प्रांत हैं लेकिन कहीं ऐसा आयोजन नहीं हुआ; यही प्रांत है जहां के शिक्षा मंत्री बधाई के पात्र हैं, और दूसरे प्रांत वाले यदि विश्वविद्यालय खोलेंगे तो वे भी धन्यवाद के पात्र होंगे। संस्कृत के बिना इस देश का उद्धार नहीं हो सकता। चाणक्य ने कहा, यही नहीं भीष्म पितामह के सामने जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो वह भी न रोक सके इसलिये कि वह दुर्योधन का नमक खाये थे अर्थ के अभाव में। तो मेरे मित्रो संस्कृत विश्वविद्यालय के उपकुलपति की तनख्वाह कम करके चाहते हैं कि सब की तनख्वाहें ज्यादा रहें, यह बिलकुल युक्त संगत नहीं है। अगर हाउस चाहता है तो स्वतंत्र बिल लाकर निर्धारित कर दें कि एक हजार से ज्यादा किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी, तब तो ठीक है लेकिन अगर इसी की तनख्वाह कम की जाय तो मेरी समझ में बात नहीं आती। अगर समानता का बर्ताव आपको रखना है तो उसी तरह से उसकी भी इज्जत करें जैसे और कुल-पतियों की चाहते हैं, उसका भी वही आदर करें, सम्मान करें। अर्थ की दृष्टि से भी, मान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की दृष्टि से भी और मैं तो यही नहीं कहूंगा बल्कि यह कहूंगा कि और लोगों से संस्कृत के उपकुलपति की ज्यादा इज्जत होनी चाहिये ताकि वह हमारे यहां की परम्परा को कायम कर सकें और बतला सकें कि सारा दर्शन शास्त्र संस्कृत में है। इसलिये संस्कृत पर ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च होना चाहिये। इसमें किसी भी सज्जन की दो राय नहीं हो सकती और न करनी चाहिये और ज्यादा टीका टिप्पणी न करके इसको पास कर दें यही हम आपसे आग्रह करते हैं।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, उपकुलपति के वेतन के बारे में जैसा कि विधेयक में रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मुझे श्री नवल किशोर जी ने जो कुछ कहा उससे विरोध है। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि तनख्वाहें कम होना चाहिये और अगर दूसरों की तनख्वाह ज्यादा है, दूसरे विश्वविद्यालयों के उपकुलपति की तनख्वाहें अगर ज्यादा हैं तो उदाहरण के लिये पहले संस्कृत के विश्वविद्यालय के उपकुलपति से ही श्रीगणेश होना चाहिये। श्रीमन्, जहां तक कि वेतन का संबंध है बार-बार उसकी इस सदन में चर्चा हुई। जब-जब बजट आता है तब-तब यह प्रश्न सामने आता है, और विरोधी दल के लोगों को मौका मिलता है कि वे अपने सिद्धांतों को रखें। बारबार यह कहा गया कि ५०० रु० से ज्यादा तनख्वाह नहीं होनी चाहिये। लेकिन अगर देखा जाय तो तनख्वाह के संबंध में आज जो हमारे यहां स्थिति है वह एक प्रकार से अजीब है। आज हम देखते हैं कि हमारे मिनिस्टर की तनख्वाह कम है, उनके सेक्रेटरी की तनख्वाह ज्यादा है। डिप्टी मिनिस्टर मेरा ख्याल है रिक्से पर घूमता है और उनके सेक्रेटरी ब्यूक और डाज पर चलते हैं। यह परिस्थिति मेरे ख्याल से आपको शायद ही किसी देश में मिले। सिद्धान्त के रूप में यह बहुत उचित है कि तनख्वाहों का अनुपात कम होना चाहिए लेकिन आज जहां हम तनख्वाहों को कम करने की बात-चीत करते हैं वहां दूसरी तरफ हम नहीं देखते कि रुपये की क्या कीमत हो रही है और खर्चे का क्या हाल हो रहा है। आज अगर किसी लड़के को विश्वविद्यालय में भेजा जाय तो जहां पहले तीस पैंतीस रुपये में काम चलता था वहां सौ सवा सौ रुपये से कम में लड़के की पढाई नहीं हो सकती। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां सिद्धान्त की बात की जाती ह वहां सिद्धान्त तो अपनी जगह ठीक है। कांग्रेस ने भी अपने कराची रेजुल्यूशन में पांच सौ रुपये की बात कही थी लेकिन आज अगर उस समय का पांच सौ रुपया देखा जाय तो शायद वह ढाई हजार या दो हजार से ऊपर ही जायगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह संस्कृत विश्वविद्यालय के उपकुलपति के लिए क्यों आदर्श और उदाहरण रखा जा रहा है। जिस दिन आप यहां एक झाड़ू पूरा चला देंगे और जिस दिन सबको पांच सौ या छः सौ कर देंगे उस दिन उसका भी हो जायगा और सब का हो जायगा। लेकिन आज हाईकोर्ट क जज साढे तीन हजार पाता है, गवर्नर को उस से भी ज्यादा मिलता है और यूनियन के प्रेसीडेंट को उससे भी ज्यादा मिलता है। तो बेचारे संस्कृत विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का ही क्या दोष है कि उसके लिए सारे सिद्धान्तों का प्रदर्शन होता है और कहा जाता है कि चूंकि पंडित जी हमेशा से ही संतोषी जीव हैं उनको तो मोक्ष के बारे में विचार करना है इसलिये उनको आप दस रुपया दें, पन्द्रह रुपया दें उनको कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिये। उनके लिये तो मान और सम्मान और चरण तो सब उनके स्पर्श करते ही हैं इसलिये चाहे आप सौ रुपया दें या दो सौ रुपया दें वह तो संतोषी जीव हैं वह उसी से सन्तुष्ट रहेंगे।

श्रीमान्, अगर आप उप-कुलपति को रखना चाहते हैं जैसा और विश्वविद्यालयों का है मैं निवेदन करूंगा कि संस्कृत विश्वविद्यालय का मान और सम्मान और विश्वविद्यालयों से ऊपर होना चाहिये और जहां तक वेतन का सम्बन्ध है अगर दूसरों को दो हजार मिलता है तो मैं निवेदन करुंगा कि अगर यहां उसका ढाई हजार होता तो मैं उसका समर्थन करता। इसमें कोई प्रश्न यह नहीं है कि वह ढाई हजार रुपया स्वयं खर्च करता है या क्या करता है। जैसा मेरे मित्र राजनारायण जी ने कहा कि काशी विश्वविद्यालय के उपकुलपति आचार्य नरेन्द्रदेव जब थे तो बहुत सा रुपया वह दूसरों को दे दिया करते थे। आप उनको दें भलें ही वह अपनी जगह उसको चाहें जिसको दे दें यह उनका काम है। लेकिन यह कहना तो कोई अर्थ नहीं रखता फिर आप गवर्नर को क्यों इतना देते हैं, प्रेसीडेन्ट को क्यों इतना देते हैं। यह कहना एक बार बार सिद्धान्त

[श्री शिवनाथ काटजू]

का प्रदर्शन करना ही है । लेकिन वास्तविकता से यह बात दूर है । आप अपनी जगह उसके मान और मर्यादा को कायम रखें । वह उनको अख्तियार है कि वह अपने वेतन का जो चाहें करें । वह चाहें हवा खांय या पानी पीयें या गंगाजल पीयें परन्तु आपको और इस सदन को उससे कोई मतलब नहीं है । श्रीमान जी मैं निवेदन करता हूं कि आज हमारे प्रान्त ने दूसरों के लिए एक उदाहरण रखा है । संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिये जिससे कि यह समझा जाय कि संस्कृत की यूनिवर्सिटी को आपने किसी तरह से नीचा रखा । उसके महत्व को कम रखा । मैं कहूंगा कि अगर आप उसकी मर्यादा को ऊंचा करेंगे तो उसको जनता अपनावेगी और जनता चाहेगी । यह मैं बार-बार दोहराना नहीं चाहता । संस्कृत का हमारे देश की संस्कृति से और जो कुछ भी हमारा है, हमारे पास है, जो कुछ हमारी धरोहर है उससे घनिष्ठ सम्बन्ध है और जब हम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिये जिससे यह प्रतीत हो कि हम इसको एक सेकेंड रेट यूनिवर्सिटी का रूप रख रहे हैं या कि हमारे विचार में उसका स्थान या महत्व और विश्वविद्यालयों से कम है । इन शब्दों के साथ मैं फिर जो विधेयक में वेतन की सीमा रखी गयी है और जो तनख्वाह निर्णित की गयी है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं तो नहीं चाहता था कि बोलूं लेकिन, सरकारी दल के सदस्य माननीय नवल किशोर ने उस भावना का समर्थन किया है इसलिये मैं समझता हूं कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि विरोधी दल में ही यह भावना हो । जो सचमुच में अपने को समझता है कि मैं भारतवर्ष का और विशेषतः उस भारतवर्ष का जो गरीब देश है और जिसके एक मजदूर की ज्यादा से ज्यादा सालाना आमदनी दो सौ रुपया है जिसको एक वक्त भी भरपेट खाना नहीं मिलता है । उस देश का रहने वाला हूं तो वह कभी इस प्रकार की बातें नहीं करेगा । इस प्रकार की बातें करना कि दो हजार नहीं ढाई हजार अगर वाइस चांसलर की तनख्वाह होती तो वह उसका स्वागत करते तो यह उनका दोष नहीं है यह तो समाज का दोष है जिस समाज में वह रहते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, कहा गया है कि जिसके "पैर फटी न बिवाई वह क्या जाने पीर पराई ?" जो गरीबों में रहते हैं, जिसने गरीबों का साथ दिया है, वही गरीबों की भावनाओं को समझा सकता है लेकिन भले ही प्रजातंत्र हो, भले ही गांधी जी के नाम से राज्य हो लेकिन वास्तव में गांधी जी का राज और रामराज्य तभी होगा जब कि एक मजदूर की और एक एम० ए० पढे लिखे की और चाहे प्राइमरी का टीचर या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो उसकी तनख्वाहों में बहुत बड़ा अन्तर नहीं होगा । इस प्रकार से गांधी जी की दुहाई देना और रामराज्य की दुहाई देना यह तो एक परम्परा सी बन गई है जिसकी आड़ में अधिक से अधिक खाने को मिलता है और ऐश व आराम मिलता है । वह तो ऐसी आड़ ही लिया करते हैं । मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय नवल किशोर जी को जो सरकारी दल के एक के विशेष सदस्य होते हुये उन्होंने अपनी और खासतौर से प्रजातंत्र की भावना का समर्थन किया है ।

मुझे बड़ा दुखः हुआ जब माननीय काटजू जी ने यह कहा कि संस्कृत का वाइस-चांसलर ही वह आदमी क्यों हो उन्हें समझना चाहिये कि पूज्य गांधी जी ही ने क्यों और सब से पहले विदेशी कपड़े जलाये और यह प्रारम्भ किया कि विदेशी कपड़ों का बाइकाट होना चाहिये और स्वदेशी कपड़े तथा खद्दर की प्रतिष्ठा होनी चाहिये । मैं तो समझता हूं जैसा यह नाम है संस्कृत उसका मतलब ही "सुधरा हुआ संशोधित है" अगर वहीं से ही यह चीज प्रारंभ नहीं होती है तो किसी भी स्कूल कालिज में यह चीज प्रारंभ नहीं हो सकती है, क्योंकि और जो है वह बड़े दूषित ढंग से और विदेशी परम्परा के आधार पर स्थापित किये गये हैं । जहां तक उन्होंने यह कहा कि आजकल लड़कों की फीस बढ गयी है और खर्चा बढ रहा है तो उपाध्यक्ष महोदय, उन्हें स्वयं सोचना चाहिये कि जब वह वाइस चांसलर को इतनी लम्बी तनख्वाह दे रहे हैं और प्रोफेसर को भी लम्बी तनख्वाहें दे रहे हैं तो लड़कों की फीस का बढना भी आवश्यक है क्योंकि तनख्वाहों से खर्चा ज्यादा बढ़ गया है ।

जहांतक माननीय नवल किशोर जी ने यह बात कही कि सेल्स टैक्स कोई बढा हुआ नहीं है और न इसका उससे कोई संबंध ही है तो उपाध्यक्ष महोदय, जब खर्चा ज्यादा होगा तो वह आमदनी कहां से होगी ? मैं समझता हूं कि यह सिद्धान्त की बात जो माननीय राजनारायण जी ने कही वह बहुत उपयुक्त है कि जब खर्चे आप बढ़ाते जायगें, लोगों की तनख्वाहें बढ़ाते जायंगे तो सरकार को नाना प्रकार से टैक्स लगाना होगा और जो तनख्वाहें इस वक्त मौजूद है वह कम होंगी और खर्चा कम होगा तब यह टैक्स नहीं लगेंगे और जो मौजूद है उनमें भी कमी हो सकती है । इसलिये ये ऐसी बातें हैं जिनका एक दूसरे से सम्बन्ध है ।

माननीय बद्रीनाथ जी मिश्र ने कहा कि यह संस्कृत के लिए ही यह बात क्यों कही गयी है । उपाध्यक्ष महोदय आपको याद ही होगा कि अन्य विश्वविद्यालयों के विधेयक जब सदन के सामने आये तो उन सबके लिए भी यही बात कही गयी है कि एक हजार से अधिक तनख्वाह नहीं होनी चाहिये लेकिन पता नहीं क्यों यह खयाल कर लिया कि संस्कृत विश्वविद्यालय के लिये ही यह बात कही गयी है । उपाध्यक्ष महोदय अगर अनुपयुक्त न हो ता इस समय मुझे एक कहावत "चोर की दाढी मे तिनका" की याद आ जाती है । जिस समय एक राजा ने कहा कि चोरी का पता तो लगता नहीं है, खैर, जो चोर है वह बता दे नहीं तो उसका पता तो हमें लग चुका है । उसकी दाढ़ी में रुई चिपकी हुई है तिनका लगा हुआ है । तो इस वक्त मुझे यही मालूम पड़ता है कि उनको यह मालूम हो गया है कि यह सदन और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार ही करने वाले हैं इसलिये वह बड़े निराश हो गये कि कहीं इस संशोधन को मंत्री जी न मान जांय । यह तो उनके वही शिक्षा मंत्री जी हैं जिन्होंने पिछले संशोधनों को नहीं माना है और इसको भी नहीं मान सकते हैं क्योंकि सरकार की जो पूंजीवादी आधारशिला है कि चाहे गरीब पिसता रहे और किसी को भरपेट भोजन न मिले लेकिन जिनकी जो तनख्वाह है वह बराबर उनको मिलती रहेंगी और बढ़ती जायेंगी । जब यह बात है तो पता नहीं क्यों उनको ऐसा भ्रम हो गया कि शिक्षा मंत्री जी में परिवर्तन हो जायगा। वह इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि यह नहीं हो सकता है । इसलिये मैं समझता हूं कि राजनारायण जी ने जो संशोधन रखा है ,वह उपयुक्त है और हमारी जो प्रजातंत्र की भावना है और जैसे कि यह सरकार गांधी जी का नाम लेकर शासन कर रही है और हामी भी यह लोग भरते हैं कि हम गांधी जी के अनुयायी हैं और जब वेतन का सवाल आता है कि कम होना चाहिये तो हमारे मित्र काटजू जी कहते हैं कि हमारे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज वगैरा को तनख्वाह बहुत कम मिलती है । मैं समझता हूं कि उनकी प्रतिष्ठा कितनी ज्यादा है । जब आदमी को अर्थ मिलता है तो उसका खर्चा भी उसी प्रकार से बढ़ता चला जाता है । जितना रुपया होता है उसी ढंग से स्कीमें बनने लगती हैं । इसलिये मैं चाहता हूं जैसा कि नवलकिशोर जी ने कहा कि आपको प्रारम्भ करना पड़ेगा तो वह यहीं से शुरुआत कर दें । जैसा कि उन्होंने कहा है कि एक दम से हो लेकिन यह सरकार नहीं कर सकती है,यह तो जभी होगा जब या तो कम्यूनिस्ट सरकार आये या राजनारायण जी की सरकार आये तो यह सम्भव हो सकता है कि एक दम से बिल आये और सबकी तनख्वाह बराबर हो जांय । इस सरकार से यह नहीं हो सकता है । शिक्षित-वर्ग कम से कम तनख्वाह लेकर यह आदर्श उपस्थित करे कि जो लोग दो हजार रुपया लेकर इतना अच्छा काम नहीं कर सकते हैं उसे वह थाड़ा सा वेतन लेकर उनसे अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं राजनारायण जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मेरा निवेदन यह है कि इसी प्रकार का हमारा भी प्रस्ताव है यदि हमें बोलने का अवसर मिल जाय तो हम उसको पेश नहीं करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--एक संशोधन रामेश्वरलाल जी के नाम भी है । मैं समझता हूं कि बोलने के बाद वह उसको पेश करना नहीं चाहेंगे । रामेश्वरलाल जी को मौका देना उचित समझता हूं । इसके बाद मैं इस प्रश्न को लूंगा ।

श्री रामेश्वरलाल—मान्यवर, मैं श्री रामसुन्दर पांडेय द्वारा प्रस्तुत संशोधन का तथा राजनारायण जी द्वारा रूपान्तर का समर्थन करता हूं।

श्री शिवनारायण—प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने क्या रूलिंग दी कि इनके बाद आप और किसी को समय देंगे या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—यह आपका कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल—मान्यवर, मैं कह रहा था कि माननीय रामसुन्दर के संशोधन का जिसका रूपान्तर राजनारायण जी ने किया है, समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके सम्बन्ध में मैंने काटजू जी, नवल किशोर जी तथा अन्य माननीय सदस्यों के भाषण सुने और मैं इस पर बहुत विचार भी कर रहा था अपनी बुद्धि के अनुसार। यह सही है कि प्रान्त के बहुत से विश्व-विद्यालयों में जहां उपकुलपति की व्यवस्था है एक बड़ी ऊंची तनख्वाह देने की व्यवस्था सरकार ने अपने बहुमत के बल पर किया है। यह भी सही है कि अपोजीशन में जो लोग बैठते हैं उन्होंने उपयुक्त अवसरों पर ऊंची तनख्वाहों के सम्बन्ध में अपने विचार इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किये हैं। और हमारा तो यह सिद्धांततः विश्वास है कि किसी भी पिछड़े हुये देश में जहां लोग भूख से मर रहे हैं, गरीबी और तबाही हो और उसके साथ-साथ प्रकृति के प्रकोप प्रचंड होते चले जा रहे हों और जहां पंचवर्षीय योजनायें प्रथम और द्वितीय के रूप में देश के सामने उपस्थित हों उस समय जनता की गाढ़ी कमाई से कुछ लोगों को ऊंची तनख्वाहें दे कर कदापि भी यह उचित कारण नहीं कहा जा सकता कि बढ़ावा दिया जाय।

श्रीमन्, यह जो बिल पेश है यह संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में है। संस्कृत और उसके विद्वानों का विकास ईश्वरवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद और आत्मवाद के संघर्ष के बीच हुआ है जबकि आजकल के विश्वविद्यालयों और उनके पदाधिकारियों का विकास समाजवाद और पूंजीवाद के युग में हुआ है। दोनों के दो साहित्य हैं, दो विचार धारायें हैं। एक कहता है "ईट, ड्रिंक ऐंड बि मेरी" लेकिन दूसरा मानता है कि "शूद्रोपि कुलीनेव गुणवान् ब्राह्मणो भवेत" अर्थात् यदि सदाचार से रहने वाला शूद्र भी हो तो वह गुणवान ब्राह्मण बन सकता है। एक के यहां सदाचार की प्रतिष्ठा की गयी है और दूसरे में यह बात नहीं है। तो मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि संस्कृत विश्वविद्यालय को हम स्थापित करने जा रहे हैं और इस प्रकार का यह पहला विश्वविद्यालय इस प्रान्त में है। यहां पर हमें जो भी काम करने हों वे एक आदर्श रूप में होने चाहिये। दोनों के दो रूप मैंने आपके सामने प्रस्तुत किये। वहां पर एक हजार रुपये की तनख्वाह की व्यवस्था का जो संशोधन माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने रखा है उसे इस सदन को मान लेना चाहिये। आप देखेंगे कि संस्कृत अध्ययन काल में जब हमारे यहां संस्कृत के विद्यालय चला करते थे, चाहे वे जंगलों में हों, चाहे नालन्दा के विश्वविद्यालय में हों, चाहे वह किसी वटवृक्ष के नीचे ही बैठ कर चल रहे हों, वहां के जो विद्यार्थी होते थे वे जाते समय गुरुओं को दक्षिणा दिया करते थे और उसी से वे अपना काम चलाया करते थे। श्रीमन्, उस प्रकार की पुस्तकें और पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले व्यक्ति ही यदि इस विश्वविद्यालय के उपकुलपति होंगे तो सही माने में इसकी प्रतिष्ठा हो सकेगी और जो हमारी इच्छा है कि इन्डोलाजी, संस्कृत और पाली का विकास हो उसको हम तभी प्रतिफलित कर सकेंगे। तो हम यह आदर्श उपस्थित करें और इसलिये हम चाहते हैं कि एक हजार रुपये बहुत काफी हैं।

मान मर्यादा के प्रश्न को लेकर काटजू जी ने सदन में एक लम्बा चौड़ा भाषण दिया है। काटजू जी यह सोच सकते हैं कि किसी व्यक्ति को ऊंची तनख्वाह दी जाय तो उसकी मान मर्यादा हो सकती है। लेकिन गांधी जी के पास कौन सी अर्थ व्यवस्था थी? क्या था उनके पास क्या देश ने उनका मूल्य पैसे से आंका? एक लंगोटीधारी आदमी संसार को एक विचार दे गया जो विचार कि आज संसार के एक बहुत बड़े भाग का आदर्श बना हुआ है। तो हिन्दुस्तान

में त्याग की महत्ता अधिक है। त्यागी पुरुषों की इस देश में कद्र की गयी और उनको नेता माना गया है। इस देश ने पैसे वालों को कभी भी नेता नहीं माना। राजा भी हुये लेकिन हरिश्चन्द्र को क्यों महत्ता दी गयी ? क्यों राजाओं में हरिश्चन्द्र को एक विशेष स्थान प्राप्त है ? इसलिये कि उन्होंने सम्पत्ति को कोई स्थान नहीं दिया। तो इस देश में त्यागियों की एक महत्ता है। तो मैं कहूंगा कि काटजू को इस तरह की बात भारतीय संस्कृत में और इस देश में रहते हुये कि पैसों से किसी आदमी का मूल्य आंका जाय नहीं कहनी चाहिये। यह तो आपकी व्यवस्था है कि आप विशिष्ट व्यक्तियों को जिनको आप चाहते हैं उनको किसी पद पर विशेष-तौर से व्यवस्था बनाकर ऊंची तनख्वाह देकर करते चले आये हैं यह हमारा आरोप है। हम जानते हैं कि ऐसा हुआ है। यूनिवर्सिटी विधेयकों को ले लीजिये, उपकुलपतियों की व्यवस्थाओं को ले लीजिये उनका आभास इस सदन में भी हुआ हम लोग भी समझ गये आप किस को बनाने जा रहे हैं और किसके लिये आपने यह व्यवस्था की है। यदि आपका यही विचार हो कि संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में भी जो आप बनारस में बनाने जा रहे हैं वही किया जाय जो आप करना चाहते हैं तो यह आपके हाथ में है। बहुमत आपका है उसके बल पर आप चाहे जो कर लीजिये, लेकिन यदि ऐसी बात नहीं है तो कम से कम एक मर्यादा स्थापित कीजिये और उसके अनुरूप माननीय रामसुन्दर जी का संशोधन है। बहुत से उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य भी माननीय नवल किशोर की भावना का आदर करेंगे और जोरदार शब्दों में सरकार से आग्रह करेंगे वे इस संशोधन को अवश्य स्वीकृत करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मेरा भी प्रस्ताव है, श्रीमन् ?

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपकी पार्टी को काफी मौका दिया जा चुका है।

श्री राजनारायण—कोरम देख लिया जाय है, या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—कोरम है। प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजनारायण—मैं विभाजन की मांग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आपने देरी कर दी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय मंत्री जी का उत्तर नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष—अपना उत्तर वे अन्त में देंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय मंत्री जी की रिप्लाइंग स्पीच तो हो जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—आवश्यक नहीं है। वह चाहें तो पहले भी बोल सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मैं विशेषतः माननीय नवल किशोर जी का आभारी हूं कि उन्होंने अपनी राय को हमारे संशोधन के पक्ष में दिया। राजनारायण जी तो सदा समर्थन करते हैं लेकिन उधर के बैठने वालों में अगर कोई जायज बात का समर्थन करता है तो मैं समझता हूं कि वे लोग ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि सरकार का इतना बड़ा अंकुश है उसके आगे बढ़ना मुश्किल होता है। श्रीमन् आप जानते होंगे आप उस दिन कुर्सी पर थे मैं नाम तो नहीं लेना चाहता लेकिन एक माननीय सदस्य ने कहा था इसी दो हजार तनख्वाह पर कि अगर सरकार तनख्वाह कम कर दें तो हम मान जायेंगे। सरकार की मंशा पर चलने वाले वे सदस्य हैं। माननीय सदस्य की क्या मंशा है, क्या चाहते हैं इसको बहुत कम माननीय सदस्य सरकार को और इस सदन को अवगत कराना चाहते हैं। उन लोगों से माननीय नवल किशोर जी ने स्पष्ट होकर अपनी राय जाहिर की तो मैं समझता हूं कि वे धन्यवाद के पात्र हैं। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि नवल किशोर जी की बात को सरकार को मानना चाहिये।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

सरकार हम लोगों की बात की कद्र न करे लेकिन नवल किशोर जी को बात की कद्र तो करनी ही चाहिये । जब उधर के बैठने वाले लोग उधर के बैठने वाले लोगों की बातों की कद्र न करें तो फिर क्या सरकार चलेगी । सरकार जो कानून बनायेगी फिर उसकी पाबन्दी कैसे होगी ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—सरकार तो चल रही है उसकी फिक्र आप न कीजिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—सरकार तो चल रही है लाठी और गोली के बल से। सरकार जनता की इच्छाओं पर नहीं चल रही है । जनता की जो इच्छा है वह तो बिक्री-कर के सम्बन्ध में आपको मालूम हो गई होगी और आप जनता की इच्छा की पाबन्दी कितनी करते हैं आप इसको अभी देख रहे हैं और उसका पता चलेगा किसी दूसरे वक्ता श्रीमन्, माननीय काटजू साहब तथा बद्रीनारायण मिश्र जी ने अपनी बात कही । मिश्र जी का तर्क तो ऐसे ही कभी-कभी सदन में उपस्थित हुआ करता है । श्रीमन्, चार, पांच साल के जमाने में कभी-कभी वह हो जाया करता है । इस मौके पर भी मिश्र, जी ने अपना तर्क उपस्थित किया और उसको सुन कर लोग हंसने लगते हैं । हंसने इसलिये लगते हैं कि उनके तर्कों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि हंसने की बात ऐसे ही मौके पर आती है नहीं तो कोई स्थान हंसने का तर्क में हुआ नहीं करता । माननीय मिश्र जी ने कहा कि सब उपकुलपतियों की तनख्वाह कम कर दी जाय तो उन की भी कम की जाय । यह एक महान् तर्क था नवल किशोर जी ने पहले ही उनका उत्तर दे दिया था । मेरा ख्याल है कि बद्रीनारायण जी ने उनकी स्पीच को सुना नहीं और न सुनने की इच्छा ही रखते है कि जब कोई माननीय सदस्य बोलता है तो उसको वे सुनें । उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम संस्कृत विश्वविद्यालय के उपकुलपति की प्रतिष्ठा तनख्वाह पर नहीं चाहते हैं । हम चाहते हैं कि उसकी तनख्वाह एक हजार कर दी जाय और उपस्थित किया जाय और दूसरे बिलों में संशोधन । यह तर्क उपस्थित किया था माननीय नवल किशोर जी ने । इस पर उनकी नजर नहीं पड़ सकी और श्रीमन् उन्होंने ने कहा कि अगर उनकी तनख्वाह कम होगी तो उनकी प्रतिष्ठा दूसरे उपकुलपतियों से कम होगी । और यह तर्क पेश किया कि संस्कृत के अध्यापकों की तनख्वाह कम है इसलिये उनकी प्रतिष्ठा भी कम है । मेरा ख्याल है कि माननीय परिपूर्णानन्द जी का जिस दिन व्याख्यान हुआ था संस्कृत के विद्वानों और काशी नरेश के सम्बन्ध में उस दिन भी बद्रीनारायण जी सदन में मौजूद नहीं थे । अगर मौजूद होते तो वह व्याख्यान उन्हें अवश्य प्रभावित करता ।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो संस्कृत यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है उसकी कीमत पैसे पर नहीं होनी चाहिये । नालन्दा की चर्चा यहां बहुत की जाती है । मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से, उनके जिम्मे संग्रहालय विभाग भी है, वह जरा बतायें कि नालान्दा के उपकुलपति को कितनी तनख्वाह मिलती थी । जहां तक संस्कृत साहित्य की बात है कुलपति की श्रीमन्, कोई तनख्वाह नहीं थी । पुराने जो पंडित थे वह तनख्वाह पर आधारित नहीं होते थे । लेकिन इस सरकार का जो ढांचा है उसमें तनख्वाह रखना आवश्यक है । वह तनख्वाह कितनी रखी जाय इस पर श्रीमन्, हम से और सरकार से मतभेद है। सरकार के सलाहकारों की,काटजू साहब और बद्रीनारायण जी मिश्र जैसे सलाहकारों की राय है कि अगर तनख्वाह दो हजार से कम होगी तो वह कम होगी उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से कम होगी, औ श्रीमन्, आप देखिये कि हमारे प्रदेश में ८ विश्वविद्यालय हैं जिनमें से दो केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं । उनके लिये तो सरकार बहाना कर सकती है कि उनमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो इसके अधीन है उन में तनख्वाहों का एक आदर्श ढांचा स्थापित कि ा जा सकता है। माननीय काटजू साहब कहते हैं कि अगर तनख्वाहें कम होंगी तो मर्यादा कम होगी । कहते हैं कि गवर्नर की तनख्वाह जब इस प्रदेश के अधिकारियों की तनख्वाह से ज्यादा है तो उपकुलपति की तनख्वाह कम क्यों की जाय । श्रीमन्, मैं इसका सख्त विरोधी

हूं और काटजू साहब को यह सोचना चाहिये कि उनके परिवार के ही उनके खास पिता जब उन कुर्सियों पर बैठते थे और पिछली बार भी बैठे थे और जब वह हाईकोर्ट की वकालत करते थे तो उतनी ही तनख्वाह पाते थे जितनी कि यहां पर पाते थे और जब वे केन्द्रीय सरकार के मंत्री हैं तो क्या उतनी ही तनख्वाह पाते हैं जितनी कि पहले पाते थे। किसी व्यक्ति की तनख्वाह उसकी आमदनी पर नहीं आंकनी चाहिये और उनकी इज्जत उनकी आमदनी पर निर्भर नहीं हुआ करती हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी एक जमाने में काशी विद्यापीठ में प्रोफेसर थे और वहां केवल वह ७५ रुपया मासिक तनख्वाह पाते थे तो क्या उस जमाने में वह आज से कम ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे ? क्या उस जमाने में उनकी विद्वता और प्रतिष्ठा कम थी कि जिस पद पर वह आज आसीन हैं क्या इस पद से उनकी ख्याति कम हो गयी ? माननीय राजनारायण जी कहते हैं कि उसके मुकाबिले में कम है। यदि कम है तो फिर ७५ रुपया पाने वाले की पूजा हो उसके मुकाबिले में जो आज १,२०० रुपये तनख्वाह पाता है और ६।। करोड़ जनता के शासन का अधिकारी सब से बड़ा है। तो फिर किसी व्यक्ति की पूजा किसी की प्रतिष्ठा उसकी तनख्वाह पर निर्भर नहीं हुआ करती। उसकी योग्यता, विद्वत्ता और पांडित्य पर निर्भर हुआ करती है। श्रीमन्, आप जानते हैं कि बहुत से पूंजीपति हमारे देश में हैं और प्रदेश में हैं, लेकिन क्या उनकी इज्जत हमारे माननीय काटजू साहब, जो २०० रुपया पाते हैं उनसे ज्यादा है। अगर पैसे पर इज्जत हो तो लाखों रुपया उनकी आमदनी है और काटजू साहब की आमदनी कम है तो फिर काटजू साहब की इज्जत सिंहानिया के मुकाबिले में कम की जाय और उन लोगों की ज्यादा की जाय। मैं समझता हूं यह दलील जो दी जाती है और माननीय काटजू साहब देते हैं उसको सुनकर तकलीफ होती है और इस तरह की दलील देकर मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में ऐसे माननीय सदस्य सरकार को मजबूर नहीं करते हैं कि वह अपनाये जिससे आदर्श उपस्थित किया जा सके।

मैं समझता हूं कि सरकार के ऊपर अंकुश नहीं है। अगर सरकार पर अंकुश होता तो माननीय नवलकिशोर जी जैसे सदस्य उधर बैठने वाले जब इस उसूल के हैं और सरकार को वह इस तरह की सलाह देते हैं तो सरकार की हिम्मत नहीं होती और सरकार संशोधनों का इस प्रकार से जवाब नहीं देती और उसके मंत्रिगण इस प्रकार से न कहते कि हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहते। यह विशाल बहुमत ही तो सरकार को मतवाला हाथी बनाये हुये हैं। जब मतवाली सरकार हुआ करती है तभी प्रदेश में और देश में अराजकता हुआ करती है और सरकार मद चूर होकर जनता की भावनाओं का निरादर करती है। यह बड़ी खराब बात है। माननीय राजनारायण जी ने जब बिक्री कर की चर्चा की तो नवलकिशोर जी ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता यहां पर नहीं थी लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जब आप दो हजार रुपया किसी उपकुलपति को देंगे तो वह तनख्वाह कहां से आयेगी वह तनख्वाह माननीय शिक्षा मंत्री जी अपनी तनख्वाह काट कर देंगे नहीं, राम सुन्दर अपनी तनख्वाह काट कर देंगे नहीं वह तो जनता की गाढ़ी कमाई का खून ले लेकर जो खजाना भरा जाता है और उस खजाने को निर्मोही होकर लुटाया जाता है।

माननीय उपमंत्री, शिक्षा विभाग माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस परिवार के हैं वह परिवार बहुत गरीब लोगों का है। वे श्रीमन् खेतिहर मजदूर हैं। उसी में से माननीय शिव नारायण हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आज भी खेतिहर मजदूरों की मजदूरी दो आना और एक लोटा शीरा है। (माननीय उप मंत्री शिक्षा विभाग के यह कहने पर कि आपके यहां पाते हैं) माननीय हरगोविंद सिंह जी के क्षेत्र में चलिये और देखिये कि अपने खेतिहर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिये उन्होंने क्या किया है और राम सुन्दर ने अपने क्षेत्र में क्या किया है। इस सदन में एक बार नहीं पचासों बार कहा गया है कि खेतिहर मजदूरों की एक सीमित मजदूरी कायम कर दीजिये लेकिन सरकार नहीं करती। माननीय सदस्य, शिक्षा मंत्री जी अथवा डाक्टर सीताराम कोई भी हों वे जिस सरकार के पोषक हैं वह सरकार खेतिहर मजदूरों की पोषक नहीं है। डाक्टर सीताराम हमारे क्षेत्र में जाकर हरिजनों की बस्तियों

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

में घूमें, झोपड़ियों में घूमें, तो उन्हें पता चलेगा कि राम सुन्दर पांडेय ने क्या किया है। लेकिन आज जो पार्टी शक्ति में है वह शक्ति हरिजनों और मजदूरों के दबाने के पक्ष में है, उनको रोजी दिलाने के पक्ष में नहीं है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि साधन विहीन आदमी अराजकता की ओर जाता है और अपने प्रदेश और देश में तनख्वाहों के सम्बन्ध में जो अराजकता होने जा रही है, हमारे देश का चपरासी वर्ग, अध्यापक वर्ग और क्लर्कों की तनख्वाह कम होती जा रही है, लेकिन जब कुलपति की तनख्वाह का प्रश्न हो तो एक पैसा भी कम करने की बात सरकार सोचती नहीं है। कहा जाता है कि कम कैसे होगी। माननीय राजनारायण सिंह जी और हमारी पार्टी के नेता गेंदा सिंह जी ने कई बार कहा है कि सरकार सही मानी में नहीं चाहती कि विकास के काम हों और अगर विकास करना भी चाहती है तो एक लोटा जो शीरा पाता है उसके पेट को काट कर। श्रीमन्, विक्रीकर लगाते वक्त सरकार ने शीरे पर भी विक्री कर लगा दिया है और इस प्रकार हरिजनों का पेट काट कर सरकार कुलपति को २ हजार रुपया देना चाहती है और फिर हमसे कहती है कि हम अड़ंगा लगाते हैं। हरिजनों को भूमि दिलाने के लिये हमारी पार्टी जेलखाने गयी और आपकी पार्टी ने हमको जेलखाने भिजवाया। हमारी पार्टी कोई बहुमत में नहीं है। आप उस स्थान पर बैठे हुये हैं जो कसौटी है। इसलिये आपका कर्त्तव्य हो जाता है कि आप खेतिहर मजदूरों को मजदूरी को बढ़ायें।

श्री उपाध्यक्ष––पार्टी के कार्यक्रम के बारे में आप यहां कुछ न कहें।

श्री रामसुन्दर पांडेय––जब लोग ऊंची-ऊंची तनख्वाहों के बारे में इधर-उधर की दलीलें दे जाते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, हमारी भावना भी उनका जवाब देने के लिये करती है और आपको धन्यवाद है कि आप उसका मौका देते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार नवल किशोर जी की भावना का आदर करे, गांधो जी की भावना का आदर करे और पैसे से सरकार प्रभावित न हो, पैसे से किसी की कीमत को न आंके और सरकार इस प्रकार एक आदर्श प्रस्तुत करे। यह तो नहीं कहा जा सकता कि संस्कृत कालेज का उपकुलपति कैसा व्यक्ति होगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार एक हजार रुपया तनख्वाह कर देंगे तो हो सकता है कि जिस व्यक्ति को दो हजार रुपया तनख्वाह आप देने वाले हों वही व्यक्ति एक हजार रुपया लेकर आपका काम करे। श्रीमन्, इस देश में इस प्रकार के एक नहीं बीसों उदाहरण हो सकते हैं कि सरकार ने जिस व्यक्ति को दो-दो डेढ़-डेढ़ हजार रुपये तनख्वाह दिया उसी को ५ रुपये तनख्वाह देकर भी काम कराया और लोग करते थे। इसलिये केवल तनख्वाह से किसी की योग्यता को नहीं आंका जा सकता है। बहुत से लोग देश के अन्दर ऐसे हैं जो देश सेवा से ओतप्रोत हैं, जो शिक्षा का प्रचार करना चाहते हैं। श्रीमन् काशी विद्यापीठ के कुलपति और वहां के प्रोफेसर दूसरे विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर से कम तनख्वाह पाते हैं। वहां के कुलपति कम तनख्वाह पाते हैं, बनारस यूनिवर्सिटी के कुलपति के मुकाबिले में, लेकिन काशी विद्यापीठ के जो प्रोफेसर हैं और जो वहां के कुलपति हैं क्या उनकी इज्जत किसी कुलपति और प्रोफेसर से कम है? श्रीमन्, वहां के पढ़े हुये विद्यार्थी किसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से क्या कम योग्यता रखते हैं? श्रीमन्, काशी विद्यापीठ के पढ़े हुये विद्यार्थी आज इस मंत्रिमंडल में सुशोभित हैं, केन्द्रीय मंत्रिमंडल में सुशोभित हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं। श्रीमन्, बहुत से बनारस और लखनऊ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं जो एम० ए० हैं, वकील हैं, जो मंत्रिमंडल में भी हैं लेकिन अच्छा काम नहीं करते हैं, ठीक से जवाब नहीं दे पाते, ठीक से ऐक्ट पढ़ कर नहीं आते, बहुत से एम० एल० ए० हैं जो एम०ए० की डिग्री लिये हुये हैं लेकिन ऐक्ट तक नहीं पढ़ते और सदन में हिस्सा भी नहीं लेते। तो श्रीमन्, कुलपति और उपकुलपति की योग्यता को पैसे से नहीं आंकना चाहिये। मैं इन शब्दों के साथ फिर माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे मेरे इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री हरगोविन्दसिंह---श्रीमन्, श्री रामसुन्दर पांडेय जी ने यह बहुत ठीक कहा था कि कुछ संशोधनों पर मैंने भवन के सम्मानार्थ और समय बचाने की दृष्टि से यह जरूर कहा कि मैं कोई उत्तर देना नहीं चाहता, और चाहे जो भी रहा हो लेकिन श्री रामसुन्दर पांडेय जी का भाषण सुनने के बाद मैं तो अपनी जगह पर शायद और निश्चित हो गया कि उनके आदर में इस प्रकार से यहां पर उनकी बातों का कोई उत्तर न दूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---फिर खड़े क्यों हो गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह---इसलिये खड़ा हो गया, वह आप जान लेंगे कि उन बातों का उत्तर तो शायद उसी प्रकार से आपको देना ही अच्छा है। इस संशोधन के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि इस दुनिया का कोई भी उसूल जिसको श्री राजनारायण सिंह ने पढ़ा या सुना हो और रामसुन्दर जी ने पढ़ा या सुना हो, कम से कम दोनों के बारे में मेरा निश्चित मत है कि वे बहुत कम पढ़े और बहुत कम सुने हैं, लेकिन उसको इस संशोधन के समर्थन में ले आने का प्रयत्न किया गया। मैं समझता हूं कि किसी विशेष पद का वेतन उस पद के सम्मान में कोई स्थान नहीं रखता, यह बिलकुल गलत है। यह कह देना कि पद और उससे संबंधित वेतन दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं है, यह भी गलत है। यह कह देना कि वेतन पर ही किसी पद का सम्मान निर्भर है, यह भी गलत है। तो सही केवल यह है कि जहां बलिदान की आवश्यकता हो वहां बलिदान करने पर उसका सम्मान बढ़ा दिया जाय, जहां बलिदान का अंश उसमें न आ सकता हो वहां मैं समझता हूं कि कोई सम्मान नहीं बढ़ता। जैसा कहा गया है, मैं जानता हूं कि बाबू राजनारायण जी ने आचार्य नरेन्द्र जी का नाम लिया, वैसे ही आचार्य जुगलकिशोर लखनऊ यनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं और इस समय जो लखनऊ यनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं वे भी अपने वेतनों का एक बड़ा भाग लड़कों में या विश्वविद्यालय में वितरित करते हैं लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस समय जिस वक्त कि आचार्य नरन्द्रदेव जी, आचार्य जुगल किशोर जी को तो छोड़ दीजिये वह तो हमारे साथ हैं, वह तो हम पापियों में से हैं जो जनता का खून चूसने वाले हैं, लेकिन आचार्य नरेन्द्रदेव जी जिस वक्त थे तब लखनऊ यूनिवर्सिटी एक्ट में यह कोई प्रतिबन्ध नहीं था कि वाइस चांसलर को २,००० वेतन दिया जायगा, उस समय वहां के स्टेचूट में यह दिया था और आप जानते हैं कि स्टेचूट कोई ऐसी चीज नहीं होती जो बदली न जा सके, विश्वविद्यालय की सिनेट अपने स्टेचूट को बदल सकती है और उसको बदलने की कोई मुमानियत नहीं थी। जिस समय आचार्य नरन्द्रदेव यहां के वाइसचांसलर थे उस समय वह अपने कोर्ट को बुलाकर यह कह देते कि वाइसचांसलर को कोई वेतन नहीं दिया जायगा लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्यों ? बावजूद इसके कि वाइसचांसलर कोर्ट को बुलाकर उस के सामने अपना ऐसा प्रस्ताव रख सकता था कोर्ट उस के लिये १,०००, १ रुपया या शून्य भी रख सकता था, लेकिन उन्होंने यह नहीं किया। मैं यह नहीं कहता कि २,००० रुपये से उन का कोई मोह था या वह दो हजार लेना चाहते थे क्योंकि हम जानते हैं कि २,००० जो वह पाते थे उसका बड़ा अंश वह विद्यार्थियों में वितरित कर दिया करते थे, लेकिन इसका भी कोई उत्तर है कि आचार्य जी को या साथी जुगल किशोर जी को या जो आजकल के हमारे वाइस चांसलर हैं इनको कोई मोह नहीं था और यह इस से स्पष्ट है कि वह अपना पर्याप्त भाग वितरित कर देते थे लेकिन फिर भी उन्होंने यह उचित नहीं समझा कि स्टेचूट में ऐसा कर दिया जाय कि वेतन २,००० से १,००० हो जाय। क्यों ? इसका क्या जवाब है ? इसका जवाब यह है कि वह वाइस चांसलर के पद के सम्बन्ध में यह समझते थे कि देश में बहुत से विश्वविद्यालय हैं, देश में सब विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों का इतना वेतन है, यह दूसरी बात है कि हम उस वेतन को न लें, उस वेतन को लड़कों में बांट दें, विश्वविद्यालय को छोड़ दें, दूसरे कामों में उनका वेतन लग जाय लेकिन अगर कानून में यह हो जाता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर का वेतन दूसरी यूनिवर्सिटी के वाइसचांसलर्स से कम है तो उपकुलपति का जहां जमघट होगा वहां मैं समझता हूं हमारे इन प्रदेशीय यूनिवर्सिटीज के वाइसचांसलरर्स का स्थान उनकी नजरों में कुछ छोटा जरूर होगा। तो यह बात मानते हुये कि पद से वेतन का

[श्री हरगोविन्दसिंह]

सम्बन्ध हो या न हो लेकिन उन्होंने इस को उचित नहीं समझा। मैंने भी वही कसूर किया है जो उन लोगों ने किया है, इस में कहीं यह नहीं है कि २००० रुपया लेना ही पड़ेगा वह अगर बलिदान वाले हों, ऊंचे आदर्श वाले हों तो न लें। वह श्री रामसुन्दर पांडेय की तरह से हों, मैं तो समझता था कि पांडे जी यहां आने से पहले २०० रुपया कहीं न पाते रहे होंगे, उनको बड़ी बलिदान से लग्न थी तो मैं तो समझता था कि दस पंद्रह पहले कमाते थे और अब दो-चार सौ पाते हैं तो उस में से वह कुछ बलिदान कर देते तब मैं समझता कि बलिदान मुमकिन है। लेकिन उनको बड़ा बुरा लगा जब छोये पर टैक्स लग गया। आजमगढ़ में मुझे याद है एक दफा जो किसान आंदोलन वहां चला मैं भी उस समय वहां गया हुआ था, यहां से एक डिप्टी मिनिस्टर भी उसको जांच के लिये गये और मालूम क्या हुआ कि उन गरीब बेचारों से एक पैसा हमने छोये पर टैक्स लगा दिया तो हमने तो चूस लिया लेकिन एक भी दख्वास्त राम सुन्दर जी के दफ्तर में नहीं ली गयी जिस पर एक रुपये का टिकट न लगा हुआ हो। वही रिपोर्ट भी अगर चाहें तो देख लें। तो भाई यहां तो हर व्यक्ति बड़ी २ बातें कर सकता है, वह जानता है कि यहां कोई बात नहीं है, लेकिन मालूम हुआ कि उनका कुल दफ्तर उसी से चल रहा है एक रुपया भी किसान की दख्वास्त से। तो मैं उस स्तर पर नहीं उतरना चाहता था इसीलिये मैंने कहा था कि मेरे लिये आपकी बातों का जवाब देना नामुमकिन है।

इसलिये इसमें यह रखा गया है जिसमें कोई वाइस चांसलर, और जैसी बात है अपने स्थान पर वह ठीक है। संस्कृत विश्वविद्यालय यह पहला भारतवर्ष में बनने जा रहा है। इसके बाद ही और कोई बनेगा। तो उस हालत में यह ठीक था कि हम इस विश्वविद्यालय के उपकुलपति की तनख्वाह २ हजार रु० से कम न रखें। यह ठीक था बिलकुल क्योंकि रामसुन्दर पांडेय जी वह बलिदान नहीं दिलवा सकते, मैं नहीं दिखला सकता तो उस बेचारे वाइसचांसलर से क्यों मैं कहूं कि तुम्हीं बलिदान दिखलाओ तो इसलिये यह रखा है जिसमें समकक्ष रहे, एक ही स्तर पर संस्कृत विश्वविद्यालय और दूसरे विश्वविद्यालय रहें। हमारे ऊपर यह लांछन न लगे कि इस विश्वविद्यालय के उपकुलपति की तनख्वाह कम करदी अपेक्षाकृत और उपकुलपतियों के। इसमें न किसी को चूसने की बात है और न कुछ और कोई बात है। अगर आप विश्वविद्यालय खोलेंगे तो इसमें तो कोई शक नहीं कि उसमें रुपया लगेगा और वह रुपया गरीबों के यहां से, आप अपने मन से गरीब होंगे, कोई अपने मन से अमीर भी हो सकता है, लेकिन कोई भी प्रदेशीय सरकार या केन्द्रीय सरकार कोई काम करेगी तो उसमें तो रुपया लगेगा। आप चाहते हैं कि एक पैसा किसी से ले न ....

श्री राजनारायण--श्रीमन्, आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। मैं यह देख रहा हूं कि चेयर का बड़ा अपमान किया जा रहा है। बार-बार मंत्री जी आप, आप कह कर सम्बोधन कर रहे हैं। और देखिये मेरे प्वाइन्ट आफ आर्डर पर अभी भी खड़े हैं।

श्री हरगोविन्दसिंह--जी हां। खड़ा हूं और इसलिये खड़ा हूं कि मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं।

श्री राजनारायण--अब वही अध्यक्ष हो गये क्या श्रीमन्, आप कृपया बैठ जाइये।

श्री उपाध्यक्ष--(श्री राजनारायण से) आप कृपया बैठ जाइये। माननीय मंत्री जी ने प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज किया है।

श्री राजनारायण--तो हमने भी प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज़ कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने जो बातें कहीं हैं उनका समाधान मुझे करना है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आपने हमारा प्वाइन्ट आफ आर्डर सुना ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—आपने अभी तक बताया नहीं ।

श्री राजनारायण—मैंने बताया कि मंत्री जी आप, आप कह रहे हैं और इससे चेयर का तथा पूरे सदन का अपमान हो रहा है। आप चाहे बर्दाश्त कर लें मगर कोई भी मंत्री आप, आप कह करके व्यंगात्मक शब्दों का प्रयोग करे तो मैं समझता हूं कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझ गया आपका प्वाइन्ट आफ आर्डर। मैं समझता हूं यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में मुझ निर्णय देने की आवश्यकता हो।

श्री हरगोविन्दसिंह—तो श्रीमन्, मैं यह केवल कह रहा था कि हमारे और रामसुन्दर जी में एक बड़ा सैद्धांतिक मतभेद है। रामसुन्दर जी शायद इस पक्ष हैं कि जो लोग कि छोवा पी रहे हैं वह हमेशा पीते रहें और इस तरह से तब तक यह मौका मिलता रहे कि इनके दफ्तर में दरख्वास्तें भी आयें और उस पर रुपया भी आये। वह यह चाहते हैं। मैं यह चाहता हूं कि जहां से भी हो किसी से अधेला, किसी से पैसा किसी से दमड़ी किसी से रुपये लेकर के ऐसी अवस्था देश में पैदा कर दें कि दूकान एक रुपये वाली बन्द हो जाय। यह दूकान न चलें। यह हमारा विचार है। तो यह है एक बड़ा सैद्धांतिक मतभेद है। इसीलिये अगर हम उस छोवे पर अगर कोई उसको लेता है उस पर एक पैसा टैक्स लगाते हैं कि जिससे कुछ मिल जाय तो कुछ ऐसा कार्य.....

श्री राजनारायण—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, मेरा दूसरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। मैं निवेदन आपसे यह कर रहा हूं कि माननीय मंत्री जी जब भी बोलते हैं तो आपकी ओर पीठ श्रीमन् कर देते हैं और उधर को मुंह कर लेते हैं। मैं समझता हूं कि यह आपका अपमान है और सदन का अपमान है।

श्री उपाध्यक्ष—यह किसी का अपमान नहीं हैं। यह उनके बोलने की सुविधा पर है।

श्री हरगोविन्दसिंह—तो यह बड़ा भारी मतभेद आप में और हम में है। और यह शायद ऐसा मतभेद है जो मिट नहीं सकता। तो मैं कह रहा था कि यदि आप कोई विश्वविद्यालय खोलेंगे, आप कोई स्कूल खोलेंगे, कारखाना खोलेंगे तो उसमें रुपया खर्च होगा और अभी कोई ऐसा देश मुझे नहीं मिला जहां यह कहा जाय कि सब लोग अमीर हैं, कोई गरीब नहीं हैं, या जहां यह कहा जाय कि सब लोग गरीब ही हैं, कोई अमीर नहीं है। अमेरिका एक बड़ा भारी अमीर देश समझा जाता है लेकिन यह कहना कि वहां गुर्बत नहीं है यह तो बिल्कुल गलत है। तो वैसे ही हमारा देश भी है। हम यह समझते हैं कि हमारे देश की आमदनी और देशों की अपेक्षा कम है। उसमें प्रयत्न होना ही चाहिये। तो उसके लिये रुपया भी लेना होगा। अगर यह नीति मान ली जाय तो फिर टैक्स लेकर के कोई काम न करना चाहिये। शायद रामसुन्दर जी सन्तुष्ट इसी से हो जायेंगे कि विधान सभा चलती रहे, उनको दो सौ रुपया मिलता रहे, दस रुपया रोज भी मिलता रहे और देश बड़ा अच्छा है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उलटे इसके अगर आप कुछ करेंगे तो आपको यह खर्च करना पड़ेगा। आपको इसी आमदनी में से निकालकर के कम करके और कहीं से आमदनी का जरिया पैदा करके यह काम करना पड़ेगा। आप चाहे एक हजार रखें, आप शायद समझते हैं एक हजार बहुत कम है, आप इतने अमीर हैं कि आप समझते हैं कि एक हजार रुपया दिया जाय महीने में तो यह ठीक है। आपके ठीक होने का स्तर है एक हजार रुपये। लेकिन मैं तो समझता हूं कि मेरे ठीक होने का स्तर अगर किसी को खाने भर को ही मिल जाय वही है। तो यह तो अपने-अपने स्तर की बात है। लेकिन जब आप कोई काम करेंगे तो आपको कुछ प्रबंध करना ही पड़ेगा। यह दलील कि किसी से कुछ लिया न जाय तो तब तो सभी काम बन्द हो जायेंगे।

[श्री हरगोविंदसिंह]

खैर मेरे कहने से तो वह समझेंगे नहीं क्योंकि तुलसीदास जी कह गये हैं कि "मूरख हृदय न चेत जो गुरू मिलहिं विरंचि सम। लेकिन भवन से यह मैं जरूर चाहता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार न करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन लोगों के लिये कहा उन्होंने कि दरख्वास्त और स्टाम्प का पैसा लेकर के खा गये वह लोग कांग्रेस में हैं कि कहां हैं? जब हम लोगों ने उनको निकाल दिया पार्टी से तो और इसीलिये निकाला तो वह कांग्रेस में चले गये हैं और कांग्रेस में हैं। ऐसे लोग कांग्रेस में जाते हैं जिनको हम लोग चोर समझकर निकाल देते हैं।

श्री हरगोविन्दसिंह—श्रीमन्, इसका भी जवाब दे दूं। शायद उनकी बात यह है कि वह जब तक लेते थे तब तक उनके पास थे और जब उन्होंने उसका भंडाफोड़ कर दिया तो वह उनसे अलग हो गये।

श्री उपाध्यक्ष—श्री रामसुन्दर जी के संशोधन में जो श्री राजनारायण जी का संशोधन है, मैं पहले उसे लूंगा।

प्रश्न यह है कि श्री रामसुन्दर जी के संशोधन में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय, "या उससे अधिक वेतन जो नियत किया जाय" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अब प्रश्न यह है कि खंड ११ के उपखंड (४) की पंक्ति २ में संख्या "२,०००" के स्थान पर "१०००" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ —

पक्ष में—१२,

विपक्ष में—५८।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*खंड १८ (क्रमागत)

श्री रामेश्वरलाल—मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (१३) के अंत में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय —

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि नियुक्त होने वाले व्यक्ति जाति पांति में विश्वास न रखने वाली संस्था या विचार के हों।"

श्रीमन्, खंड (१३) इस प्रकार है कि:—"ऐसे व्यक्ति जिनकी संख्या किसी भी समय पांच से अधिक न होगी, जिन्हें संस्कृत का विद्वान् होने के नाते अथवा संस्कृत शिक्षण के क्षेत्र में उनकी सेवाओं की मान्यता के कारण कुलपति (संसद) शिष्ट परिषद् की (सिफारिश) संस्तुति से नियुक्त करे।" मैं श्रीमन्, यह चाहता हूं अपने संशोधन के द्वारा कि कुलपति जो शिष्ट परिषद् में पांच व्यक्ति नियुक्त करे वह ऐसे व्यक्ति हों जो जाति पांति में विश्वास न करते हों। श्रीमन्, आप देखेंगे कि यह जो पांच व्यक्ति नियुक्त होंगे, वह लाइफ मेम्बर होंगे और शिष्ट परिषद् बनेगा, उसके यह सदस्य होंगे तो मैं चाहता कि वह व्यक्ति जातिपांति में विश्वास न रखने वाले हों।

---

*२६ जुलाई, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

अब श्रीमन्, उसका क्या कारण है, क्योंकि हम यह चाहते हैं कि जाति पांति में विश्वास न रखने वाले आदमी ही नियुक्त किये जायें ? श्रीमन् , यह स्वाभाविक है और मेरे विचार मुझसे आग्रह कर रहे हैं कि यह देखते हुये कि जो आज पद्धति है, जो संस्कृत की शिक्षा का रूप है, हमारे प्रान्त में, सारे भारतवर्ष में, उससे हम मजबूर हैं कि इस तरह का संशोधन प्रस्तुत करें । श्रीमन्, आप जानते होंगे और सदन जानता है कि संस्कृत शिक्षा पर एकाधिकार है विशेष वर्ण का और इस वर्ण ने संस्कृत को अपनी निजी सम्पत्ति मानकर इस तरह के प्रतिबन्ध और उपबन्ध लगाये हैं कि दूसरी जाति के जो नान ब्राह्मण लोग थे उनको वेद पढ़ने का और संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं दिया है बल्कि सरकार से दूर रह कर ऐसी व्यवस्था और नीति कायम की है कि जिससे समाज में प्रथा सी चल पड़ी है कि वह व्यक्ति जो संस्कृत पढ़ना चाहे ब्राह्मण अवश्य हो ।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि जब संस्कृत विद्या का ह्रास होने लगा और विदेशियों का पदार्पण हुआ तो यह विद्या धीरे-धीरे लुप्त होने लगी फिर इसका आर्थिक मूल्यांकन नहीं रह गया । फिर भी हमने देखा कि संस्कृत पढ़ने का अधिकार जो ब्राह्मणों को दिया गया था, उसका लाभ उठाया ब्राह्मण समाज ने और यह कानून बनाया कि दान लेने का अधिकार ब्राह्मण को ही हो और विदेशियों के पदार्पण के बाद यह संस्थायें दान पर ही आधारित रहने लगीं । चाहे वह राजाओं द्वारा चल रही हों या सेठों द्वारा चल रही हों, ऐसा नियम बन गया कि दान लेने का अधिकार ब्राह्मण को ही हो, इसने साबित कर दिया कि दूसरी जातियों को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं है ।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि आज भी पंडित समाज आर्य समाज के विद्वानों को विद्वान मानने के लिये तैयार नहीं हैं । श्रीमन्, आप देखेंगे कि आज आर्य समाज ने बहुत से ऐसे लोगों को जो अछूत थे विद्वान् बनाया । लेकिन श्रीमन्, आप देखेंगे कि एकाधिपत्य रखने वाला ब्राह्मण समाज जो संस्कृत विद्या के ऊपर अपना प्रभुत्व रखता है वह उनको भी विद्वान् मानने के लिये तैयार नहीं है । मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मंगलदेव जी शास्त्री की संस्कृत कालेज, बनारस में नियुक्त होने के समय, जो आज विश्वविद्यालय होने जा रहा है, क्या इन एकाधिपतियों ने बड़ा बावेला नहीं मचाया था ? क्या यह सही नहीं है कि संस्कृत कालेज में वेद पढ़ने वाली एक नान ब्राह्मण महिला को इन एकाधिपतियों ने पढ़ने की अनुमति नहीं दी थी और उसको हाई कोर्ट में रिट पेटीशन पेश करने की नौबत आयी थी ? तो मुझे भय है कि यदि जाति-पांति में विश्वास रखने वालों की विश्वविद्यालय में बाहुल्यता रहेगी तो फिर एकाधिपत्य कायम रहेगा और यदि वही एकाधिकार कायम रहा तो जाति पांति बढ़ेगी । इसी आशंका से प्रेरित होकर मैंने यह संशोधन पहले भी रखा था और यह कहा था कि हरिजन जातियों को विशेष प्रकार की व्यवस्था दे कर उस विश्वविद्यालय में विशिष्ट प्रकार की शिक्षा दी जाय । श्रीमन् यह मेरा धार्मिक दृष्टिकोण था । और इसीलिये हम आज देखते हैं कि जहां संस्कृत पर एकाधिकार रखने वाले लोग दूसरी जातियों को अवसर नहीं देते वहां हम हरिजनों में भी देखते हैं कि आज डोम चमार के हाथ का पानी नहीं पीता, धानुक पासी के हाथ का पानी नहीं पीता । यही कारण है कि आज डोम जाति को हरिजन जातियां कुयें से पानी नहीं भरने देती हैं । यह सब इसी कारण है कि यह वर्ग भेद जो बड़ी जातियां छोटी जातियों पर लाद रही हैं छोटी जातियां उनकी अनुकरणीय बनकर आपस में ही एक दूसरे का छुआ धर्म के नाम पर ग्रहण करने को तैयार नहीं हैं । मैं तो यह कह सकता हूं कि ऊंची जातियों के एकाधिकार उनके पाखंड और उनके कुकृत्य ने ही आज दस करोड़ भाइयों को हमसे अलग कर दिया है जो आज पिछड़े हुये और हरिजनों के नाम पर इस देश के मत्थे पर एक कलंक के रूप में विद्यमान हैं ।

इस कलंक को धोने के लिये सब से पहले नानक ने आवाज उठायी । उसके बाद दयानन्द ने आवाज उठायी और अन्त में जिनके आज हम सब अनुकरणीय हैं, महात्मा गांधी ने भी यह आवश्यक समझा कि इस कलंक को धोने के लिये आवाज उठानी चाहिये और उन्होंने आवाज उठायी । आज वही आवाज मैं उठाना चाहता हूं । मैं वह आवाज क्यों उठाना चाहता हूं,

[श्री रामेश्वरलाल]

मैं तो चाहता हूं कि जो इन महापुरुषों ने समय-समय पर आवाज उठायी यह सरकार उसकी कद्र करे। इस कलंक को धोने के लिये इन तीनों महापुरुषों ने जो अपने जीवन का बलिदान किया, इन बलिदानों की माननीय शिक्षा मंत्री कद्र करें। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री ने हमारे उस संशोधन को नहीं माना जिसमें हमने हरिजनों के लिये एक विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था के लिये मांग की थी। इसलिये मैं चाहता हूं कि कम से कम हमारे इस संशोधन को वे अवश्य स्वीकार करें। और इस संशोधन को स्वीकार कर लेने से ऐसा कौन सा क्रान्तिकारी प्रभाव होगा जिससे उनकी पार्टी की राज्य सत्ता के उलट जाने का भय हो यह मैं नहीं समझ पाता। मैं देखता हूं कि हमारा यह संशोधन बहुत ही उचित है और माननीय मंत्री जी को इसे अवश्य स्वीकार करना चाहिये।

मान्यवर, आज जब हम इस बात को कहते हैं और जब हम इस तरह के अपने मनोनुकूल संशोधन पेश करके अपने विचार प्रकट करते हैं, हरिजनोत्थान के सम्बन्ध में बातें करते हैं तो हमारे उधर के बैठने वाले भाई कहते हैं कि आप ही हरिजनोत्थान के समर्थक नहीं हैं। मैं भी जानता हूं कि उधर के लोग भी चाहते हैं, लेकिन जब मैं अपने विचार हाउस में प्रकट करता हूं तो माननीय शिवनारायण जी और माननीय शिवप्रसाद जी और दूसरे भाई जो अपने को उस समाज का अगुआ मानते हैं और जो उनके नाम पर आज इस सदन में आये हैं और माननीय सदस्य बने बैठे हैं हमसे कहते हैं कि यह सरकार बहुत कुछ कर रही है, १८ फीसदी रिजर्वेशन दे दिया हमारे लिये विधान सभा की सदस्यता रिप्रेजेंटेशन के आधार पर हमारा स्तर ऊंचा कर दिया है यह सारी बातें कर के सरकार हमारी सहायता कर रही है फिर इसकी आवश्यकता क्या है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे एक कहानी इस समय याद आ रही है। एक बार एक राजा के यहां जलसा हो रहा था। सत्यनारायण की कथा हिन्दुओं में बड़ी प्रचलित है। कथा हो रही थी और जब कथा समाप्ति पर हुयी तो उनके कुछ मुसाहिब राजा साहब के पास गये और कहा श्रीमन्, अब कथा विसर्जन हो रही है चलिये प्रसाद ले लीजिये और पूजन-अर्चन कर दीजिये। राजा उस समय सुरा सुन्दरी में व्यस्त था। उसने कहा कि इस वक्त मुझको फुरसत नहीं है जाओ और पंडित जी को ५० रुपये दे दो और विदा कर दो। मुसाहिब लौट आये। उसको ५० रुपये दे दिये और यह संदेश सुनाकर चलते बने। श्रीमन्, मैंने यह कथा सदन में इसलिये कही कि मैं प्रत्यक्ष रूप से सदन में यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि अनुदान देने का कार्य बड़ा सरल है लेकिन आचरण द्वारा आदर्श प्रस्तुत कर देना यह बड़ा कठिन काम है। आप रुपये की व्यवस्था कर सकते हैं। हरिजनोत्थान के नाम पर इस प्रान्त के कुछ लोगों को, कुछ प्रचार करने वालों को और आपके लिये वोट मांगने वालों का काम नौकर कर सकते हैं हरिजन कल्याण विभाग खोल सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं लेकिन आचरण द्वारा आदर्श प्रस्तुत करने वाले नहीं हो सकते। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि आप सिर्फ प्रलोभनों और इकरारनामों को प्रस्तुत करके हमको कोरी भावनाओं में न डालें इसलिये मैं चाहता हूं कि ज्यादा तर्क न प्रस्तुत करूं। माननीय मंत्री इस संशोधन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और इस संशोधन को तो कम से कम स्वीकार करने की कृपा करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं इस संशोधन को प्रस्तुत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सारा सदन मेहरबानी करके इस पर अपना विचार प्रकट करेगा और इसे स्वीकार करेगा।

श्री शिवनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज बड़ा हर्ष है कि हमारे मित्र रामेश्वरलाल जी ने एक बहुत सुन्दर प्रस्ताव इस सदन में उपस्थित किया है। मैं उसका समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। उसका कारण भी है। मेरे मित्र ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले हैं। वाकई इस देश में कायस्थों को और चमारों को शूद्र ही समझा गया। पटना हाईकोर्ट का एक फैसला है। तो वाकई में शिक्षा मंत्री जी को यह करना चाहिये कि जो

पांच आदमी वहां मुकर्रर किये जायं वे ऐसे व्यक्ति हों समाज के जिनमें जाति-पांति की भावना न हो। जो खद्दर की टोपी पहने, जो लाल टोपी पहने, काली टोपी पहनें लेकिन वह भावना अभी तक बदली नहीं है। सबूत के पक्ष में उधर भी अभी तक राजनारायण सिंह, नारायणदत्त तिवारी, कहां बदली भावना हमारे सोशलिस्टों में ! तो मैं चाहता हूं कि आज इस सोसाइटी में अगर अपनी सोसाइटी को ऊंचा लाना है तो रानाप्रताप सिंह, कल्याण सिंह और फलाने पंडित लगाना छोड़ दीजिये। अगर हम महसूस करते हैं कि इन पंडितों ने हमारे साथ जुल्म किया है, तो हाईकोर्ट का फैसला है और लोग भी कहते हैं कि कायस्थ भाई तो शूद्र हैं। आप भी कहते हैं कि मुसलमानों के जमाने में हम मुसलमान थे और अंग्रेजों के जमाने में शूद्र हैं, लेकिन आप ठंढे दिल से सोचिये कि इन शूद्रों को शूद्र किसने बनाया। मैं कहूंगा कि इन लाला भाइयों ने, इन कायस्थों ने इन्होंने ऐसा गला काटा है कि इनको कहीं क्षमा नहीं मिल सकती। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि अगर हमें लैन्डलेस बनाया है तो इस पटवारी समाज ने। मैं तो चौधरी चरण सिंह जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने एक कलम से हम सब को भूमिधर बना दिया। मैं तो कहता हूं कि जो आप कहिये वही आप को करना चाहिये।

"कहता कहता बहुत मिला और गहता मिला न कोय"।

उन्होंने एक रोज जिक्र किया देवरिया जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट का। मैंने जरूर निवेदन किया था कि जब उनके यहां जाता हूं तो वे प्लेट में खिलाते हैं।

(इस समय ४ बजकर २९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

तो अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह की चीजों को मिटाना है तो जातपांत को पहले मिटाइये। कबीरदास जी ने एक जगह लिखा है :

"जात पात पूछे नहीं कोय, हरिका भजे सो हरि का होय।"

यह कबीरदास जी ने कहा था। हमारे जिले में मगहर में उनकी समाधि बनी हुयी है। बड़े-बड़े लोग जाकर उसके दर्शन करते हैं। मैं समझता हूं कि अगर हमें इस देश का उत्थान करना है तो गांधी जी का जो संदेश था, ऋषि दयानन्द जी का जो संदेश था, उसको हमें अपने जीवन में ढालना चाहिये। आप कहते हैं कि मैंने कहा कि हरिजनों का बड़ा उत्थान हो रहा ह। मैंने यह नहीं कहा, मैंने यह कहा था कि गवर्नमेंट ने प्रोग्राम रखा है, लेकिन गवर्नमेंट सर्विसेज में जो लोग बैठे हैं वह जब होने दें तब न। गवर्नमेंट ने तो हमारे लिये १८ प्रतिशत रिजर्वेशन रख दिया, लेकिन देता कौन है। वहां आर्डिनरी नौकर तक ऊंची जाति के लिये जाते हैं। चपरासी भी पंडित ही रखा जाता है तो यह क्या बात है ? सारी कचहरियों में आज लाला भाई भरे हैं और बात पड़ने पर कहते हैं कि हम भी शूद्र और तुम भी शूद्र। अरे भाई शूद्र हो तो मदद करो। अगर गवर्नमेंट रामेश्वर लाल जी का प्रस्ताव मान ले तो अत्यन्त उत्तम होगा और इसमें कोई बनावट की बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि जो कुछ कहा जाय उसको अमल में लाया जाय और जब तक यह न होगा उस वक्त तक देश का कल्याण होने वाला नहीं है। रामराज्य की आपकी कल्पना पूरी होने वाली नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री महोदय से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि यहां बड़े-बड़े अधिकारियों, चांसलर और वाइस चांसलर की बात होती है लेकिन उनका ध्यान उन गरीब गांव के अध्यापकों की ओर भी जाना चाहिये, जो बहुत थोड़ी तनख्वाह में अपना गुजर कर रहे हैं। मैं कल बस्ती से लौटा हूं। माननीय राजनारायण जी कल बस्ती में ही थे। इसी यूनिवर्सिटी बिल पर अपने भाषण में वह छींटाकशी कर रहे थे। गवर्नमेंट को टैक्स के नाम पर गालियां दी जा रही थीं। मैं कहता हूं कि केवल ली देने से काम चलने वाला नहीं है। सही मानों में उनको सजेशन देना चाहिये था। उनको बताना चाहिये कि बस्ती में किस प्रकार एक वर्गहीन समाज बनाया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अब आप संशोधन पर आ जायं।

श्री शिवनारायण—उसी पर आ रहा हूं कि उन्हीं को रखना चाहिये कि जो जातपांत में विश्वास न रखते हों। अगर उन्होंने इसी किस्म का उपदेश वहां दिया होता तो बस्ती वाले समझते कि वाकई जो कहते हैं वही करते हैं वहां जा कर आप गरीबों की झोपड़ियों में रहिये जैसे गांधी जी भंगी बस्ती में रहा करते थे वैसे ही, उसी तरह से बड़े २ आदमी भी रहें तो कुछ काम हो सकता है। मैं अपने लाला भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि वह जातपांत का विचार छोड़ कर हम लोगों की मदद करें और इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री जोरावर वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रामेश्वर लाल जी ने जो संशोधन रखा है मैं समझता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी कमी को पूरा किया है। सचमुच में इस संस्कृत कालेज में पिछले वर्षों में जो घटनायें घटी हैं मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इसलिये इस ओर संकेत करना पड़ा कि वह इस प्रकार की जो संस्थायें या व्यक्ति हों उनको ही इस विश्वविद्यालय में लिया जाय जो जातिवादिता में विश्वास न करते हों। क्योंकि हो सकता है यही लोग उस संस्था के प्रबन्धक हों और ऐसे लोगों की ही वहां पर प्रवृत्ति होगी। अगर वहां ऐसे लोग पहुंच जायेंगे जो जाति-पांति में विश्वास करते होंगे तो अभी तक जो लोगों की धारणा चली आती है कि "स्त्री शूद्रौ नाधीयताम्" इस परिपाटी को आगे भी चलाते रहेंगे इसलिये मैं अधिक न कहकर इस संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करने की कृपा करेंगे क्योंकि मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी में गांधी जी ने पहले पहल ऐसे लोगों को ही लिया है जो जाति-पांति में विश्वास नहीं करते थे। जाति-पांति में विचार रखने वाले लोगों को उसमें लेना उचित नहीं है इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन रामेश्वर लाल जी ने रखा उसमें जो भावना है उस भावना की तो सब कदर करते हैं और मैं भी समझता हूं कि वह भावना ठीक है और कांग्रेस का यह उसूल है कि कहीं भी कोई छूत अछूत का भेदभाव न रहे। जहां तक उनकी भावना है वह तो ठीक है लेकिन उसका यहां पर रखना किसी तरह से उचित नहीं मालूम होता है। जब यूनिवर्सिटी में अब तक जितना काम किया जा रहा है उसमें कहीं भी छूत अछूत की भावना नहीं है और आजकल जितने भी यहां विधेयक आ रहे हैं और जो गवर्नमेंट की तजवीज है उसमें भी इस जाति-पांति के भेद को बिलकुल निकाल दिया गया है। ऐसी दशा में ऐसी बात को बार-बार रखना कुछ उचित नहीं मालूम होता है। आपकी जो भावना है मैं उससे मुत्तफिक और उसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन इस बात को बार-बार लाना उचित नहीं जान पड़ता। जब कुलपति ऐसे विद्वानों को देखेंगे तो वह स्वयं ही ऐसा करेंगे कि ऐसे विद्वानों को शिष्टपरिषद् में रखें जो उचित विचार के हों और जो ऐसी भावना रखते होंगे उनको वहां रखा जायगा। अब इस बात का प्रतिबन्ध लगा देना मैं किसी तरह से उचित नहीं समझता हूं। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री गंगाप्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भाई रामेश्वरलाल जी के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। भाई रामेश्वरलाल जी ने इस संशोधन को सामने रखकर जो विचार व्यक्त किये हैं वह तो सुन्दर हैं, लेकिन आज के जमाने में नहीं हैं। उस जमाने के विचार हैं जब हमारा भारत परतन्त्र था। अब जब कि भारत स्वतंत्र हुआ है और भारत ने अपना संविधान बनाया तो उसमें सब नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त हुआ है। अब उन पुराने रुढ़िवादिता के विचारों को यहां पर लाना एक प्रकार से नया तरीका है और यह वह लोग ला रहे हैं जो अपने को समाजवादी कहते हैं। जब उस समाजवाद का नाम आता है तो आप लोगों के अन्दर एक कसक पैदा हो जाती है और वह वोट के नाम पर इस तरह से कर रहे हैं। जब कि चुनाव आने वाला है तो उसके नाम पर....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसमें आप यह संकेत न करें। इसमें चुनाव की बात नहीं है।

श्री गंगाप्रसाद—मुझे कहना यह है कि आज इस तरीके की बात को लाकर समाज के अन्दर एक भ्रम पैदा किया जा रहा है। कभी वह जमाना था कि अछूत को वेद के पढ़ाने की मनाही थी, लेकिन वह जमाना आज खत्म हो गया है। वह एक जमाने की बात थी और पुराने जमाने की चीजें थीं. लेकिन आज तो हम लोगों को बराबर के अधिकार मिलने की बात संविधान में रखी हुई है और उस तरह के अधिकार बराबर मिल रहे हैं। इन सब चीजों के बाद थोड़ी सी चीजें हैं जिनको यह हमारे समाजवादी भाई अपने दिल के अन्दर सोच सकते हैं। जो ब्राह्मण समाज, समाज के सारे में अधिकार प्राप्त किये बैठे थे। और जो नहीं चाहता था कि छोटी जाति शिक्षित हो और हरिजनों को पढ़ाया-लिखाया जाय। परन्तु संविधान बन जाने के बाद उनका मुंह बन्द कर दिया गया है। आज हर नागरिक संस्कृत पढ़ सकता है, संस्कृत बोल सकता है, वेद पढ़ सकता है। आपके सामने एक नया बिल मंदिर प्रवेश का भी आ रहा है। उसमें बहुत सी कमियां भी हैं, लेकिन बहुत सी अच्छाइयां भी हैं। इसलिये मेरा कहना है कि यह जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है वह निरर्थक है और उसको वापिस ले लिया जाय, हमारे संविधान के लिये वह एक कलंक है। इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि इस संशोधन को वापिस ले लिया जाय।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय। काफी क्लाजेज अभी बाकी हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न-लिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—४९,

विपक्ष में—९।)

श्री अध्यक्ष—मैं एक चीज जरूर कह देना चाहता हूं वह यह कि उस रोज यह प्रस्ताव आया था कि आज तब तक बैठ जाय जब तक कि यह विधेयक पारित न हो जाय। मैंने उसको रोका था और यह कहा था कि दूसरे रोज तो वह हो ही जायगा। इसका जरा ख्याल रखना चाहिये। इसलिये शीघ्रता से थोड़ा-थोड़ा बोल कर लोगों को अपने विचार प्रकट करने चाहिये ताकि यह क्लोजर का किस्सा हो न हो तो ज्यादा अच्छा है। मैं लोगों को मौका जरूर दूंगा। हर एक व्यक्ति २—२, ४—४ मिनट बोले और अपने विचार रक्खे। मेरा कहना यह है कि उस रोज की भावना को कायम रखना चाहिये तो ज्यादा काम हो सकता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जब क्लोजर का प्रस्ताव ही आ गया तो वह भावना कहां रही?

श्री अध्यक्ष—उस रोज तो यह भावना थी कि यह विधेयक आज दोपहर तक समाप्त हो जायगा। इसलिये जो भावना थी उसी के अनुसार यह प्रश्न सामने आया है। उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसलिये इसमें अगर लोग कम समय लें तो अच्छा है।

श्री रामेश्वरलाल—मान्यवर, मैंने अपने संशोधन के संबंध में दिये गये माननीय सदस्यों के भाषणों को बड़े गौर से सुना। चार माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस संशोधन के संबंध में प्रस्तुत किये। इसमें दो माननीय सदस्यों ने तो हमारा समर्थन किया और श्री रतनलाल जैन

[श्री रामेश्वरलाल]

और श्री गंगा प्रसाद जी ने जो अपने विचार प्रकट किये उसमें उन्होंने हमारे संशोधन की भावना की और हमारी भावना की कदर ही की। अप्रत्यक्ष तरीके से इन माननीय सदस्यों ने हमारे संशोधन का समर्थन ही किया है। श्रीमन्, माननीय शिवनारायण जी का भाषण एक विचित्र भाषण था। श्री शिव नारायण जी ने दो तीन प्रश्न उपस्थित किये हैं जिनका जवाब दे देना मैं आवश्यक समझता हूं। उन्होंने कहा कि घरों में बैठने वाले समाजवादी जिनमें उन्होंने नाम लिया माननीय राज नारायण जी का और माननीय नारायणदत्त तिवारी जी का और यह कहा कि वे अपने नाम के पीछे सिंह और तिवारी शब्द क्यों लगाते हैं जब कि वे चाहते हैं कि वे लोग जो अपने को हरिजन कहते हैं और पिछड़ी जाति के कहते हैं वे समाज में ऊंचे उठें। श्रीमन्, मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि उसका कुछ कारण है और वह यह है कि माननीय शिवनारायण जी याद कर लें कि माननीय राजनारायण सिंह और माननीय नारायणदत्त तिवारी अपने नाम के पीछे "सिंह" और "तिवारी" इसलिये लगाते हैं कि वे अपने उस समाज को जिस समाज से वे आये हैं यह बतला सकें कि कि हम "तिवारी" और "सिंह" होते हुए भी हरिजन कल्याण चाहते हैं, उनका छुआ हुआ खाते हैं, उनके साथ बैठ कर काम करते हैं। अपने नाम के बाद सिंह और तिवारी लगाने का यही मतलब है। जहां तक माननीय शिव नारायण जी का और भाषण है, श्रीमन्, आप नहीं थे, उन्होंने कहा कि लाला समाज ने हमको शूद्र बना दिया। लाला समाज का मतलब हमने नहीं समझा। अगर उनका मतलब कायस्थ जाति से है तो मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूं। आशा है कि श्रीमन्, आप मुझे वह प्रश्न पूछने की आज्ञा देंगे।

श्री अध्यक्ष—'लाला' शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया तो ऐसा न हो कि उनके दिल में जो जाति की भावना नहीं हो उसको भी कह कर आप उनको नाराज कर दें।

श्री रामेश्वरलाल—श्रीमन्, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे अधिकृत करेंगे कि जो भाषण दिये जायं उसका जवाब देने का मुझे अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—लेकिन 'लाला' शब्द से दूसरे अर्थ भी निकलते हैं। 'लाला' वैश्य को भी कहते हैं।

श्री रामेश्वरलाल—श्रीमन्, उन्होंने कायस्थ कहा और हाईकोर्ट की एक रूलिंग भी दी।

श्रीमन्, मैं माननीय शिवनारायण जी से पूर्णतया सहमत हूं कि कायस्थ समाज ऐसा है जिसने आगे भी देश को गर्क कर डाला है और आज भी डाल रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उस कायस्थ समाज में डाक्टर सम्पूर्णानन्द, माननीय परिपूर्णानन्द, डाक्टर राजेंद्र प्रसाद और माननीय लाल बहादुर शास्त्री ऐसे लोग नहीं हैं, जिनके हाथ में आज देश के शासन का सूत्र है?

श्री शिवनारायण—वे पटवारी नहीं हैं।

श्री रामेश्वरलाल—यदि वे समझते हैं कि देश के अन्दर जाति व्यवस्था नहीं रहनी चाहिये, ऊंच-नीच का भेदभाव मिट जाना चाहिये तो मैं यह समझता हूं कि उनसे पूछा जाय कि वे देश की शासन व्यवस्था का सूत्र अपने हाथ में लेकर सारे देश को रसातल की तरफ क्यों ले जा रहे हैं।

मान्यवर, जैसा कि माननीय गंगा प्रसाद जी ने अपना तर्क प्रस्तुत किया, हमने संशोधन उपस्थित किया उससे उनको बड़ा दुख हुआ है। श्रीमन्, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और उनसे ईमानदाराना उत्तर चाहता हूं, मुझे विश्वास है कि वे अवश्य ही इसका उत्तर देंगे। वह यह कि क्या वे कह सकते हैं कि आज समाज में विषमता

नहीं है ? मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और विशेषतया डाक्टर सीताराम जी से पूछना चाहता हूं जो हमारे जिले से आते हैं कि क्या हरिजन समाज में ऐसे लोग नहीं हैं जिनको कुओं पर चढ़ कर पीने का पानी भरने का भी अधिकार उच्च वर्ग नहीं देता ? क्या हरिजन समाज में ऐसे लोग नहीं हैं जिनको समाज में बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया है ? उनको चारपाई पर नहीं बैठने दिया, खड़ाऊं पहनने का अधिकार नहीं दिया और अपने को हमेशा उनसे ऊंचा समझा है। लेकिन यदि ऐसा हमारे समाज में है तो हमें इसके लिये एक विशिष्ट व्यवस्था बनानी पड़ेगी और कानून द्वारा इसके लिये हमें हमेशा के लिये एक प्रतिबन्ध लगाकर चेष्टा करनी होगी और हमने इसीलिये यह संशोधन उपस्थित किया है। हम जानते हैं कि हमारे हरिजनों को संविधान के द्वारा मंदिर प्रवेश का अधिकार मिला है, लेकिन वह कार्य रूप में लागू नहीं है और उसका नतीजा यह है कि हमारी यह सरकार मंदिर प्रवेश विधेयक प्रस्तुत कर रही है, इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि आप सामाजिक और आर्थिक बराबरी को भूल रहे हैं और हमारे यहां समाज में आर्थिक और सामाजिक बराबरी आज तक नहीं है लेकिन हमें उसको लाने के लिये बहुत शीघ्र कदम उठाना पड़ेगा। मैंने देखा कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य के सम्पादकत्व एक पत्र "उन्नति पथ" निकलता है। उसमें मैंने माननीय विनोबा भावे जी का लेख पढ़ा। उसमें उन्होंने लिखा है कि गुरू नानक, स्वामी दयानन्द और महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता निवारण के लिये बहुत प्रयत्न किये, लेकिन उनको पूर्ण सफलता नहीं मिली और उसका एक कारण यह था कि उनको कानून ने साथ नहीं दिया यह साफ शब्द उसमें लिखे हैं। कानून का बहुत प्रभाव होता है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सरकार को इसके लिये अवश्य व्यवस्था करनी होगी, इसलिये मेरा यह संकेत है कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनावे। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग जिन्होंने समर्थन में विचार प्रकट किये हैं या नहीं किये हैं, मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह---मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१३) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि नियुक्त होने वाले व्यक्ति जाति-पांति में विश्वास न रखनेवाली संस्था या विचार के हों।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (१४) को निम्न रूप में रख दिया जाय---

(१४) "विश्वविद्यालय को या उसके प्रयोजन के लिये २५,००० रुपये से अन्यून मूल्य के दान (donation) देने वाले व्यक्तियों द्वारा अपने में से चुने हुये अधिक से अधिक ५ व्यक्ति।"

अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसी अवस्था की गई है कि जो २५ हजार का दान देगा वह शिष्ट परिषद् का सदस्य होगा। इससे यह हो सकता है कि शिष्ट परिषद् में ऐसे बहुत से लोग आ सकते हैं कि जो विश्वविद्यालय पर हावी हो जायं और जो सरकार का मन्तव्य है और जिस तरह की वहां वह शिक्षा-दीक्षा देना चाहती है वह न देसके इससे वहां रुपये वालों का ही बहुमत हो सकता है, जिनके हाथ में विश्वविद्यालय अपना काम ठीक से न चला सके। मैं इस पर अधिक भाषण तो नहीं देना चाहता, लेकिन आपकी आज्ञा से राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट के पहले भाग के पेज ४२५ पर बताया गया है कि विश्वविद्यालय की जो सिनेट हो उसमें किन संस्थाओं के और कहां से कितने प्रतिनिधि होने चाहिये। उसमें बताया है कि डोनर्स के अधिक से अधिक ५ मेम्बर्स होने चाहिये। अधिक तो नहीं अगर आपकी आज्ञा हो तो

[श्री जोरावर वर्मा]

मैं उससे २–३ लाइन पढ़ दूं, उसका आशय यह है कि किन्हीं भी संस्थाओं को इस तरह से जो लोग धन दें उनकी तादाद नियुक्त होनी चाहिये, क्योंकि अगर तादाद निश्चित नहीं होती है तो आगे चलकर अन्देशा हो सकता है कि वह लोग बड़ी तादाद में हो जायं और जो प्रतिनिधि सिनेट या शिष्ट परिषद् में हैं उन को वह अनबैलेन्स कर सकते हैं। और अपने इस डोनेशन्स के रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जो यूनिवर्सिटी का मन्तव्य है वह पूरा न हो पाये। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो इसमें संख्या रखी गई है वह कुछ निश्चित नहीं है कितनी संख्या होगी वह बाद में नियमों के द्वारा तय की जायगी। मैं चाहता हूं कि इसमें अधिक से अधिक ५ सदस्य रखे जायं जो डोनर्स के द्वारा निर्वाचित हों। आशा है कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, केवल इस कारण रखा गया है कि संस्कृत शिक्षा के प्रोत्साहन के लिये यदि ऐसे महानुभाव हों जो २५,२५ हजार दे सकें इस यूनिवर्सिटी को तो यह उचित ही समझा गया कि उन सभी को कम से कम सीनेट का मेम्बर बना दिया जाय। सीनेट साल भर एक दफा मिलता है और मैं समझता हूं उससे कोई हानि नहीं होने वाली है। जो राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट में है वह ठीक है, डोनर्स की ५ ही की उपयुक्त संख्या है लेकिन अगर डोनर्स की संख्या बढ़ा दी जाय, धनराशि अगर वह अधिक दें तो उनको अपना एक स्थान सुरक्षित हो जाय मैं समझता हूं इससे यूनिवर्सिटी का कल्याण होगा और इसीलिये यह रखा गया है। और इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि यह संशोधन उसके कल्याण में नहीं होगा और इसीलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि यूनिवर्सिटी के हित में ही है उससे लोगों में प्रोत्साहन होगा कि वह अधिक रुपया दें दान में। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में जो दानी पुरुष हैं उनका यही उद्देश्य है कि यूनिवर्सिटी को दान देकर संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहित करें मेरा ख्याल है कि वह लोग इतने स्वार्थी नहीं होंगे कि शिष्ट परिषद् के सदस्य होने के लिये ही दान दें। क्योंकि ऐसे-ऐसे दानी पुरुष पड़े हैं जो संस्कृत विद्या या विद्यादान अपना कर्त्तव्य समझकर देते हैं। तो अगर उनकी तादाद नियत नहीं की जाती तो जो मंत्री जी का मन्तव्य है हो सकता है वह उसके विपरीत पड़े। जिस ओर रामेश्वर लाल जी ने संकेत किया था कि वहां इस प्रकार के लोग एकत्रित हो सकते हैं जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में विश्वास करें और इस प्रकार के नियम या परिनियम बना दें, जिससे हमारी इस यूनिवर्सिटी का मन्तव्य भी पूरा न हो बल्कि उल्टा हो इसलिये मैं चाहूंगा कि यह मेरा जो संशोधन है वह ठीक है और उसे वह मान लें तो उनकी अति कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खं० १८ के उपखंड (१४) को निम्न रूप में रख दिया जाय—

"(१४) "विश्वविद्यालय को या उसके प्रयोजनों के लिये २५,००० रुपये से अन्यून मूल्य के दान (donation) देने वाले व्यक्तियों द्वारा अपने में से चुने हुये अधिक से अधिक ५ व्यक्ति।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (१६) को निम्न रूप में रख दिया जाय—

(१६) "राज्य विधान सभा द्वारा निर्वाचित उसके तीन सदस्य जिनमें एक हरिजन (scheduled caste) भी होगा।"

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं इसमें एक संशोधन करना चाहता हूं कि "जिसमें एक स्त्री और एक हरिजन भी होगा।"

अध्यक्ष महोदय, अभी जो जनरल डिवेट हुआ और माननीय सदस्यों ने पिछले जो संशोधन रखे उसमें भी इस भावना का संकेत किया गया था कि शिष्ट परिषद् में.....

श्री अध्यक्ष--श्री रामेश्वरलाल जी, आप भी इसको स्वीकार करते हैं।

श्री रामेश्वर लाल--जी हां।

श्री जोरावर वर्मा--हरिजनों का और स्त्रियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये और उसका एक कारण अध्यक्ष महोदय खास है। अभी पिछले दिनों में एक ऐसी घटना घटी कि एक स्त्री को उसमें शिक्षा अध्ययन करने के लिये संस्कृत कालेज में एडमीशन नहीं मिला और उसके लिये उसे हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। तो इस उद्देश्य से मेरा यह संशोधन है कि अगर इसमें एक स्त्री सदस्य हो जायगी तो वह कम से कम स्त्रियों के जो अधिकार हैं उनका थोड़ा बहुत संरक्षण होगा और जब शिष्ट परिषद् में एक स्त्री होगी तो यह स्वाभाविक होगा कि जो लड़कियां वहां शिक्षा प्राप्त करने के लिये जायंगी उनके लिये कोई इस प्रकार की बात नहीं होगी कि जो उनके विरुद्ध पड़े। हरिजनों के प्रतिनिधित्व की जहां तक बात है उनके संबंध में भी यही बात है। संस्कृत का और जो मनुस्मृति है उसके श्लोक का एक खंड है "स्त्री शूद्रो न दीयते"। तो अभी जैसा मेरा पहला संशोधन था कि डोनर्स पर कोई लिमिट नहीं रखी गई है उसमें इतने अधिक डोनर्स हो सकते हैं कि अगर कहीं वह पुरानी मनोवृत्ति के लोग आ गये जो कि मनुस्मृति के फालोवर हुये, उनके अनुयायी हुये तो मुझे यह अन्देशा है कि संस्कृत यूनिवर्सिटी में हरिजनों का प्रवेश नहीं हो सकेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि विधान मंडल के जो प्रतिनिधि हों उनमें एक हरिजन प्रतिनिधि भी हो जिनके होने से उनके अधिकारों की रक्षा तो होगी ही साथ ही यह भावना लोगों में पैदा नहीं होगी कि यहां हरिजनों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिये। मैं समझता हूं कि अभी तक जो एक यह यूनिवर्सिटीज में रिप्रिजेंटेशन होता है तो इस बात का बहुत ही कम ध्यान रखा जाता है कि उनमें हरिजन भी हो। अध्यक्ष महोदय, जहां हरिजन नहीं आता है तो उसका मतलब यह नहीं है कि हरिजन न हो, लेकिन यह एक नियम सा बन गया है कि जहां हरिजन का जिक्र न हो या रिजर्वेशन न हो तो सरकार की एक नीति सी बन गई है उसका वही अर्थ वह लगा लेती है कि हरिजन न हो। हालांकि अगर सरकार चाहे तो यह हो सकता है कि उसका रिप्रिजेंटेटिव हरिजन एक हो या स्त्री हो। तो जब इस प्रकार के कोई उदाहरण हमारे सामने नहीं है तो यह शंका होनी ही चाहिये कि सरकार जो संविधान में या यहां नियम बनाये गये हैं कि इस प्रकार से वहां पर जायेंगे स्त्री या शूद्र, तभी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है अन्यथा सरकार के लिये यह आवश्यक नहीं है और न सरकार चाहती है कि स्त्रियों या हरिजनों के प्रतिनिधि इस प्रकार की संस्थाओं में जायं। इसलिये मैं इस पर अधिक भाषण न देकर के यही माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, अब तो ५ बज चुके हैं, अब तो शायद मैं कल भाषण दूंगा।

श्री अध्यक्ष--आप जारी रखें, प्रस्ताव सुबह हो चुका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--प्रस्ताव तो मैं समझता हूं श्रीमन्, नियमों के अनुसार अवैधानिक हुआ, इसलिये कि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी के सम्मुख यह प्रस्ताव जाना चाहिये था। चूंकि हमने इसीलिये बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी बना दी है कि अगर सरकार समझती है किसी भी विधेयक का समय बढ़ना चाहिये या निर्धारित हो जाना चाहिये तो उसके लिये बिजनेस ऐजवाइजरी कमेटी को वह रेफर होता है। तो बिना अपोजीशन को कंसल्ट किये हुये और बिना ऐडवाइजरी कमेटी को रेफर किये हुये कैसे यह प्रस्ताव आ गया?

श्री अध्यक्ष—आपने सबेरे कोई आपत्ति नहीं उठाई। यह तो अभी उठाई है आपने कानूनी आपत्ति।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—जो सदन का निश्चय हो गया उसके खिलाफ अब मैं कोई व्यवस्था नहीं दे सकता।

सदन के पूर्व निश्चय को बदलने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री राजनारायण—निश्चय बदला तो जा सकता है?

श्री अध्यक्ष—हां, सदन हर समय निश्चय बदल सकता है।

श्री राजनारायण—तो मैं दोबारा यह निवेदन कर रहा हूं कि मेरा प्रस्ताव यह है कि सदन ५ बजे के बाद न बैठे। जितना इस समय काम हो चुका है हो चुका है। मगर सरकार बराबर इस नीति पर चल रही है कि चाहे जब प्रस्ताव रख दिया करती है और गिलोटिन रख दिया करती है और जब चाहे तब क्लोजर मूव करा देती है। तो मैं आपके द्वारा यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि जो ५ बजे का नियमित समय है उस समय पर कार्यवाही समाप्त हो जाय।

श्री हरगोविन्द सिंह—चूंकि श्रीमन्, इस संबंध में एक प्रस्ताव हो चुका है और यह कोई प्रस्ताव की ही बात नहीं है, उस रोज आखिरी दिन जब हम लोग मिले थे तो मैंने यह कहा था कि एक घटा वक्त और बढ़ा दिया जाय जिसमें कि आज यह विधेयक पारित हो जाय तो मेरा ख्याल है कि माननीय राजनारायण जी ने ही यह कहा था कि आज इसको न कीजिये, दूसरे रोज हाफ टाइम के पहले हो, लंच तक यह खत्म हो जायगा। लेकिन जब यह देखा गया कि यह शायद समाप्त नहीं होगा तो यह प्रस्ताव किया गया कि हम लोग एक घंटे, डेढ घंटे बैठकर के इसको पास कर दें। पहले भी हम लोग बैठते रहे हैं और चूंकि इस बिल ने काफी समय ले लिया है और बहुत से काम हैं जो इसकी वजह से पड़े हुये हैं, मैं समझता हूं कि भवन को अपने प्रस्ताव पर ही रुकना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, प्रस्ताव के संबंध में मुझे कुछ कहना है। श्रीमन्, आप देखें कि चूंकि पहले भी सदन को सूचना नहीं थी कि आज इस प्रकार अकस्मात सदन का समय बढ़ा दिया जायगा तो हमारे बहुत से इंगेजमेंट्स हैं। आज ही एक कानफ्रेंस का उद्घाटन भी है। यह अगर परामर्शदात्री समिति के सामने गया होता तो ऐसा नहीं होता। लाइब्रेरी कमेटी की भी मीटिंग अभी रखी गयी है किताबें छांटने के लिये। अब आगे देखें कि आप का काम कितना बाकी है। इस समय हम कुछ सिनेट के एलेक्शन के संबंध में विचार कर रहे हैं। अभी यह भी बाकी है कि संसद किस प्रकार चुनी जायगी, अभी ऐग्जिक्यूटिव कौंसिल का सारा कांस्टीट्यूशन बाकी है, सिनेट का कांस्टीट्यूशन बाकी है, ऐकेडेमिक कौंसिल का कांस्टीट्यूशन बाकी है, सिलेक्शन कमेटी का कांस्टीट्यूशन बाकी है। हमें यह नहीं मालूम कि फैक्ल्टी होनी चाहिये या नहीं, सिनेट की कितनी ताकत है या होनी चाहिये, ऐकेडेमिक कौंसिल की कितनी ताकत होनी चाहिये, स्टेट्यूट्स किस प्रकार से बनना चाहिये, ये सारे काम बाकी हैं। यानी तीन बटा चार विधेयक विचार होना बाकी है और जो रफ्तार रही है उसमें सरकार के पक्ष के लोगों ने भी काफी दिलचस्पी दिखाई है। माननीय मंत्री जी ने तो विचार नहीं किया, लेकिन अन्य सदस्यों ने दिलचस्पी ली है। तो जब तीन चौथाई काम बाकी है तो इस प्रकार ओम्नीबस रेजोल्यूशन लाना कि आज ही सारा काम समाप्त हो जाना चाहिये यह हमारे लिये सबसे बड़ा अन्याय है। तो मैं आप से और आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हम लोगों की भावनाओं का ख्याल करके इस पर पर्नविचार करें।

श्री अध्यक्ष—शिक्षा मंत्री जी, आपको कुछ कहना है?

श्री हरगोविन्द सिंह---बहुत सा तो बाकी नहीं है। छोटे बड़े सब अमेंडमेंट सिर्फ ११ खंडों के बाकी रहते हैं, आप देख लीजिये। इन खंडों पर यदि विचार कर लिया जाय तो यह जल्दी पारित हो जायगा।

श्री अध्यक्ष---मैं राय लिये लेता हूं राजनारायण जी के प्रस्ताव पर।

प्रश्न यह है कि जो सबेरे सदन ने निश्चय किया था कि सदन तब तक बैठे जब तक कि यह विधेयक पारित न हो, तो पुनर्विचार के बाद सदन यह निश्चय करता है कि अब कार्यवाही आज की समाप्त की जाय और जिस रोज दूसरे दिन यह विधेयक सदन में आयेगा उस रोज उसके बाकी खंडों पर विचार किया जायगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---११,
विपक्ष में---४१।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, सरकार ने हमारे नियमित और वैधानिक प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया इसके लिये हमें अफसोस है। पहले भी गुलोटिन बिना ऐडवाइजरी कमेटी को रेफर किये होते रहते हैं और सरकार आपकी सलाह के विरुद्ध भी इनको दुहराती रहती है। इसलिये सरकार की अनियमित और अवैधानिक नीति के विरोधस्वरूप हम आज सदन का परित्याग करते हैं।

(इसके बाद प्रजा समाजवादी दल के सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

श्री राजनारायण---श्रीमन्, हम सरकार की इस हठवादिता की नीति के विरोध में सदन का त्याग करना ही अच्छा समझते हैं। इसलिये हम सदन का त्याग करते हैं। आइन्दा सबक सीखेंगे तो ठीक बनेगा।

(इसके बाद समाजवादी दल के सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं?

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१६) को निम्नरूप में रख दिया जाय---

"राज्य विधान सभा द्वारा निर्वाचित उसके तीन सदस्य जिनमें एक स्त्री व एक हरिजन (Scheduled Caste) भी होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १९ व २०

शिष्ट परिषद का अधिवेशन।

१९---(१) प्रत्येक वर्ष ऐसे दिनांक पर जिसे उप-कुलपति निश्चित करेगा, शिष्टपरिषद् का एक अधिवेशन होगा, जो शिष्टपरिषद् का वार्षिक अधिवेशन कहलायेगा।

(२) उप-कुलपति जब भी उचित समझे शिष्टपरिषद् का विशेष अधिवेशन बुला सकता है। और ऐसी लिखित अधियाचना (requisition) पर, जिस पर शिष्ट परिषद् के ४० से अन्यून सदस्यों के हस्ताक्षर हों, वह ऐसा अवश्य करेगा।

शिष्टपरिषद् के अधिकार और कर्त्तव्य।

२०--(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, शिष्टपरिषद् निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात्--

(क) परिनियम (statutes) बनाना;

(ख) अध्यादेशों (Ordinances) पर विचार करना तथा उन्हें रद्द करना ;

(ग) वार्षिक प्रतिवेदन (annual report), वार्षिक लेखा, आय-व्ययक तथा विश्वविद्यालय से संबद्ध सामान्य नीति संबंधी किसी मामले पर विचार करना तथा संकल्प (resolution) पारित करना;

(२) शिष्ट परिषद् ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा उसे सौंपे जायं अथवा उस पर आरोपित (imposed) किये जायं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १९ और २० इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २१

२१--कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय की कार्यसंचालक संस्था (executive body) होगी। इसका संघटन तथा इसके सदस्यों की नियुक्ति की रीति और उनकी पदावधि परिनियमों (Statutes) द्वारा निश्चित की जायंगी।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--मैं प्रस्तावकों के नाम लेता जाऊंगा। माननीय शिक्षा मंत्री या कोई और सदस्य अगर यह समझे कि किसी संशोधन को स्वीकार करना चाहिये तो कृपा कर वे खड़े हो जायं, मैं उनको मौका दूंगा।

खंड २२

कार्यकारिणी परिषद् के अधिकार और कर्त्तव्य।

२२--(१) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कार्यकारिणी परिषद् के अधिकार तथा कर्तव्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्--

(क) विश्वविद्यालय की संपत्ति, धर्मस्वों (endowments) तथा निधियों को अपने कब्जे में रखना और उन पर नियंत्रण रखना तथा उनके विषय में सामान्य आदेश (general directives) प्रचारित करना;

(ख) विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधियों (assets and funds) के समुचित लेखे (accounts) रखना ;

(ग) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल अथवा अचल संपत्ति के हस्तान्तरण (transfer) को स्वीकार करना ;

(घ) विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय के अधिकार में दी गयी निधियों को प्रशासित करना (administer);

(ङ) विश्वविद्यालय का आय-व्ययक तैयार करना;

(च) संबंधित परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार परिषद्-वृत्तियां (fellowships), छात्र-वृत्तियां (Scholarships), निर्धन छात्र-वृत्तियां (bursaries), पदक (medals) तथा अन्य पुरस्कार (rewards) प्रदान करना;

(छ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य सेवकों की नियुक्ति करना, उनके कर्तव्यों तथा उनकी सेवा की शर्तों को निर्धारित करना तथा उनके पदों की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति की व्यवस्था करना;

(ज) परीक्षकों की नियुक्ति करना तथा परीक्षाओं के आयोजन और परीक्षाफलों के प्रकाशन का निर्देशन;

(झ) संबद्ध महाविद्यालयों तथा छात्रावासों और विद्यार्थियों के रहने के अन्य स्थानों के निरीक्षण की व्यवस्था तथा उनका निर्देशन;

(ञ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के आकार (form) तथा प्रयोग का निर्देशन;

(ट) परिनियमों में निर्दिष्ट रीति से तथा शर्तों के अनुसार महाविद्यालयों को संबद्ध करने की स्वीकृति देना अथवा ऐसी सम्बद्धता (affiliation) को वापस लेना;

(ठ) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बन्धी सभी मामलों का विनियमन तथा निर्धारण (to regulate and determine);

(ड) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा दिये गये अथवा आरोपित किये गये हों।

(२) कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय के अन्य ऐसे सभी अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करेगी जिनकी इस अधिनियम अथवा परिनियमों में अन्यथा व्यवस्था नहीं की गयी हो।

(३) कार्यकारिणी परिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक (recurring and non-recurring) व्ययों को उन सीमाओं से अधिक न करेगी जो अर्थ समिति द्वारा निर्धारित की गयी हों।

(४) विद्वतपरिषद् की सम्मति पर विचार किये बिना कार्यकारिणी परिषद् अध्यापकों की संख्या, योग्यताओं एवं उपलब्धियों तथा परीक्षकों को देय शुल्क के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

(५) कार्यकारिणी परिषद् शिष्टपरिषद् के संकल्पों पर यथोचित विचार करेगी और उन पर ऐसी कार्यवाही करेगी, जिसे वह उचित समझे और उस की सूचना शिष्टपरिषद् को देगी। यदि किसी दशा में कार्यकारिणी परिषद् किसी संकल्प के अनुसार कार्यवाही करने में असमर्थ हो तो वह शिष्टपरिषद् को उसके कारणों के सम्बन्ध में सूचित करेगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २३

शिक्षा सभा। २३—(१) विद्वतपरिषद् विश्वविद्यालय की शिक्षा संस्था (academic body) होगी, और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विश्वविद्यालय में शिक्षण तथा परीक्षा के स्तर का नियंत्रण तथा सामान्य विनियमन करेगी और उसके रक्षण के लिये उत्तरदायी होगी, और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे प्राप्त हों या उस पर आरोपित किये गये हों। उसे शिक्षा सम्बन्धी समस्त विषयों (all academic matters) पर कार्यकारिणी परिषद् को परामर्श देने का अधिकार होगा।

(२) विद्वतपरिषद् का संघटन (constitution) तथा पदेन सदस्यों से भिन्न उसके सदस्यों का कार्य-काल परिनियमों द्वारा नियत किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २४ व २५

अर्थ-समिति २४—(१) अर्थ समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

(क) उपकुलपति,

(ख) कोषाध्यक्ष,

(ग) शिष्टपरिषद् के तीन सदस्य, जो कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य अथवा विश्वविद्यालय अथवा किसी संबद्ध महाविद्यालय (affiliated college) अथवा छात्रावास के कर्मचारी (employees) न हों तथा जिन्हें शिष्टपरिषद् एकल संक्रमणीय मत (single transferable vote) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार निर्वाचित करेगी;

(घ) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्देशित किये जाने वाले दो व्यक्ति।

(२) उपकुलपति समिति का सभापति तथा प्रस्तोता सचिव होगा।

(३) अर्थ समिति विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों (resources) को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष के लिये कुल आवर्त्तक (recurring) तथा अनावर्त्तक (non-recurring) व्ययों की सीमा निश्चित करेगी, तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा नियत किये जायं।

(४) अर्थ समिति किसी विशेष कारण से (जो अभिलिखित किया जायगा) वित्तीय वर्ष में उस व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकती है, जो उसने उपधारा (३) के अधीन निश्चित की हो।

शिक्षण-पाठ्यक्रम विभाग तथा पाठ्यक्रमों की समितियां। २५—(१) विश्वविद्यालय शिक्षण के ऐसे विषयों के पाठ्य-क्रम नियत करेगा तथा उनमें परीक्षायें लेगा जो अध्यादेशों में उल्लिखित हो।

(२) विश्वविद्यालय में ऐसे विषयों की शिक्षा देने के लिये जिन्हें वह उचित समझे, शिक्षण विभाग होंगे। परिनियमों तथा अध्यादेशों में क्रमशः शिक्षण विभागों के नाम तथा प्रत्येक विभाग के लिये निर्धारित अध्ययन के विषय या विषयों का उल्लेख होगा।

(३) विभाग के अध्यक्षों (Heads) की नियुक्ति की रीति, उनके कर्तव्यों, अधिकारों तथा कृत्यों की व्यवस्था अध्यादेशों द्वारा की जायगी।

(४) एक या अधिक विषयों के अध्ययन के सम्बन्ध में पाठ्य-क्रम तथा शिक्षण समितियां (committees of courses and studies) स्थापित की जायंगी। समितियों के संघटन की व्यवस्था अध्यादेशों द्वारा की जायगी।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २४ और २५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २६ व २७

छात्र कल्याण परिषद्।

२६--(१) विश्वविद्यालय अपने छात्रों के आवास, स्वास्थ्य तथा कल्याण सम्बन्धी प्रबन्धों की देख रेख एवं उनमें सामाजिक तथा बौद्धिक जीवन की अभिवृद्धि के लिये एक छात्र कल्याण परिषद् की स्थापना करेगा।

(२) उक्त परिषद् के संघटन (constitution) तथा उसके कृत्यों की व्यवस्था अध्यादेशों द्वारा की जायगी।

(३) छात्र-संरक्षक परिषद् का सभापति (Chairman) होगा।

परिनियम

२७--इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था की जा सकेगी तथा उनमें विशेषतः निम्नलिखित विषयों के लिये व्यवस्था की जायेगी--

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का संघटन उनके अधिकार तथा कर्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों का निर्वाचन, उनकी नियुक्ति तथा पदासीनता तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति एवं उक्त प्राधिकारियों से संबंधित अन्य सभी विषय;

(ग) पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वेधशालाओं, संस्थाओं तथा छात्रावासों का स्थापन एवं संधारण (institution and maintenance);

(घ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पदनाम (designation), अभिनियुक्ति (recruitment) की रीति, अधिकार तथा कर्तव्य;

(ङ) अध्यापकों का वर्गीकरण तथा उनकी अभिनियुक्ति की (recruitment) रीति;

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये भविष्य निधि (providentfund) का संघटन तथा बीमा योजना की स्थापना ;

(छ) उपाधियों तथा उपाख्याओं का स्थापन;

(ज) सामान्य उपाधियों (honorary degrees) का प्रदान;

(झ) उपाधियों, उपाख्याओं तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं (academic distinctions) का वापस लेना;

(ञ) वे शर्तें, जिनके अधीन कालेज सम्बद्ध (affiliated) किये जा सकते हैं अथवा अध्यापकों को अभिज्ञात किया जा सकता है, अथवा उक्त सम्बद्धता (affiliation) या अभिज्ञा (recognition) को वापस लिया जा सकता है;

(ट) पंजीकृत स्नातकों की पंजी का रखा जाना;

(ठ) दीक्षान्त समारोह (convocation) का आयोजन;

(ड) परिषद्वृत्तियों , छात्रवृत्तियों, निर्धन-छात्रवृत्तियों, पदकों, पुरस्कारों का स्थापन; तथा

(ढ) अन्य सभी विषय जिनके लिये परिनियमों द्वारा व्यवस्था करना इस अधिनियम में अपेक्षित हो ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २६ और २७ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २८ व २९

परिनियमों का बनाया जाना ।

२८--(१) प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा बनाये जायंगे और उनकी एक प्रति राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष १० दिन तक रक्खी जायगी और तदन्तर पहले से की गई किसी भी बात की वैधता पर बिना प्रभाव डाले हुए वे ऐसे परिवर्द्धनों एवं परिवर्तनों के अधीन रहेंगे जिनके बारे में दोनों सदन सहमत हों ।

(२) परिनियम, आगे दी हुई रीति से शिष्टपरिषद् द्वारा निर्मित परिनियमों द्वारा संशोधित, निरस्त (repealed) अथवा परिवर्द्धित किये जा सकते हैं ।

(३) शिष्टपरिषद् स्वतः किसी परिनियम के पांडुलेख पर विचार कर सकती है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि--

(क) ऐसे परिनियम की दशा में, जिसका प्रभाव विश्वविद्यालय की आय अथवा व्यय पर पड़ता हो, परिनियम का पाण्डुलेख राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायगा और यदि राज्य सरकार उस पर आपत्ति करे तो वह परिनियम नहीं बनाया जायगा, तथा

(ख) ऐसे परिनियम की दशा में, जिसका प्रभाव किसी अधिकारी, अथवा प्राधिकारी अथवा बोर्ड के अधिकारों या कर्तव्यों पर पड़ता हो, शिष्टपरिषद् कार्यकारिणी परिषद् के मत तथा संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था के प्रतिवेदन (report) पर विचार करेगा ।

(४) कार्यकारिणी परिषद् शिष्टपरिषद् द्वारा पारित किये जाने के लिये किसी परिनियम का पांण्डुलेख शिष्टपरिषद् को प्रस्तावित कर सकती है । शिष्टपरिषद् अपने अगले अधिवेशन में ऐसे पांण्डुलेख पर विचार करेगी । शिष्ट-परिषद् ऐसे पांण्डुलेख अनुमोदित कर सकती है और परिनियम को पारित कर सकती है अथवा उसे अस्वीकृत कर सकती है या कार्यकारिणी परिषद् को पुनः

विचार के लिये पूरा पांडुलेख या उसका कोई भाग, ऐसे संशोधनों के साथ जिनका शिष्टपरिषद् सुझाव दे, वापस कर सकती है। शिष्टपरिषद् द्वारा सुझाये गये (suggested) संशोधनों सहित इस प्रकार वापस किये गये पांडुलेख पर कार्यकारिणी परिषद् द्वारा और अधिक विचार कर लिये जाने पर उसे कार्यकारिणी परिषद् के प्रतिवेदन के साथ शिष्टपरिषद् के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जायगा। तब शिष्टपरिषद् उस पांडुलेख पर ऐसी कार्यवाही कर सकती है जिसे वह उचित समझे।

(५) यदि कोई परिनियम शिष्टपरिषद् द्वारा पारित किया गया हो अथवा परिनियम का पांडुलेख शिष्टपरिषद् द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो तो वह कुलपति को प्रस्तुत किया जायगा। कुलपति परिनियम अथवा पांडुलेख को और अधिक विचार के लिये शिष्टपरिषद् के पास वापस भेज सकते हैं या यदि शिष्टपरिषद् उस परिनियम को पुनः पारित कर दे तो वह उस पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं अथवा अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं।

(६) शिष्टपरिषद् द्वारा पारित कोई परिनियम उस समय तक वैध न होगा जब तक उस पर कुलपति अपनी स्वीकृति न दे दें।

(७) कार्यकारिणी परिषद् किसी ऐसे परिनियम की पांडुलिपि अथवा परिनियम के संशोधन की पांडुलिपि का प्रस्ताव, जिसका प्रभाव विश्वविद्यालय की आय और व्यय पर पड़ता हो, तब तक न करेगी जब तक कि उसका पांडुलेख राज्य सरकार को प्रस्तुत न किया जा चुका हो और राज्य सरकार ने उस पर अपनी सहमति न दे दी हो, अथवा ऐसे परिनियम के पांडुलेख का प्रस्ताव जिसका प्रभाव विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रस्थिति (status), अधिकार अथवा संघटन (constitution) पर पड़ता हो, तब तक न करेगी जब तक उक्त प्रस्ताव पर अपना मत प्रकट करने का अवसर ऐसे प्राधिकारी को न दे दिया गया हो। इस प्रकार प्रकट किया गया मत लिखित रूप में होगा, उस पर शिष्टपरिषद् विचार करेगी तथा वह कुलपति को प्रस्तुत किया जायगा।

अध्यादेश।

२९.—(१) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय की, जिसके लिये अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था किये जाने की अनुमति इस अधिनियम अथवा परिनियमों में दी गयी हो, तथा किसी अन्य विषय की, जिसके लिये कार्यकारिणी परिषद् अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था करना उचित समझे, व्यवस्था की जा सकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्राप्त अधिकारों को अक्षुण्ण रखते हुए अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्

(क) विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में विद्यार्थियों का प्रवेश तथा नामांकन (enrolments) और उनका इस प्रकार बना रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों तथा उपाख्याओं के लिये निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन उपाधियों (degrees) उपाख्याओं तथा अन्य पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में छात्र प्रविष्ट किये जायेंगे, तथा वे इस बात के पात्र समझे जायंगे कि उन्हें उपाधियां और उपाख्याएं प्रदान की जा सकें;

(घ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आवास की शर्तें तथा विश्वविद्यालय द्वारा संधारित छात्रावासों में आवास के लिये शुल्कों का लगाया जाना;

(ङ) विद्यार्थियों के लिये ऐसे छात्रावासों तथा अन्य आवासिक स्थानों की अभिज्ञा (recognition) जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न हो;

(च) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा वेतन भोगी अधिकारियों की संख्या, अर्हतायें (qualifications), उपलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तें तथा उनकी सेवा तथा कार्यकलापों (activities) के अभिलेख तैयार किया जाना और उनका रखा जाना ;

(छ) शुल्क, जो विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजन के लिये लिया जा सके;

(ज) विश्वविद्यालय में शिक्षण-विभागों का खोला जाना तथा उनके लिये अध्ययन के विषय निर्धारित किया जाना;

(झ) परीक्षण संस्थाओं, परीक्षकों, तथा परिमार्जकों (moderaters) की नियुक्ति की शर्तें, नियुक्ति की रीति तथा उनके कर्तव्य;

(ञ) परीक्षाओं का संचालन;

(ट) पारिश्रमिक तथा भत्ते, जिनके अन्तर्गत यात्रा-भत्ते और दैनिक भत्ते भी हैं, जो उन व्यक्तियों को दिये जायंगे जो विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित (employed) हों;

(ठ) पारिषद्वृत्ति, छात्रवृत्ति (scholarships), विद्यार्थी-वृत्ति (studentships), निर्धन-छात्रवृत्ति, पदक तथा पुरस्कार प्रदान किये जाने की शर्तें ;

(ड) अन्य समस्त विषय जिनकी इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था करना अपेक्षित हो या व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २८ और २९ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३० व ३१

अध्यादेश कैसे बनाये जायंगे।

३०--(१) उस दशा को छोड़ कर जिसकी इस धारा में कोई अन्य व्यवस्था की गयी हो, अध्यादेश कार्यकारिणी परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे और वे उस दिनांक से प्रभावी होंगे जिसे परिषद् निर्दिष्ट करे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा अध्यादेश नहीं बनाया जायगा जिससे--

(क) विश्वविद्यालय की आय अथवा व्यय पर प्रभाव पड़े, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का पांडुलेख राज्य सरकार को प्रस्तुत न कर दिया गया हो और राज्य सरकार ने उस पर कोई आपत्ति न की हो;

(ख) विद्यार्थियों के प्रवेश अथवा किसी पाठ्यक्रम पर प्रभाव पड़े, या जो विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिये पाठ्यक्रम या परीक्षा में प्रवेश के लिये अपेक्षित अर्हताओं को निर्धारित

करे या उन पर प्रभाव डाले, या जिससे परीक्षकों की नियुक्ति की रीति या उनके कर्तव्यों पर अथवा किसी परीक्षा के संचालन अथवा स्तर (standard) पर प्रभाव पड़े, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का पांडुलेख विद्वतपरिषद् ने प्रस्तावित या पहले ही अनुमोदित न किया हो।

(२) कार्यकारिणी परिषद् को विद्वतपरिषद् द्वारा उपधारा (१) के अधीन प्रस्तावित किसी पांडुलेख को संशोधित करने का अधिकार न होगा किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकती है अथवा उस सम्पूर्ण पांडुलेख या उसके किसी भाग को ऐसे संशोधनों सहित, जिनका कार्यकारिणी परिषद् सुझाव दे, विद्वतपरिषद् के पास पुनर्विचार के लिये लौटा सकती है।

(३) कार्यकारिणी परिषद् द्वारा बनाये गये समस्त अध्यादेश यथासंभव शीघ्र, कुलपति और शिष्ट परिषद् को प्रस्तुत किये जायेंगे और शिष्ट परिषद् उन पर अपने आगामी अधिवेशन में विचार करेगी। शिष्ट परिषद् को संकल्प द्वारा जो उक्त अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित किया गया हो, उक्त किसी भी अध्यादेश को रद्द (cancel) कर देने का अधिकार होगा और ऐसा अध्यादेश उक्त संकल्प (resolution) के दिनांक से शून्य (void) हो जायगा।

(४) कुलपति, शिष्ट परिषद् द्वारा किसी अध्यादेश पर विचार कर लिये जाने के पश्चात् किसी भी समय शिष्ट परिषद् तथा कार्यकारिणी परिषद् को यह सूचना दे सकते हैं कि उन्होंने उक्त अध्यादेश की अनुज्ञा नहीं दी है और प्रस्तोता द्वारा उक्त अनुज्ञा के निषेध (disallowance) की सूचना (intimation) प्राप्त होने के दिनांक से उक्त अध्यादेश शून्य हो जायगा।

(५) कुलपति यह आदेश दे सकते हैं कि किसी अध्यादेश का प्रवर्तन (operation) उस समय तक निलंबित (suspend) रहेगा जब तक कि उन्हें अपने निषेधाधिकार (power of disallowance) के प्रयोग करने का अवसर न मिल जाय। इस उपधारा के अधीन निलंबन की आज्ञा, ऐसी आज्ञा के दिनांक से एक मास व्यतीत होने पर या शिष्ट परिषद् द्वारा अध्यादेश पर विचार किये जाने के दिनांक से १५ दिन व्यतीत होने पर, इनमें से जो भी अवधि बाद को व्यतीत होती हो, निष्प्रभाव हो जायगी।

(६) यदि कार्यकारिणी परिषद् ने विद्वतपरिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी अध्यादेश के पान्डुलेख को अस्वीकृत कर दिया हो तो विद्वतपरिषद् शिष्टपरिषद् के समक्ष अपील कर सकती है और तत्पश्चात् शिष्ट परिषद्, यदि वह पांडुलेख को अनुमोदित करे, कार्यकारिणी परिषद् के विचार प्राप्त कर लेने के पश्चात् अध्यादेश बना सकती है और उसे कुलपति को प्रस्तुत कर सकती है। कुलपति द्वारा अध्यादेश की स्वीकृति मिल जाने पर वह ऐसे दिनांक से प्रभावी होगा जिस पर स्वीकृति प्रस्तोता को प्राप्त हो।

३१--(१) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी तथा परिषद् इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों से संगत विनियम (Regulations) बना सकती है, जिनमें--

विनियम

(क) उसके अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति (quorum) के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या निर्धारित की जायगी;

(ख) ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जायगी, जो इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों के अधीन, विनियमों द्वारा नियत किये जाने वाले हों; और

(ग) किसी अन्य ऐसे विषय की व्यवस्था की जायगी जो केवल उक्त प्राधिकारी या परिषद् से सम्बन्ध रखता हो और जिसके लिय इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों में अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो।

(२) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी विनियम बनायेगा, जिनमें उक्त प्राधिकारी के सदस्यों को उन दिनांकों की, जिन पर अधिवेशन होंगे, और उस कार्य की जिस पर अधिवेशन में विचार किया जायगा, सूचना देने तथा अधिवेशनों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखने की व्यवस्था की जायगी।

(३) कार्यकारिणी परिषद् शिष्ट परिषद् से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन बनाये गये किसी विनियम को उस रीति से संशोधित किये जाने का जिसे वह निर्दिष्ट करे अथवा उपधारा (१) के अधीन बनाये गये किसी विनियम के खंडन (annulment) का, आदेश दे सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई प्राधिकारी जो उक्त किसी आदेश से असंतुष्ट हो कुलपति के समक्ष अपील कर सकता है और इस विषय में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

(४) कार्यकारिणी परिषद् विनियम बनायेगी जिनमें विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम निर्धारित किये जायेंगे, किन्तु कोई ऐसा विनियम तब तक नहीं बनाया जायगा जब तक कि विद्वत्परिषद् ने उसके पांडुलेख को प्रस्तावित या पहले से अनुमोदित न कर दिया हो। कार्यकारिणी परिषद् विद्वतपरिषद् से प्राप्त पांडुलेख में परिवर्तन नहीं कर सकती। किन्तु प्राप्त पांडुलेख को अस्वीकार कर सकती है या अपने सुझावों सहित उसे विद्वत्परिषद् को और अधिक विचार करने के लिये लौटा सकती है।

(५) ऐसे विषयों के सम्बन्ध में कोई विनियम नहीं बनाया जायगा जिनके लिये इस अधिनियम के अधीन परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था की जाने वाली है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३० और ३१ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३२—३६

विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश।

३२—(१) कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय की किसी उपाधि की प्राप्ति के लिये किसी कक्षा में उस समय तक अध्ययन करने का अधिकारी न होगा जब तक कि उसने गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस की मध्यमा परीक्षा या ऐसी परीक्षा पास न कर ली हो जिसे विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उस मध्यमा परीक्षा के समकक्ष स्थापित या अभिज्ञात कर लिया हो और वह ऐसी अतिरिक्त अर्हतायें (यदि कोई हों) न रखता हो जो अध्यादेशों द्वारा नियत की जायं।

(२) विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र, जो किसी उपाधि की प्राप्ति के लिये किसी कक्षा में अध्ययन के लिये विश्वविद्यालय में नामांकित (enrolled) हुआ हो, जब तक उपकुलपति द्वारा मुक्त न कर दिया गया हो, किसी छात्रावास में या छात्रों के रहने के प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय द्वारा अभिज्ञात किसी अन्य आवास में रहेगा।

परीक्षाएं

३३—(१) परिनियमों और ध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन के सम्बन्ध में सामान्य आदेश (directions) जारी कर सकती है तथा वह उसके लिये परीक्षक तथा अन्य कार्य संचालक (functionaries) नियुक्त करेगी।

(२) यदि कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नियुक्त कोई परीक्षक किसी कारण से उक्त कार्य करने में असमर्थ हो तो उपकुलपति ऐसी रिक्ति को भरेगा।

(३) विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के निमित्त अध्ययन के प्रत्येक विषय के लिये नियुक्त किये गये परीक्षकों की यथासम्भव आधी संख्या उन व्यक्तियों की होगी जो विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध किसी महाविद्यालय की सेवा में न हों।

वार्षिक प्रतिवेदन।

३४—(१) कार्यकारिणी परिषद् प्रति वर्ष विश्वविद्यालय के कार्यसंचालन का एक प्रतिवेदन (report) तैयार करायेगी जिसमें नियत किये जाने वाले अन्य विषयों के साथ-साथ निम्नलिखित के सम्बन्ध में भी सूचना दी जायगी—

(क) पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिये विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में उस वर्ष भर्ती किये गये छात्रों की संख्या;

(ख) विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों (candidates) की संख्या और उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या; और

(ग) छात्रों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अनुशासन से सामान्यतः सम्बन्धित कार्यवाहियां।

(२) नियत किये गये दिनांक को या उसके पूर्व शिष्ट परिषद् को प्रतिवेदन (report) प्रस्तुत किया जायगा और तत्पश्चात् शिष्टपरिषद् अपने वार्षिक अधिवेशन में उस पर विचार करेगी। उसके सम्बन्ध में शिष्टपरिषद् जो भी संकल्प पारित करेगी वह कार्यकारिणी सभा को भेज दिया जायगा और कार्यकारिणी परिषद् जब तक वह शिष्टपरिषद् को अन्यथा सूचित न करे, उसमें वांछित कार्यवाही करेगी।

(३) प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि और शिष्टपरिषद् का संकल्प, यदि कोई हो, तथा उस पर कार्यकारिणी परिषद् का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

वार्षिक लेखे और आय व्यय।

३५—(१) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे (annual accounts), और आय-व्यय का विवरण (balance-sheet), कार्यकारिणी परिषद् के आदेश (direction) के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी साधन से विश्वविद्यालय को प्राप्य (accuring) या प्राप्त समस्त धनराशियां और ऐसी धनराशियां जिनका वितरण अथवा भुगतार किया गया हो, लेखे में दर्ज की जायेंगी।

(२) लेखे और आय-व्यय के विवरण की प्रतिलिपियां राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेंगी और राज्य सरकार उत्कृष्ट कोटि के और प्रख्यात (of repute and standing) लेखा परीक्षकों (auditors) द्वारा उनकी लेखा परीक्षा करायेगी।

(३) लेखा परीक्षा होने के पश्चात् लेखे को मुद्रित किया जायगा और उसकी प्रतिलिपियां तथा लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां कार्यकारिणी परिषद् द्वारा शिष्ट परिषद् और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायंगी।

(४) राज्य सरकार के लिए यह बंध होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके विषय में यह पता चले कि उसने आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि से अधिक अथवा इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के किसी उपबन्ध की उपेक्षा करते हुए (in violation of) कोई धनराशि व्यय की है या ऐसा करने का अधिकार दिया है, आदेश दे कि वह इस प्रकार व्यय की गयी धनराशि की भरपाई (reimburse) करे और राज्य सरकार इस विषय में ऐसी भी कार्यवाही कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को उपर्युक्त आदेश देने के पूर्व अभ्यावेदन (representation) करने का समुचित अवसर देगी।

(५) कार्यकारिणी परिषद्, ३१ अगस्त या किसी अन्य दिनांक के पूर्व, जो नियत किया जाय, आगामी वर्ष के वित्तीय अनुमानों (financial estimates) को भी जिन्हें इस अधिनियम में आय-व्ययक कहा गया है, तैयार करेगी।

(६) नये व्यय की ऐसी प्रत्येक मद, जो नियत धनराशि के बराबर या उससे अधिक हो, और जिसे आय-व्ययक में सम्मिलित करने का विचार हो, कार्यकारिणी परिषद् द्वारा अर्थ समिति को अभिदिष्ट (referred) की जायगी, जो उसके सम्बन्ध में अपनी संस्तुति कर सकेगी।

(७) यदि अर्थ समिति की कोई संस्तुति हो तो उस पर विचार करने के पश्चात् कार्यकारिणी परिषद् आय-व्ययक को अंतिम रूप से अनुमोदित करके इन संस्तुतियों सहित शिष्टपरिषद् को प्रस्तुत करेगी।

(८) वार्षिक लेखे और आय-व्ययक पर शिष्ट परिषद् अपने वार्षिक अधिवेशन में विचार करेगी और इसके सम्बन्ध में शिष्ट परिषद् संकल्प पारित कर सकेगी और उसकी सूचना कार्यकारिणी परिषद् को दे सकेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपधारा (६) के अधीन अर्थ समिति को अभिदिष्ट व्यय की किसी मद के सम्बन्ध में कार्यकारिणी परिषद् और अर्थ समिति में मतभेद हो, तो उसके सम्बन्ध में शिष्ट परिषद् का निर्णय अंतिम होगा।

(९) उस दशा को छोड़ कर जब धारा २२ की उपधारा (१) के खंड (घ) के अधीन उपलब्ध किसी निधि में से उपर्युक्त प्रकार का कोई व्यय किया जाय, उपकुलपति या कार्यकारिणी परिषद् के लिए वह बंध न होगा कि वह कोई ऐसा व्यय करे जिसकी आय-व्ययक में स्वीकृति न दी गयी हो।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाना।

३६—(१) शिष्टपरिषद् कार्यकारिणी परिषद् के दो तिहाई से अन्यून सदस्यों की संस्तुति पर किसी भी व्यक्ति का नाम स्नातक पंजी (register of graduates) में से हटा सकती है।

(२) शिष्टपरिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की सदस्यता से किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर हटा सकती है कि वह व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष (convicted) हुआ है जो शिष्टपरिषद् के मतानुसार नैतिक पतन (moral turpitude) सम्बन्धी कोई गम्भीर अपराध है या वह अपवादजनक आचरण (scandalous conduct) का दोषी है अथवा उसने किसी ऐसी रीति से व्यवहार किया है जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिए अशोभनीय है। शिष्टपरिषद् इन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय या संस्कृत कालेज इक्जामिनेशन्स, बनारस के रजिस्ट्रार द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत कोई उपाधि, उपाख्या या प्रमाणपत्र भी वापस ले सकती है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३२, ३३, ३४, ३५ और ३६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३७—४४

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों अथवा संस्थाओं के संघटन के सम्बन्ध में विवाद।

३७—यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य संस्था का यथावत सदस्य निर्वाचित, नियुक्त अथवा अनुमेलित (co-opted) हुआ है या नहीं, या वह उसका सदस्य होने का अधिकारी है या नहीं, अथवा यह प्रश्न उठे कि विश्वविद्यालय का अथवा उसके किसी प्राधिकारी का कोई निर्णय इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुकूल है अथवा नहीं तो वह विषय कुलपति को अभिदिष्ट किया जायगा और उस पर उनका निर्णय अन्तिम होगा।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति।

३८—(१) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी (authority) अथवा अन्य संस्था के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) के पदों के सम्बन्ध में होने वाली सभी आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति सुविधानुसार यथासंभव शीघ्र उस व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा की जायगी जिसने उस सदस्य को, जिसका पद रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित अथवा अनुमेलित किया हो तथा आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या अनुमेलित किया गया व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी अथवा संस्था का उस कार्यकाल की अवशिष्ट अवधि के लिये सदस्य बना रहेगा, जिसके लिये पद रिक्त करने वाला व्यक्ति सदस्य रहता।

(२) कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य किसी अन्य संस्था के प्रतिनिधि के रूप में हो, तब तक विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के पद पर बना रहेगा जब तक वह उस संस्था का सदस्य रहे जिसके द्वारा वह नियुक्त अथवा निर्वाचित किया गया था और तत्पश्चात उस समय तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी यथावत् नियुक्त न हो जाये।

कुछ दशाओं में विश्वविद्यालय की संस्थाओं की कार्य-वाहियों का अवैधन किया जाना।

३९—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अन्य संस्था का कोई कार्य अथवा कार्यवाही केवल इसी कारण से अवैध न होगी कि उसके सदस्यों के स्थानों में कोई रिक्ति थी, तथा इस कारण से भी अवैध न होगी कि कार्य-वाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया था जिसके सम्बन्ध में बाद में यह पता चला कि वह ऐसा करने का अधिकारी नहीं था।

अध्यापक

४०—विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापक नियत की जाने वाली रीति से नियुक्त किये जायेंगे, तथा ऐसी शर्तों पर पदासीन रहेंगे जो नियत की जायेंगी। विश्वविद्यालय अध्यापकों को परिनियमों में उल्लिखित राति से अभिज्ञात करेगा।

पदाधिकारियों तथा अध्यापकों की सेवा की शर्तें।

४१—(१) विश्वविद्यालय का प्रत्येक वेतन भोगी अधिकारी तथा अध्यापक लिखित संविदा (contract) के अधीन नियुक्त किया जायगा, जो विश्वविद्यालय में रखी जायगी तथा उसकी एक प्रतिलिपि संबंधित अधिकारी अथवा अध्यापक को दे दी जायगी।

(२) विश्वविद्यालय तथा उसके किसी अधिकारी अथवा अध्यापक के बीच किये गये संविदे के सम्बन्ध में कोई विवाद उठ खड़ा होने पर, संबंधित अध्यापक अथवा अधिकारी की प्रार्थना पर अथवा विश्वविद्यालय की प्रेरणा पर उसे एक ऐसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण (Tribunal of Arbitration) को अभिदिष्ट किया जायगा, जिसमें कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य संबंधित अधिकारी अथवा अध्यापक द्वारा नाम-निर्देशित एक सदस्य, तथा कुलपति द्वारा नियुक्त एक निर्णेता (umpire) से मिल कर बना होगा और ऐसे न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

निवृत्ति-वेतन तथा भवि य निधि।

४२—(१) विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिक वर्ग (clerical staff) तथा सेवकों के लाभ के लिये ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों के अधीन, जो नियत की जायं, ऐसे निवृत्ति-वेतन (pension), बीमे तथा भविष्य निधि (provident fund) का संघटन करेगा, जिन्हें वह उचित समझे।

(२) यदि भविष्य निधि की ऐसी किसी योजना का पूर्वोक्त प्रकार से संघटन किया गया हो अथवा यदि भविष्य निधि की ऐसी किसी योजना का संघटन किसी सम्बद्ध महाविद्यालय ने, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों के अधीन, किया हो तो राज्य सरकार घोषित कर सकती है कि प्राविडेंट फंड ऐक्ट, १९२५ के उपबन्ध ऐसी निधि पर उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों वह सरकारी भविष्य निधि (provident fund) हो।

सम्बद्ध महा-विद्यालय

४३—(१) सम्बद्ध महाविद्यालय वे होंगे जिनके नामों का उल्लेख परिनियमों में किया जाय।

(२) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिये यह बंध होगा कि वह उसी स्थान में स्थित अन्य किसी सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के साथ शिक्षण-कार्य में सहयोग करने का प्रबन्ध कर ले।

(३) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय की सम्बद्धता (affiliation) की शर्तें वे होंगी जो नियत की जायं अथवा जो कार्यकारिणी परिषद् द्वारा आरोपित की जायं ।

(४) इस अधिनियम में की गयी व्यवस्था को छोड़कर, सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धक महाविद्यालय के कार्यों का प्रबन्ध करने और उन पर नियंत्रण रखने के लिये स्वाधीन होंगे तथा उसके संधारण तथा सुव्यवस्था के लिये उत्तरदायी होंगे । प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय का आचार्य (principal) उसमें समुचित अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा ।

(५) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का समय-समय पर (at intervals) नियत रीति से निरीक्षण किया जायगा तथा उक्त निरीक्षण का प्रतिवेदन कार्यकारिणी परिषद् को दिया जायगा ।

(६) कार्यकारिणी परिषद् राज्य सरकार की पूर्व-स्वीकृति से किसी संबद्ध महाविद्यालय की सम्बद्धता (affiliation) वापस ले सकती है यदि प्रबन्धकों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् उसको संतोष हो जाय कि महाविद्यालय ने अपनी सम्बद्धता (affiliation) की शर्तों को पूरा करना बन्द कर दिया है अथवा वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने अथवा अपने कार्यों के संबंध में कार्यकारिणी परिषद् द्वारा बतायी गयी त्रुटियां दूर करने में बराबर चूक करता रहता है ।

४४---यदि इस अधिनियम अथवा परिनियमों, अध्यादेशों अथवा विनियमों के किसी उपबन्ध में किसी सरकारी अधिकारी का अभिदेश (reference) उसके पद-नाम से किया गया हो, तो उस पद-नाम के परिवर्तित हो जाने अथवा उस पद के तोड़ दिये जाने की दशा में उक्त अभिदेश का अर्थ इस प्रकार लगाया जायगा मानों उक्त अभिदेश परिवर्तित पद-नाम के लिये अथवा यथास्थिति, ऐसे तदनुरूप (corresponding) अधिकारी के लिये हो, जिसे राज्य सरकार आदिष्ट करे । सरकारी पदाधिकारियों के प्रति अभिदेश का अर्थ उनके पद-नाम (designation) के परिवर्तित होने की दशा में इस प्रकार लगाया जायगा मानों वह अभिदेश तदनुरूप (corresponding) पदाधिकारियों के लिए हों ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३ और ४४ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४५ व ४६

४५---इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों में किसी बात के होते हुये भी, गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस अथवा गवर्नमेंट संस्कृत कालेज की परीक्षाओं के लिये अभिज्ञात किसी अन्य महाविद्यालय के किसी भी छात्र को, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व उक्त संस्कृत कालेज का आचार्य या शास्त्री परीक्षा के लिये अध्ययन कर रहा हो या उनमें संक्रमणकालीन उपबन्ध ।

बैठने का पात्र हो, उक्त परीक्षाओं की तैयारी के लिये अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जायगी और विश्वविद्यालय उक्त परीक्षाओं के निमित्त अध्ययन नियमावली (prospectus of studies) के अनुसार जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रचलित रही हो, ऐसे छात्रों की परीक्षा के लिये व्यवस्था करेगा।

गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस विश्वविद्यालय को हस्तांतरित हो जायगा और उसमें अन्तर्निहित (merged) हो जायगा।

४६--गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस सरस्वती भवन नामक पुस्तकालय सहित विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित तथा उसमें विलीन हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४५ और ४६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४७ वं ४८

प्रथम उप-कुलपति की नियुक्ति।

४७--इस अधिनियम या परिनियमों में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार के लिये वह वैध होगा कि वह इस अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन के पश्चात् किसी भी समय एक उपकुलपति नियुक्त करे और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति कुल तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये पदासीन रहेगा, जिसे राज्य सरकार आदिष्ट करे और वह इस अधिनियम के अधीन उप-कुलपति के सभी अधिकारों का प्रयोग तथा उसके समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।

विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द की प्रथम नियुक्ति।

४८--जब तक विश्वविद्यालय के एतदर्थ अधिकृत प्राधिकारी यथावत् संघटित न हो जायं और जब तक कि उन्होंने विश्वविद्यालय के अधिकारी तथा अध्यापक नियुक्त न कर लिये हों उस समय तक--

(क) गवर्नमेंट संस्कृत कालेज इक्जामिनेशन्स का रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का प्रस्तोता होगा;

(ख) सरस्वती भवन पुस्तकालय का लाइब्रेरियन विश्वविद्यालय का ग्रन्थाध्यक्ष होगा;

(ग) गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस के अध्यापक विश्वविद्यालय के अध्यापक होंगे; और

(घ) कुलपति द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय का कोषाध्यक्ष होगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४७ और ४८ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४९

कठिनाइयों का निवारण।

४९--राज्य सरकार इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में तथा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की नियुक्ति या संघटन में होने वाली किन्हीं कठिनाइयों के निवारणार्थ सरकारी गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा आदेश दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसे अवधि में जो उक्त आज्ञा

में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों (adaptations) के अधीन, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या अपकरण के रूप में हों, (whether by way of modification, addition or omission) जिन्हें वह आवश्यक और उचित समझे, प्रभावी होगा और वह ऐसी किसी कठिनाई के निवारणार्थ ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है, जिन्हें वह आवश्यक या उचित समझे:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से अट्ठारह मास के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक प्रस्तावना तथा खण्ड १

वाराणसी में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करना और उसमें ऐसे कृत्यों को निहित करना आवश्यक है, जिनका निर्वाहन सम्प्रति गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, सरस्वती भवन पुस्तकालय तथा संस्कृत शिक्षा के राजकीय बोर्ड (State Board of Sanskrit Education) द्वारा किया जाता है:

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है

१—(१) यह अधिनियम वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ कहलायेगा । संक्षिप्त शीर्ष-नाम तथा प्रारंभ ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर १७ मिनट पर, अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदश ।

लखनऊ ;
३० जुलाई, १९५६ ।

नत्थी 'क'

(देखिये प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर)

प्रश्न १३ के उत्तर में दिये गये विवरण-पत्र

फसली	तहसील	कुल मांग			बकाया (साल के अन्त में)		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१३६२	१—सदर ..	८,०८,७०६	१५	७	१,२०,१०३	११	१
	२—मुहम्मदाबाद ..	८,४४,७६१	५	३	१,१०,६४८	२	०
	३—फूलपुर ..	१२,९६,३५६	७	६	२,२०,९८७	७	६
	४—लालगंज ..	७,४९,६३१	७	०	१,१३,३७२	७	९
	५—सगड़ी ..	७,७९,४८६	११	८	१,२०,४४९	४	५
	६—घोसी ..	९,२१,४२९	४	०	६४,०४०	३	३
	..	५४,००,३७२	३	०	७,४९,६०१	४	०

नोट—७,४९,६०१ रुपया ४ आ० ० पा० की रकम में ५,३८,१९५—११—८, १३६२ फसली की मालगुजारी की मांग भी जो ओले और बाढ़ के कारण स्थगित कर दी गई थी सम्मिलित है, इस रकम को घटाने के बाद १३६२ की पक्की बकाया मालगुजारी २,११,४०५ रु० ८ आ० ४ पाई थी ।

फसली	तहसील	कुल मांग			बकाया (१५—६—५६ को)		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१३६३	१—सदर ..	९,३५,४४३	२	१	२,५०,१६०	६	३
	२—मुहम्मदाबाद ..	१०,०९,१९४	१५	४	२,२६,३१८	९	४
	३—फूलपुर ..	१४,७४,१९६	४	३	४,२६,६१३	८	८
	४—लालगंज ..	९,१९,१९८	६	०	२,५३,९२८	५	९
	५—सगड़ी ..	९,०९,०८८	३	७	२,४२,११८	१५	४
	६—घोसी ..	१०,६०,८३१	२	३	२,२१,९०४	१२	६
	..	६३,०८,०४३	१	६	१६,२१,०४४	९	१०

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१३३ एल० ए०—१९५६—७९६ ।